खण्ड-242, अंक-4
गुरूवार, 4 आश्विन, शक संवत् 1885
(26 सितम्बर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 242 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४२७–४३१
विधान भवन में सी० आई० डी० की उपस्थिति के सम्बन्ध में आपत्ति ..	४३१
प्रश्नोत्तर (जारी)	४३१–४३४
२० सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर का शोधन ..	४३४–४३५
प्रश्नोत्तर	४३५–४७५
विधान सभा की कार्य-सूची में अशुद्धि	४७५
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति	४७५–४७६
आश्वासन समिति का १८ वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	४७६–४७७
विशेषाधिकार की अवहेलना, कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	४७७–४८५
कार्य-मंत्रणा समिति के लिये नाम-निर्देशित सदस्य के सम्बन्ध में सूचना ..	४८५
विधान सभा के १६ सितम्बर के आहूत सत्र को निरस्त किये बिना उसे २३ सितम्बर को आहूत करने के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विचार (स्थगित)	४८५–४९७
दुबौली गोली कांड की जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में वक्तव्य	४९७–५००
उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया)	५०१
उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) .. (संशोधन) विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया) ..	५०१
विधान सभा की कार्य-सूची के सम्बन्ध में सूचना	५०१
उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ के अननुमोदनार्थ संकल्प (अस्वीकृत)	५०१–५०९
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ के अननुमोदनार्थ संकल्प (स्थगित)	५०९–५१६
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पूर्वीय जिलों की आर्थिक जांच के सम्बन्ध में नियम ५० (१) के अन्तर्गत चर्चा	५१६–५२२
नत्थियां	५२३–५३८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २६ सितम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायण प्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उलफ़तसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वरआरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्वेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री

पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री

रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री

शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

विधान भवन में सी० आई० डी० की उपस्थिति के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैंने परसों एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था सी० आई० डी० के बारे में कि सी० आई० डी० गैलरी में, सदन में विद्यमान रहती है। पंजाब गवर्नमेन्ट ने ऐसी व्यवस्था की है....

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक है। आप कल भूल गये थे। उस दिन यह बात हुई थी कि इसको कल उठाया जायगा और दूसरे मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप लिखकर दे दीजिये ताकि उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली जाय। आप कृपाकर लिखकर दे दीजिये और आइ विल डील विद दि मैटर (I will deal with the matter)।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २६ सितम्बर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की लखनऊ से बहराइच को वापसी

**१—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सत्य है कि पूर्वी पाकिस्तान द्वारा अपने घरों से निकाले हुये ४० विस्थापित लोग बहराइच से लखनऊ आकर अपनी मांग सरकार के समक्ष रखना चाहते थे जिन्हें सरकारी पुलिस ने ११ व १२ तारीख सितम्बर, १९६३ की रात्रि में बलात् एक ट्रेन

में भर कर वापस बहराइच भेजा है ? यदि हां, तो उनकी मांगें तथा उनकी शिकायतें क्या हैं तथा उन्हें पुलिस के द्वारा बलपूर्वक रात्रि में सन्नाटे में गाड़ी पर सवार करने की क्यों आवश्यकता हुई ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)---

जी हां, यह सही है कि ११ व १२ तारीख सितम्बर, १९६३ की रात्रि में पूर्वी पाकिस्तान से लगभग ४०० विस्थापित लोगों को जो बहराइच से लखनऊ आकर अपनी मांग सरकार के समक्ष रखना चाहते थे वापस भेजा गया था। परन्तु उनके भेजने में बल का प्रयोग नहीं किया गया था।

विस्थापित लोगों की शिकायत यह थी कि जो जमीन उनको दी गई है वह निचली व अनउपजाऊ है और इसलिये उनकी मांग थी कि उनको बहराइच से हटाकर नैनीताल के तराई क्षेत्र अथवा किसी अन्य स्थान पर बसाया जाय तथा प्रति परिवार ५ एकड़ ऊंची भूमि व पुनर्वासन संबंधी सभी सुविधायें जो उन्हें दी जा चुकी थीं फिर से दी जायें। यह आश्वासन देने पर भी कि उनकी मांगों पर विचार किया जायगा और वह अपने निवास स्थान को लौट जायें, वह लोग चारबाग स्टेशन पर पड़े रहे। ऐसी परिस्थिति में विस्थापित व्यक्तियों के रहने का स्थान उपयुक्त न होने के कारण उनके स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा हो रहा था तथा शासकीय कठिनाइयां भी पैदा हो गई थीं। अतएव यह उचित समझा गया कि उनको उनके निवास स्थान पयागपुर पहुंचा दिया जाये। और धारा ७, U. P. Refugees Registration and Movement Act, 1947 के अन्तर्गत यह आदेश जारी किये गये कि इन लोगों को वापस पयागपुर जाना चाहिये तथा यदि यह लोग ऐसा नहीं करते तो इनको वहां से हटाकर वापस भेज दिया जाये तथा उक्त ऐक्ट के अनुसार आगे कार्यवाही की जाये। परन्तु इन लोगों ने स्टेशन से हटने से इंकार कर दिया और इसलिये एक स्पेशल ट्रेन का प्रबन्ध किया गया जो ११ सितम्बर को ११ बजे रात उपलब्ध हुई और विस्थापित व्यक्तियों को उस पर बिठा कर पयागपुर भेज दिया गया। राह के लिये खाने-पीने एवं चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध कर दिया गया था।

कुंवर श्रीपालसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इन विस्थापितों के साथ गाड़ी पर लगभग १००,१५० पी० ए० सी० के जवान भी भेजे गये थे ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

जी हां, इनकी रक्षा के लिये भेजे गये थे।

कुंवर श्रीपालसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके ऊपर कौन सी ऐसी विपत्ति सोची गई थी जो रास्ते में आ जाती जिसकी सुरक्षा के लिये पी० ए० सी० को उनके साथ भेजा गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जिससे रास्ते में वह कहीं उतर न जायं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि बहराइच जिले में पयागपुर स्थान पर उनको कौन-कौन सी सुविधायें ठहरने के लिये दी गई थीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इस प्रश्न का उससे ज्यादा संबंध नहीं है लेकिन जो सहायता विस्थापितों के लिये दी गई थी वही इनके लिये बहराइच जिले में दी गई। वहां पर बहुत सी फैमिली बसी हुई हैं। उनको ५ एकड़ जमीन दी गई है। और १।। एकड़ ऊपर की जमीन दी गई जिसमें बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या यह सत्य है कि उनको जो जमीन दी गई उसमें कुछ पैदा नहीं होता, बाढ़ आ जाती है, इसी वजह से अपने दुख दर्द को यहां कहने के लिये वह आ रहे थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी नहीं, यह सत्य नहीं है क्योंकि बहुत से परिवार वहां पर हैं। वे परिवार आज तक बसे हुए हैं और उसी जमीन में पैदा करके खाते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन विस्थापितों को जिस ट्रेन में भेजा गया उसमें लाइट तक का इन्तजाम नहीं किया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया जिसकी सूचना उन्होंने सरकार को दी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वह एक स्पेशल ट्रेन थी। लाइट का इन्तजाम था या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। उनके लिये खाने का इन्तजाम, बच्चों के लिये दूध का इन्तजाम और पानी, जिन्स आदि सब चीजों का इन्तजाम किया गया था और कोई शिकायत इस संबंध में आज तक नहीं आई।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)--

इन विस्थापितों को ट्रेन में बैठा कर भेज दिया गया यह कहा गया है उत्तर में। इसका मतलब यह है कि वह अपनी इच्छा से ट्रेन पर नहीं बैठे। क्या इस धर पकड़ में विस्थापितों को चोट भी आयी और उसमें एक स्त्री बेहोश भी हो गयी थी जिसका उपचार किया गया और इसी नाते उस ट्रेन में एक डाक्टर भेजा गया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वह तो कानून के अन्तर्गत भेजे गये थे। वह जाना नहीं चाहते थे। बहुत से उनमें अपनी इच्छा से चले गये थे। मुमकिन है कि कोई न गया हो तो उसे उठाकर ट्रेन पर रख दिया गया हो, लेकिन इसकी इत्तला नहीं है कि किसी को कोई चोट आयी या कोई बेहोश हुआ। डाक्टर तो इसलिये भेजा गया था कि उनके साथ बहुत से बच्चे थे, वह लोग बरसात में भीगे हुए थे, किसी को बुखार हो सकता था या रास्ते में कोई और तकलीफ हो सकती थी, इसलिये डाक्टर साथ में भेजा गया था।

श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)--

जब ये लोग वहां से चले थे तभी सरकार को जिला अधिकारियों ने सूचित किया होगा और इस तरह से सरकार को पता चल गया होगा तो ऐसी सूरत में मैं जानना चाहता हूं कि जब वह वापस भेजे गये तो क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की कि उनकी ग्रीवियान्सेज सही थीं या गलत ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, उनकी दो मांगें थीं। एक तो वह यह कहते थे कि जो जमीन उनको दी गयी है उसमें दस महीने पानी भरा रहता है। इसलिये दूसरी जमीन उनको दी जाय। जैसा गृह मंत्री जी ने बतलाया वाकया यह नहीं था। चूंकि १९६०-६१ में बहुत ज्यादा पानी बरसा था इसलिये वहां कुछ ज्यादा पानी भर गया था। लेकिन वह जमीनें हमेशा पानी में डूबी

नहीं रहती। और उपजाऊ हैं यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट है। इसके अलावा उनको डेढ़ एकड़ ऊंची जमीन भी दी गयी है ताकि वे वहां मक्का बो सकें।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह सत्य है कि इन विस्थापितों को जो भूमि दी गयी है वह पयागपुर के बघेल ताल की जमीन है जिसमें बाज-बाज जगह पर हाथी डुबाव पानी बारहों महीने भरा रहता है और अधिकतर स्थानों पर कमर तक पानी रहता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सही है कि वह बघेल ताल की जमीन है, लेकिन वह जमीन उनको नहीं दी गयी है कि जिसमें हाथी डुबाव पानी रहता है।

२० सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर का शोधन

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से दिनांक २० सितम्बर, १९६२ को श्री रामसुन्दर पाण्डेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ५ के उत्तर का संशोधित उत्तर पढ़ना चाहता हूं।

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत थाना घोसी के ग्राम मलेरी कोट के कुछ व्यक्तियों की १५ मार्च, १९६२ को लिखी हुई दरख्वास्त उनके पास आई है जिसमें स्थानीय पुलिस के विरुद्ध नकद रुपया तथा अन्य सामान उठा ले जाने की शिकायत लिखी गई है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और परिणाम क्या हुआ ?	जी नहीं। ऐसी किसी दरख्वास्त का प्राप्त होना नहीं पाया गया। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

संशोधित उत्तर

कुछ व्यक्तियों की तो नहीं किन्तु केवल श्री शिवप्रसाद चौहान की ऐसी एक दरख्वास्त प्राप्त हुई थी जिसे पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को निस्तारण हेतु भेज दिया गया था परन्तु सरकार का वह पत्र तथा दरख्वास्त पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्राप्त नहीं हुई।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि किस आधार पर सदन में पहला उत्तर दिया गया था कि कोई दरख्वास्त प्राप्त नहीं हुई और यह संशोधित उत्तर किस आधार पर दिया जा रहा है ?

श्री नवलकिशोर—

पहली बार गलती यह हुई थी कि जो पेटीशन डिपार्टमेन्ट है उससे पूछ-ताछ नहीं की गयी थी। बाद में जब पूछा गया तो यह पत्र मिला। मान्यवर, पेटीशन डिपार्टमेन्ट में ऐसी दरख्वास्त आयी थी, वह सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास भेज दी गयी थी। दुर्भाग्यवश उनके पास नहीं पहुंची। इस गलतफहमी में यह जवाब दे दिया गया।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

यह शिवप्रसाद चौहान की दरख्वास्त जो १५ मार्च, १९६२ को भेजी गयी पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के पास, यह मूल उत्तर जो २० सितम्बर, १९६२ को दिया गया, उससे पहले भेजी गयी थी या बाद को ?

श्री नवलकिशोर—

जैसा मैंने कहा कि उस वक्त तक पेटीशन डिपार्टमेन्ट से जो दरख्वास्त भेजी गयी वह पहुंची नहीं ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

जो प्राप्त नहीं हुई अधीक्षक को तो उसकी उन्होंने छान-बीन की ?

श्री नवलकिशोर—

जब उन्होंने २२-९-६२ को दूसरी अप्लीकेशन दी और उसमें १५-३-६२ वाली दरख्वास्त की प्रतिलिपि भी शामिल की तो उसके ऊपर पेटीशन डिपार्टमेन्ट से उसका पता चला ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शिवप्रसाद ने अपनी दरख्वास्त में पुलिस के ऊपर कौन-कौन से अभियोग लगाये हैं और दूसरी दरख्वास्त प्राप्त होने के बाद अधीक्षक को जांच के लिये कब आदेश दिया गया ?

श्री नवलकिशोर—

उनकी शिकायत थी कि ५ मन गुड़, सौ रुपये और एक किताब रामायण की, पुलिस ले गयी । जांच करने पर यह आरोप निराधार पाये गये ।

श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस थाने के खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दी थी, पुलिस अधीक्षक ने उसी थाना इंचार्ज के पास उसको इंक्वायरी के लिये भेज दिया ?

श्री नवलकिशोर—

यह बात सही नहीं है । इसकी जांच सर्किल इंसपेक्टर और सी० आई० डी० ने भी की ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच करने वाले अधिकारी ने प्रार्थी से भी कोई पूछ ताछ की थी या अपने आप बयान दे दिया कि यह दरख्वास्त गलत है ?

श्री नवलकिशोर—

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

श्रीमन्, मुझे एक प्रश्न की इजाजत दी जाय । प्रार्थी से कुछ नहीं पूछा गया कि क्या सही है और क्या गलत है वह उसका क्या सबूत देता है, अपने मन से ही सही गलत मान लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप नोटिस दे दीजिये । सूचना मिलने पर उत्तर मिल जायगा ।

प्रश्नोत्तर—(क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

[हटा दिया गया ।]

औद्योगिक प्रदर्शनी, अमीनाबाद, लखनऊ

*२—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय तथा श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो औद्योगिक प्रदर्शनी लखनऊ शहर के अमीनाबाद में लगी हुई है उसमें सरकार के किस किस विभाग ने भाग लिया ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

इस प्रदर्शनी में केवल सूचना विभाग का एक प्रचार कक्ष २३ फरवरी से ७ मार्च, १९६३ तक लगाया गया था ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो प्रदर्शनी लगी हुई थी जिसमें सूचना विभाग की तरफ से विभिन्न स्टाल लगाये गये थे, उसमें किस-किस तरह के स्टाल थे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

स्टाल्स में सिर्फ १ था और में १२ पैनल्स थे और १० डिस्पले बोर्ड थे। वह इस प्रकार थे —

(१) शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री का समर्थक भारत ;

(२) पर्वतराज हिमालय की जिन दुर्गम पहाड़ियों को लांघ कर कभी फाहियान और ह्वेनसांग भगवान बुद्ध की भूमि के दर्शन को आये थे, वे पहाड़ियां चीनी तोपों की गड़गड़ाहट से भर गयीं;

(३) हमारी शान्तिप्रियता को चीन ने कमजोरी समझ कर पूरी तैयारी के साथ हमारी सीमा पर हमला किया;

(४) चीन का यह हमला खेत में काम करने वाले निश्चिन्त किसान पर, देश के नव निर्माण पर हुआ;

(५) संकट का सामना करने के लिये राष्ट्र एक हो गया, मतभेद बह गये;

(६) सेना के जवान मोर्चे पर डट गये, मित्र राष्ट्रों ने हमें सहायता दी;

(७) भारी संख्या में हताहत होने पर दुश्मन को होश आया और उसने युद्ध-बन्दी की घोषणा की;

(८) घायल जवानों के लिये रक्त चाहिये, आपका रक्तदान देश की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा;

(९) हथियार के लिये सोना चाहिये, शरीर के आभूषण से मातृ भूमि का शृंगार कीजिये;

(१०) राष्ट्रीय सुरक्षा बांड और गोल्ड बांड खरीदकर राष्ट्र के हाथ मजबूत करें;

(११) अपने कार्य-क्षेत्र में युद्ध प्रयास जारी रखें, संकट के समय हर भारतीय, सैनिक है;

(१२) हर खेत, हर कारखाना, हर कार्यालय युद्ध भूमि है ।

डिस्पले बोर्ड का विवरण इस प्रकार है—

(१) स्वतंत्रता खतरे में है, पूरी शक्ति से उसकी रक्षा कीजिये;

(२) सीमा के सजग प्रहरी; तथा

(३) किला, हर घर, हर मनुज फौलाद ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं उस प्रदर्शनी को देखा था और क्या उनको कहीं पर यह दिखाई दिया कि माननीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक फोटू था और उस पर चीन की फौज हमला करती हुई दिखायी गयी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैंने उस प्रदर्शनी को नहीं देखा था ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उस प्रदर्शनी में एक कक्ष "मां की पुकार" का भी था जिसमें जन-संघ ने अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रचार किया था और ऐसे चित्र प्रदर्शित किये थे जिनसे राष्ट्रीय एकता टूटती थी और जनता का मनोबल भी टूटता था ? क्या सूचना विभाग द्वारा उस स्टाल को हटाने की व्यवस्था की गयी और उसके विरोध में कोई प्रचार किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जब सरकार का ध्यान उस प्रदर्शनी की ओर आमंत्रित किया गया, सरकार ने उचित कार्यवाही की । वह प्रदर्शनी तो करीब एक डेढ़ माह तक रही होगी, पर वे चित्र तो बहुत पहले हटा लिये गये थे । जिन चित्रों का जिक्र है, वे बाद को मुझे देखने को मिले, सी० आई० डी० विभाग द्वारा वे भेजे गये थे, हमारे अधिकारियों ने भी उनको देखा, कई और व्यक्तियों ने भी उनको देखा, उनमें कुछ चित्र आपत्तिजनक थे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह प्रदर्शनी जनसंघ द्वारा आयोजित नहीं थी बल्कि यह विद्यार्थी परिषद् द्वारा आयोजित थी, क्या यह जानकारी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ऐसा मुझे बताया गया कि बहुत से लोग विद्यार्थी परिषद् और जन-संघ को एक ही समझते हैं, उसमें कोई अन्तर नहीं समझते ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ लोग ऐसे भी मिले जो माननीय झारखण्डेराय की तस्वीर को पंडित नेहरू की ही तस्वीर समझते हैं ?

(हंसी—उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो स्टाल सूचना विभाग की तरफ से खरीदा गया था उसके संबंध में प्रदर्शनी करने वालों को कितना रुपया दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सरकार ने तो कुछ नहीं दिया ।

श्री ऊदल—

उन्होंने प्रदर्शनी लगाने वालों को कितना रुपया देकर स्टाल लिया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मेरे पास जो कागजात आये हैं उनमें तो कुछ दिया नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

जैसा कि आपके वक्तव्य में कहा गया है यह प्रदर्शनी विद्यार्थी परिषद् के द्वारा लगायी गयी थी तो इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट को स्टाल लगाने के लिये सूचना किसने दी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

यह जो 'मां की पुकार' की चर्चा है, यह प्रदर्शनी तो बाद को लगी। पहले तो एक इन्डस्ट्रियल एक्जीबीशन लगायी गयी थी और जिसकी इजाजत कारपोरेशन ने दी थी। इत्तफाक से लखनऊ कारपोरेशन जनसंघ के सदस्यों के हाथ में है, यह मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं। उन्होंने प्रदर्शनी करने वालों को पार्क के इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। जो कानून बना हुआ है उसके अनुसार कारपोरेशन को ही इसका अधिकार है कि वे किसी एक्जीबीशन को लगाने अथवा न लगाने की इजाजत दें। बहुत पहले से यह पद्धति चली आती है कि कारपोरेशन अगर किसी को इजाजत देता है तो उसकी इत्तला सिटी मैजिस्ट्रेट को देता है। तो कारपोरेशन ने इजाजत देकर उसकी प्रतिलिपि सिटी मैजिस्ट्रेट को भेज दी उसने भी उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये। कानूनन सरकार को इसमें कोई अधिकार नहीं है, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस प्रकार से इन्डस्ट्रियल एक्जीबीशन लगाने की इजाजत दी गयी। उस समय तक किसी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसमें 'मां की पुकार' नाम का भी कोई स्टाल लगने वाला है। सरकार को तो इस बात की इत्तला भी नहीं थी।

"समाचार भारती" के शेयर्स

*३--श्री नेकराम शर्मा--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि "समाचार भारती" नामक संस्था को सरकार ने कितना रुपया दिया है या देना स्वीकार कर लिया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

शासन ने "समाचार भारती" के कुल ५ लाख रुपये के शेयर्स खरीदने का निश्चय किया है।

*४--श्री नेकराम शर्मा--

क्या यह सही है कि उक्त संस्था अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं है और उसको देने के लिये सरकार ने डेढ़ लाख रुपया बैंक से निकाल लिया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

"समाचार भारती" रजिस्टर्ड है। उसके शेयर्स खरीदने के लिये वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में स्वीकृत डेढ़ लाख रुपये खजाने से निकाला गया है।

गत ४ अप्रैल, को जब यह प्रश्न अल्पसूचित प्रश्न के रूप में आये थे तो पूरी जानकारी उपलब्ध न होने के कारण कुछ अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर ठीक से नहीं दिये जा सके थे। उनके संबंध में पूरी जानकारी मैं सदन को प्रस्तुत कर रहा हूं।

"समाचार भारती" के रजिस्ट्रेशन की तिथि २३ जुलाई, १९६२ है। इसके डायरेक्टरों के नाम इस प्रकार हैं--१--श्री श्रीप्रकाश (अध्यक्ष), २--श्री जयप्रकाश नारायण, ३--श्री गजाधर सोमानी, ४--श्री राधेश्याम रामकुमार मोरारका, ५--श्री मौलि चन्द्र शर्मा, ६--श्री वेद व्यास, ७--श्री मोहन लाल भट्ट, तथा ८--श्री फीरोज चन्द्र।

"समाचार भारती" के शेयर्स खरीदने के लिये वर्ष १९६२-६३ में स्वीकृत डेढ़ लाख रुपये २९ मार्च, १९६३ को खजाने से निकाला गया था और यह धन पहले सूचना विभाग में रखा रहा और बाद में ४ मई, १९६३ को स्थानीय स्टेट बैंक में जमा कर दिया गया है।

श्री नेकराम शर्मा—

पहले जो सदन को उत्तर दिया गया था कि डायरेक्टर गण इस संस्था के कौन-कौन हैं, अभी पता नहीं है, तो क्या यह सही है कि इस संस्था की रजिस्ट्री के पूर्व ही ५ लाख रुपया उनको दे दिया गया था शेयर के लिये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह तो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि पहले सूचना न होने की वजह से जो उत्तर दिया गया था उसको मैंने अब सही कर दिया है जिससे माननीय सदस्यों को ठीक-ठीक बात का पता चल सके ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न और है और उत्तर दूसरा ही दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरा प्रश्न कर लीजिये ।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह सही है कि ५ लाख के शेयर, इस संस्था के रजिस्टर्ड होने के पहले ही सरकार ने खरीद लिये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

पहले खरीदने का सवाल नहीं है । इस संस्था के बारे में केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री ने हमारे पास यह लिख कर भेजा और मुझसे से कहा भी कि उत्तर प्रदेश हिन्दी भाषी प्रदेश है और हमारे यहां कोई हिन्दी की न्यूज एजेन्सी नहीं है, इसलिये उत्तर प्रदेश और अन्य हिन्दी भाषी प्रदेशों को इसे चालू करना चाहिये। श्री फीरोज चन्द जो सर्वेन्ट्स आफ पीपुल सोसाइटी के सदस्य हैं उनके सिर पर यह जिम्मेदारी डाली गयी कि वे हिन्दी न्यूज एजेन्सी की स्थापना करें। माननीय श्रद्धेय टंउन जी भी चाहते थे कि हिन्दी में तथा और रीजनल भाषाओं में भी न्यूज एजेन्सी की स्थापना होनी चाहिये। उस संबंध में जो बातें हुईं उन बातों के अनुसार यह तय पाया कि हिन्दी न्यूज एजेन्सी कायम करने के सिलसिले में उत्तर प्रदेश को भी एक अगुवा का कार्य करना चाहिये और उस संबंध में जब शेयर का प्रश्न उठा तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया कि हम अवश्य इस प्रकार की एजेन्सी के कायम होने में मदद करेंगे और उसके लिये ५ लाख के शेयर जो संस्थापक गण चाहते हैं उसके लगाने का प्रबन्ध करेंगे ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

हम साफ-साफ यह जानना चाहते हैं कि इस एजेन्सी के निबन्धन की तिथि क्या है और इस संस्था को जो धनराशि हस्तान्तरित की गयी, उसकी तिथि क्या है, माननीय मंत्री जी इससे सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—

अभी वह धनराशि उनके पास पहुंची नहीं है, अभी तो वह बैंक के पास है । केन्द्रीय सरकार से उनको मदद की सूचना अभी हमें नहीं मिली है। सूचना मिलने पर वह धनराशि उनको दे दी जायगी । स्टेट बैंक आफ इंडिया में डेढ़ लाख रुपया निकाल कर रख लिया गया है। यदि वह रुपया २९ मार्च, तक निकाल नहीं लिया जाता तो लैप्स हो जाता और फिर हमें लेजिस्लेचर के सामने आना पड़ता । इसलिये वह रुपया स्टेट बैंक आफ इंडिया में जमा है, उनके हाथ में नहीं गया है। केन्द्रीय सरकार से मदद की इत्तला हमें मिल जायगी तो वह रुपया उनको हस्तान्तरित कर दिया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि भारत में कोई हिन्दी न्यूज एजेंसी नहीं थी लेकिन पहले ही से यहां एक हिन्द समाचार नाम की हिन्दी न्यूज एजेन्सी काम कर रही है और उसको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इमदाद भी मिलती है । अगर हिन्दी न्यूज एजेन्सी को प्रोत्साहन देना ही उत्तर प्रदेश की सरकार का उद्देश्य है तो हिन्द समाचार एजेन्सी को प्रोत्साहन न देकर एक नयी संस्था को प्रोत्साहित क्यों किया गया, इस पर माननीय मंत्री जी जरा प्रकाश डालेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। जिस एजेन्सी की चर्चा अभी उन्होंने की है, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार ने यह महसूस किया कि देश की ऐसी संस्था जिससे देश के ऐसे व्यक्ति संबंध रखते हों जिनका किसी पार्टी विशेष से संबंध न हो, जिनका किसी खास पार्टी आदि से संबंध न हो, उस प्रकार की संस्था को प्रोत्साहन दिया जाय और उसे रुपये की भी सहायता दी जाय ।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि वह डेढ़ लाख रुपया किसके नाम से निकाला गया और फाइनेंशियल हैन्ड बुक में जो रूल है उसके विरुद्ध उसे स्टेट बैंक में क्यों जमा कराया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वह रुपया डाइरेक्टर आफ इनफार्मेशन के खजांची के पास था। अब वह स्टेट बैन्क आफ इंडिया में जमा किया गया है।

श्री नेकराम शर्मा—

किस नाम से जमा किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

डाइरेक्टर आफ इनफार्मेशन के नाम से जमा होगा ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या नये बोर्ड के ६ डाइरेक्टर्स में कोई किसी दल से संबंध रखता है या नहीं, यह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कम से कम एक तो बड़ा व्यक्ति उसमें ऐसा है जो किसी दल से संबंध नहीं रखता है । वही इस बात को सिद्ध कर देगा कि यह संस्था निर्दलीय है ।

[२६ सितम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़ जिले में उद्योग-धंधे

*१—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत राजकीय सहायता प्राप्त लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग तथा व्यक्तिगत चलाये जाने वाले कार्य अब तक चल रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री के सभा-सचिव (श्री वीरसेन)—

आजमगढ़ जिले में राजकीय सहायता प्राप्त लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयां अधिकांशतः कार्य कर रही हैं और कुछ ने या तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया या बन्द कर दिया है । ऐसी इकाइयों के कार्य प्रारम्भ न करने या बन्द करने के विभिन्न कारण हैं जिनमें मुख्यतः कच्चे माल का न मिलना, प्रबन्ध में दुर्व्यवस्था, अनुभव की कमी, आपसी मतभेद व झगड़े आदि हैं ।

जहां तक व्यक्तिगत चलाये जाने वाली औद्योगिक इकाइयां जिन्हें सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त है, का संबंध है उनके विषय में शासन के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री सुरजनराम विशारद—

क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि वे कौन-सी संस्थायें हैं जो कार्य नहीं कर रही हैं और उनके जिम्मे सरकार का कितना रुपया है ?

श्री वीरसेन—

सिर्फ ६४ संस्थायें, इकाइयां, ऐसी हैं जो काम नहीं कर रही हैं ।

श्री सुरजनराम विशारद—

उनके जिम्मे सरकार का कितना रुपया बाकी है और उसकी वसूली के लिये सरकार क्या कर रही है ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—

यह तो बहुत व्यौरे की चीज होगी कि कितना रुपया उनके पास है । लेकिन सरकार ने प्रान्त भर में यह आर्डर कर दिया है कि ऐसा रुपया वसूल किया जाय और ज्यादातर रुपया बतौर लैन्ड रेवेन्यू के वसूल हो रहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या वहां सरकार कच्चा माल और अनुभव वाले लोग भेजने का प्रबन्ध करेगी क्योंकि इन्हीं के अभाव से यह काम नहीं चला ?

श्री फूलसिंह—

पूर्वी क्षेत्रों को उद्योग की ओर बढ़ाने के लिये इन बातों पर ध्यान दिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

ऐसा रुपया किस्तों में वसूलने का आदेश गया है या एक बार ?

श्री फूलसिंह—

यह तो मुआहदे में लिखा होता है और आमतौर से किस्तों में होता है । लेकिन जो काम नहीं करते हैं या किस्त नहीं देते हैं उनसे तमाम रुपया एक बार वाजिब हो जाता है।

वाराणसी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सुरक्षा कोष के लिये रसीदें छपवाना

*२—श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिला कांग्रेस कमेटी ने अपनी रसीद स्वयं छपा कर सुरक्षा कोष के नाम पर चन्दा वसूल किया है ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री वंशीधर पान्डेय)—

जी हां ।

*३—श्री उमाशंकर तिवारी—

अगर हां, तो कितनी रसीदें छपीं जिसमें कितनी कटीं और कितनी सादी रह गईं उनका सरकार को हिसाब दिया, उन रसीदों पर कितना रुपया वसूल किया गया और वह सब सुरक्षा कोष में अब तक जमा हुआ कि नहीं ?

श्री बंशीधर प्राण्डेय—

कुल ३३० रसीद बुक (फार्म सं० १ से ९,००० तक) छपीं जिनमें से रसीद संख्या १ से ८२७५ तक कांग्रेस के ९६ मंडलों में वितरित की गयीं तथा ७२५ रसीदें (फार्म) स्टाक में शेष हैं ।

कुल कितनी रसीदें कटीं तथा कितनी सादी रह गईं इसका पूर्ण विवरण रसीद बहियों के वापस आने पर ही दिया जा सकता है ।

अब तक कुल ७९,६५५.२९ रुपया जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सुरक्षा कोष में जमा किया गया है ।

श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्यपाल ने यह अध्यादेश जारी किया था कि कोई अपने प्रेस की रसीदें छपवाकर सुरक्षा कोष का चन्दा वसूल न करे ?

विद्युत उप मन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया । यह सूचना दी गई थी कि जो कोई रुपया दे वह सरकारी रसीदों पर ही दे ।

श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या सरकारी आज्ञा के बावजूद भी जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी ने अपनी रसीदों पर चन्दा वसूल किया और उसकी सूचना जिलाधीश को दी और उसकी मुहर उन रसीदों पर करा ली ?

श्री चन्द्रभान् गुप्त—

इस बात की तो कोई सूचना नहीं है । शुरू में बहुत-सी जगहों पर लोगों ने अपनी रसीदों पर रुपया लिया, लेकिन उनका फर्ज है कि वह जिलाधीश को हिसाब व रुपया दें और सिद्ध करें कि सही-सही रुपया जमा कर दिया गया है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बात सत्य है कि इस प्रदेश में बनारस जिला कांग्रेस कमेटी ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने सुरक्षा कोष में सबसे अधिक धन एकत्र करके और सही-सही हिसाब देकर जमा किया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह बात सही है कि बनारस जिला कांग्रेस कमेटी ने काफी प्रयास सुरक्षा कोष में रुपया जमा करने का किया । उनका यह पहला प्रयास था । जैसा मैंने कहा, उन्होंने ६९,००० रुपया जमा किया था ।

श्री उमाशंकर तिवारी---

सरकार का आदेश निकलने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाधीश को सूचना दी या नहीं और उस समय जिला कांग्रेस कमेटी के महामन्त्री सरकार के एक सभा सचिव थे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

उमाशंकर जी ने जो कहा, अध्यक्ष जी, ज्यों ही यह बात मालूम हुई कि वहां के सभापति जी ने जिलाधीश भाटिया से बात करके सारा रुपया जो जमा हुआ था उसका हिसाब देकर सरकारी रसीद प्राप्त कर ली। जिलाधीश और उनके बीच सारा हिसाब-किताब हो चुका होगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---

जिस प्रकार की चर्चा बनारस के बारे में हो रही है इस तरह की शिकायत या समाचार सरकार को प्रदेश के अन्य जिलों से भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किन जगहों से ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

शिकायत का कोई सवाल नहीं है, बल्कि वहां की तारीफ हो रही है। उन्होंने सरकारी रसीद ले ली।

श्री उमाशंकर तिवारी---

मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---

मैं सरकार को मजबूर नहीं कर सकता कि वह कैसे या क्या जवाब दे। आप पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस देख लीजिये।

श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)---

क्या यह सही है कि नेशनल डिफेंस फंड स्कीम के प्रथम चरण में सरकारी रसीदों के न रहने के कारण बहुत से दलों के लोगों ने राष्ट्रीय हित को सामने रखते हुए अपनी-अपनी रसीदें छपवा कर रुपया वसूल कराया ? यदि हां, तो क्या उन दलों ने अपना हिसाब जिलाधीश को दिया या नहीं दिया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

तमाम दलों के बारे में तो हम नहीं कह सकते कि किसने कितनी रसीदें छपवायीं और कितना रुपया वसूल किया, लेकिन हमारा यह आदेश जिलाधीशों को गया था और हमने यह प्रेस विज्ञप्ति दी थी कि सुरक्षा कोष का सब रुपया सरकारी रसीदों के द्वारा दिया जाय। इस आदेश में कहीं भी यह नहीं था कि कोई भी आदमी प्राइवेट रसीदें छपवा कर रुपया वसूल नहीं कर सकता या यह जुर्म है। इस आदेश से पहले बहुत-सी संस्थाओं ने राष्ट्रीय संकट से प्रभावित हो कर अपनी रसीदें छपवा कर रुपया वसूल करना आरम्भ कर दिया था। बनारस जिला कांग्रेस कमेटी भी ऐसी थी, जब उन को पता चला कि ऐसा आदेश हुआ है तो उन्होंने जो रुपया इकट्ठा किया था उसे सरकार के खजाने में जमा करके रसीद ले ली।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

जिलाधीश ने जो रसीदें पेश कीं वह पहले की तारीख की थीं और दूसरी रसीदें जो कांग्रेस कमेटी की तरफ से पेश हुईं वह बाद की हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि सरकारी रसीदें नहीं बनी थीं, इसलिये वह वसूली कर रहे थे और इसका कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अभी इस बात की सूचना हमारे पास नहीं आई है कि कितना रुपया उन्होंने अपनी छपाई हुई रसीदों पर वसूल किया है और उस का सब ब्योरेवार हिसाब दिया या नहीं। अभी आदश गये हैं कि वह ब्योरेवार हिसाब जो रुपया वसूल किया है उसकी जानकारी प्राप्त कर के सरकार के विभाग को इत्तला दें जो विभाग इस चन्दे को डील कर रहा है।

श्री रामायणराय—

जब उन से यह पूछा गया कि कितनी रसीदें छपाई गयी हैं तो उत्तर यह मिला कि चूंकि अभी तक रसीदें नहीं आई हैं इसलिये उनके बारे में ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी की घोषणा के बाद, राजाज्ञा के विपरीत आचरण करने वालों को क्या सख्त से सख्त दण्ड दिया जायगा और क्या उन से पूछा जायगा कि उन्हें अभी तक उन रसीदों को वापस करने में क्या कठिनाई है? सुरक्षा कोष के इस अहम सवाल को देखते हुए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि तत्काल ऐसी रसीदों को एकत्र कर के सदन को अवगत कराया जायगा कि कितनी रसीदें छपाई गयीं और कितना रुपया इकट्ठा हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

रसीदें कितनी छपीं और कितनी कहां-कहां भेजी गयीं, इसकी सूचना उप-मन्त्री जी ने पढ़कर सुना दी।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

मन्त्री जी ने कहा कि हिसाब अभी पूरा नहीं आया है, परन्तु मैं जानना चाहता हूं जब बनारस सरकारी रसीदें पहुंच गयी थीं उसके बाद भी क्या इन गैर-सरकारी रसीदों पर रुपया वसूल किया गया उस तिथि के बाद जब सरकारी रसीदें पहुंच गई थीं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इसका तो मेरे पास सूचना नहीं है, लेकिन यह बात तो सही है कि बहुत-सी गैर-सरकारी संस्थाओं ने अपनी रसीदों के द्वारा रुपया जगह-जगह पर इकट्ठा किया और बहुतों न अपना रुपया जैसा आदेश था उसके अनुसार ब्योरे के साथ समय-समय पर सरकारी खजानों में जिलाधीश के द्वारा जमा किया और ये संस्थाएं भी, रुपया जो आया है और जितना इकट्ठा हुआ है उसको सरकारी रसीदों के द्वारा जमा करती रही हैं। यह सही है कि रुपया जिला कांग्रेस कमेटी की रसीद पर पहले इकट्ठा हुआ और इसमें कोई अचम्भे की बात नहीं है। मैं बता दूं कि प्रारम्भ में जब रसीद नहीं छपी थीं और मेरे पास रुपया आने लगा, माननीय सदस्यों ने भी दिया वह मैंने एक अलग एकाउन्ट में जमा किया और अनौपचारिक ढंग से रसीदें भी दीं। बाद में डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेन्स को मय उस किताब के जो बैंक की थी तथा जितना धन था ब्योरे और रसीदों के साथ दे दिया। इसलिये जहां गैर-सरकारी संस्थाओं ने रुपया जमा किया उनका कर्तव्य है कि वे जिलाधीश को जितनी रसीदें छपी हैं और रुपया इकट्ठा हुआ है उसका ब्योरा दे दें। जो काम उन्होंने किया उसको अगर कन्डेम करें तो यह बात सही नहीं है। कुछ लोगों ने चन्दा इकट्ठा करने में दिलचस्पी ली और अनावश्यक आपत्तियां फिर उनके कंडक्ट पर उठाये यह न तो सही नीति है और न इसस सार्वजनिक जीवन को कोई प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

श्री नेकराम शर्मा—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आपकी उपस्थिति में सदन में यह घोषणा की थी कि कोई भी गैर-सरकारी संस्था या व्यक्ति चन्दा नहीं करेंगे, केवल सरकारी रसीदों पर ही चन्दा वसूल किया जायगा, माननीय बंशीधर पांडेय जी ने भी यह आदेश यहां पर सुना और वह जिला कांग्रेस

कमेटी के सेक्रेटरी थे, तथा जो व्यक्ति इस आदेश के खिलाफ चन्दा इकट्ठा करेगा उसके खिलाफ कठिन कार्यवाही होगी। तो क्या इस घोषणा के बाद भी बनारस जिला कांग्रेस कमेटी ने रसीदें छपवायीं जिनकी शिकायत वहां की कमेटी के कुछ सदस्यों ने की थी कि इस तरह से रुपया इकट्ठा किया जा रहा है और हजम किया जा रहा है। क्या इसकी जांच हुई ? अगर हां, तो क्या रिपोर्ट है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जब एक आध मित्र का पत्र इस तरह का आया तो जिलाधीश से कहा गया कि वह जिला कमेटी से हिसाब का ब्यौरा ले लें। मुझे ऐसा बताया गया है कि जिला कांग्रेस कमेटी या तो हिसाब का ब्यौरा जिलाधीश को दे चुकी है या देने जा रही है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने एक सदस्य के प्रश्न के उत्तर में सरकार का उत्तर पाया और उनके एतराज पर यह कहा कि सरकार अगर कोई रेलीवेंट उत्तर न दे, वह जैसा भी उत्तर देती है, तो मैं क्या करूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा 'मेरी सूचना यह है कि या तो उस कमेटी ने यह हिसाब दे दिया है या देने वाली है' इस तरह का उत्तर क्या श्रीमन्, आप एलाऊ करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जाहिर है कि इस तरह का उत्तर, उत्तर नहीं है। इससे मैं यह अन्दाजा लगाता हूं कि जो प्रश्न आप कर रहे हैं उसकी सूचना मुख्य मन्त्री जी को नहीं है। इसलिये जो बात आप जानना चाहते हैं उसकी सूचना मुख्य मन्त्री जी को नहीं है तो आप फिर से सवाल कर सकते हैं।

श्री उमाशंकर तिवारी—

जब मुख्य मन्त्री जी ने सदन में यह घोषणा कर दी कि कोई गैर-सरकारी आदमी अपनी रसीदों पर रुपया वसूल नहीं कर सकता तो श्री बंशीधर पांडेय जो जिला कांग्रेस कमेटी के मन्त्री हैं क्या उन्होंने इसकी सूचना जिलाधीश को दी कि जिला कांग्रेस कमेटी ने रसीदें छपवाई हैं और उन पर वह चन्दा वसूल कर रहे हैं और उस पर जिलाधीश के क्या आदेश हुए ? अगर जिलाधीश ने आदेश दे दिये तो किस तारीख को दिये और फिर उनकी रसीदों पर चन्दा वसूल किया गया या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इत्तला तो उनको भी होगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिला कमेटियां जो बनी थीं सुरक्षा कोष के सम्बन्ध में उनमें एम० एल० एज, एम० एल० सीज भी थे, अन्य पार्टियों के सदस्य भी थे, कुछ स्थानों पर विभिन्न दलों के प्रतिनिधि भी थे। इसलिये हर दल को इस बात की सूचना होगी कि प्रदेशीय सरकार की इच्छा यह है कि चन्दा जितना इकट्ठा हो वह सब उन रसीदों पर हो जो कि कमेटियों द्वारा छपवाई गयी हों जिनका निर्माण जिले के स्तर पर जगह-जगह पर किया गया था।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

कांग्रेस के अलावा और दूसरी पोलिटिकल पार्टीज कौन हैं जिन्होंने अपनी रसीदें छपवाईं और उन पर रुपया वसूल किया ? यदि किया तो कितना रुपया वसूल किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह ब्यौरा तो मैं नहीं बतला सकता। वैसे कई स्थानों पर रुपया इकट्ठा किया गया और महज रसीदों द्वारा ही नहीं, बल्कि और तरह के कार्य करके भी डिफेन्स कोष के लिये रुपया

वसूल किया गया। किसी ने एग्जीबीशन की, किसी ने शो किया। इस तरह से विभिन्न दलों और विभिन्न व्यक्तियों ने रुपया इकट्ठा करने की कोशिश की।

श्री उमाशंकर तिवारी—

मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। जो जवाब सरकार की तरफ से मिला वह हम लोगों ने सुना। उनसे जो अन्दाज आप चाहे निकाल सकते हैं। बार-बार उन सवालों को दोहराने से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

श्री उमाशंकर तिवारी—

जिला कांग्रेस कमेटी अपनी तरफ से रसीदें छपवा कर अभी तक पैसा वसूल कर रही है और वहां लाखों रुपये का गबन हुआ है। तो क्या सरकार इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं निराधार आपत्तियों का तो उत्तर नहीं दे सकता। अगर सरकार को यह शक होता है कि कहीं गबन हुआ है या रुपया खाया गया है तो सरकार अवश्य उसकी जांच कराती है और जांच करने के लिये आदेश देती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कांग्रेस कमेटी, बनारस ने कब अपनी रसीद बहियां छपवायीं और माननीय मुख्य मन्त्री का सदन में कब भाषण हुआ कि इस प्रकार की रसीद बहियां न छपवा कर सरकारी रसीद बहियों पर ही रुपया वसूल किया जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह सूचना तो सरकार के पास नहीं है, लेकिन सदन की जानकारी के लिये अगर आप आज्ञा दें तो कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ने जिलाधीश, वाराणसी को जो पत्र लिखा था उसको मैं पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—

हां, हां, पढ़ दीजिये।

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर आप एक पत्र पढ़ने की इजाजत देते हैं तो जो शिकायतें आयी हैं वे पत्र भी आपको पढ़ाने पड़ेंगे। जो और पेपर्स इस फाइल में हैं या तो आप उन सब को पढ़वाइये वरना अगर एक की आप आज्ञा दें और अन्य की न दें तो यह नियमों का उल्लंघन होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नियम ५३ में एक घंटे की बहस करा दीजिये, कांग्रेस कमेटी चोरी कर रही है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वे आपसे कम स्थान नहीं रखते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आपने आदेश दिया एक पत्र पढ़ने का। मैंने इससे पूर्व प्रश्न किया था कि जो शिकायतें आयी हैं वे पत्र भी फाइल में मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष—

वे यह बतायेंगे कि क्या कार्यवाही की गयी और जब यह सूचना मिली तो कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाधीश को क्या लिखा गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैंने तो सवाल यह किया था कि किस तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी, वाराणसी ने रसीद बहियां छपवायीं और किस तारीख को माननीय मुख्य मन्त्री का आदेश जिलाधीशों को गया कि अन्य रसीदों पर चन्दा वसूल न किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस वक्त मुझे तारीख तो याद नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय मुख्य मन्त्री जी कृपया यह बतायेंगे कि इस सदन में नियम ५० (१) के अन्तर्गत यह चर्चा की गयी कि इस प्रदेश में चन्दा वसूली के सिलसिले में गड़बड़ी हो रही है और उसमें बनारस का खासतौर से जिक्र किया गया था जिसके सिलसिले में मुख्य मन्त्री जी ने उत्तर दिया था कि कोई गड़बड़ी अगर होगी तो उसकी जांच करा ली जायगी और आज का उत्तर है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस सिलसिले में वह कोई जांच करायेंगे या नहीं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कोई जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सरकार किसी को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखती। सिर्फ कांग्रेस के किसी संगठन ने कहीं रसीद छपा ली हो तो उस संगठन के लिये कोई अनोखी बात नहीं है। लखनऊ में जिस प्रदर्शनी की चर्चा की गयी है, बार-बार जिसका सवाल उठा है वह भी अपनी घोषणा के अनुसार सुरक्षा कोष के लिये चन्दा इकट्ठा करने के लिये की गयी थी, लेकिन उससे कितना रुपया मिला यह हमें अभी पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय बढ़ाया नहीं जाता। समय समाप्त हो गया, अब आप बैठ जाइये।

शहर कोतवाली मेरठ में सत्यवती के अपहरण की रिपोर्ट

*४—श्री जगदीशशरण रस्तोगी (जिला मेरठ)—

क्या गृह मन्त्री को मालूम है कि मोहल्ला ठटेरवाड़ा, शहर मेरठ में जनवरी, १९६३ के दूसरे सप्ताह में एक १३ वर्षीय लड़की का हरण किया गया है ? क्या इसकी नामजद रपट शहर कोतवाली मेरठ में दर्ज है ? यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

नियोजन मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

दिनांक १४–१–६३ को थाना कोतवाली में एक लड़की कु० सत्यवती के गुम होने की सूचना दी गयी थी। इसके पश्चात् दिनांक १५–२–६३ को इस लड़की के भगाये जाने के सम्बन्ध में दूसरी नामजद सूचना अंकित कराई गई जिसके आधार पर धारा ३६३ भा० दं० वि० का मुकदमा कायम किया गया। इस केस के सब अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और लड़की भी बरामद कर ली गई है। तफतीश शीघ्र समाप्त करके अभियुक्तों के चालान होने की आशा है।

*५—श्री जगदीशशरण रस्तोगी—●

क्या सरकार को ज्ञात है कि इसी प्रकार की एक और घटना चन्द महीने पहले किशनपुरा (निकट मेरठ शहर रेलवे स्टेशन) में भी घट चुकी है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां।

*६—श्री जगदीशशरण रस्तोगी—

इस प्रकार बढ़ती हुई अराजकता को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस प्रकार की घटनाओं में कोई विशेष अपहरणकर्ताओं का होना नहीं पाया जाता। अतः सरकार द्वारा विशेष कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, बाजपुर

*७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री बाजपुर (नैनीताल) को सन् १९६१–६२ के वर्ष में कितना मुनाफा अथवा घाटा हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस मिल को निर्दिष्ट वर्ष में रु० २,९२,०२१.२४ का मुनाफा हुआ।

*८—श्री रियासत हुसैन—

यदि उपरोक्त कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री को सन् १९६१–६२ आर्थिक वर्ष में घाटा हुआ है, तो घाटा होने के मुख्य कारण क्या हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जिले में कथित अवैध हथियारों की बरामदगी

*९—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा से २५ मील दूर पर्वत पुरवा नामक स्थान पर पुलिस द्वारा २४ फरवरी, १९६३ को अथवा उसके आसपास रेल से कुछ औजार तथा भारी तादाद में पिस्तौल तथा बन्दूक बनाने के काम में आने वाला सामान बरामद किया गया है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। पुलिस द्वारा ऐसा कोई सामान बरामद नहीं किया गया।

*१०—श्री मतोलासिंह—

यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

*११—क्या कोई व्यक्ति बन्दी बनाया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ये प्रश्न नहीं उठते।

वेस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक पावर ऐंड सप्लाई कम्पनी, इटावा का स्पष्टीकरण

*१२—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

क्या मुख्य मन्त्री प्रथम सत्र (१९६२) के १५वें गुरुवार के प्रश्न संख्या १५७ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, इटावा से जो स्पष्टीकरण मांगने का आश्वासन दिया था, मांगा गया ? यदि हां, तो क्या स्पष्टीकरण आया है और सरकार उस सिलसिले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वेस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक पावर ऐंड सप्लाई कम्पनी ने स्पष्टीकरण दिया है कि सरकारी आदेश दिनांक ५ अगस्त, १९५० के अनुसार सरचार्ज उपभोक्ताओं द्वारा क्रय की गई बिजली (all sales to consumers) पर लिया जाता था। चूंकि, उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम बिजली खर्च करने पर न्यूनतम मात्रा का दाम देना पड़ता है, इसलिये सरचार्ज न्यूनतम पर वसूल किया गया और वसूल की गई रकम सरकार को और तत्पश्चात् राज्य विद्युत् परिषद् को दे दी गई। सरचार्ज का लिया जाना अब १ जुलाई, १९६२ से समाप्त भी हो गया है।

कम्पनी द्वारा स्पेशल रिबेट (special rebate) का प्रश्न भिन्न है। इस रिबेट को कम्पनी ने इसलिये दिया कि जिससे उसका लाभ इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट में निर्धारित सीमा से बढ़ने न पावे।

डी० एस० पी० कम्प्लेंट, हमीरपुर को प्रार्थना-पत्र

*१३—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर के अन्तर्गत डी० एस० पी० (कम्प्लेंट) को १ जनवरी, १९६२ से १ दिसम्बर, १९६२ तक भ्रष्टाचार सम्बन्धी कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ? उनमें कितने प्रार्थना-पत्रों की जांच हुई तथा कितनों के प्रार्थना-पत्र सही पाये गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला हमीरपुर से सम्बन्धित डी० एस० पी० (कम्प्लेंट) को १ जनवरी, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुल ३६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इन सभी प्रार्थना- पत्रों पर जांच की गई। जांच से केवल ५ प्रार्थना-पत्र सही पाये गये। ३ मामलों में सम्बन्धित कर्मचारियों को आवश्यक सजाएं दे दी गई हैं। एक मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करने हेतु पत्रादि सम्बन्धित विभाग को भेज दिये गये हैं। एक मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती

*१४—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

बस्ती शहर राजा मैदान में जो औद्योगिक शिक्षण केन्द्र है, उसमें किन-किन चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है और प्रत्येक लाइन में कितने शिक्षार्थी हैं ?

श्री फूलसिंह—

राजकीय प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र राजा मैदान, पुरानी बस्ती में निम्नलिखित चार शिल्पकलाओं म प्रशिक्षण दिया जाता है तथा शिक्षार्थियों की संख्या निम्नलिखित है :—

१—काष्ट कला	१४
२—लौह कला	१३
३—फिटर-कम-मेकैनिक	१७
४—महिला सिलाई	१८

*१५—श्री श्यामलाल—

क्या इसमें सभी ट्रेंड शिक्षार्थियों को वजीफा मिल गया है ? अगर नहीं, तो क्यों और कब तक मिल जायगा ?

श्री फूलसिंह—

महिला सिलाई कक्षा के शिक्षार्थियों को छोड़ कर शेष सभी शिल्पकलाओं के शिक्षार्थियों को वजीफा मिल गया है। दूधी और जौन्सार भावर क्षेत्र के सिलाई कक्षाओं को छोड़कर सभी सिलाई कक्षाओं में इस वर्ष से वजीफा देना बन्द कर दिया गया है।

हाइडिल विभाग में प्रोमोशन

*१६—श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाइडिल विभाग में १ जनवरी, १९६१ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक कितने एस० बी० ए० विभागीय परीक्षा पास करने के आधार पर और कितने सीनियारिटी के आधार पर प्रोमोट हुए हैं ? इन प्रोमोट किये गये लोगों की डेट आफ पर्मानेंट एप्वाइन्टमेंट अलग-अलग बताने की कृपा करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

हाइडिल विभाग में १ जनवरी, १९६१ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक एस० बी० ए० के पद पर ३ व्यक्ति विभागीय परीक्षा के आधार पर तथा १४ सीनियारिटी के आधार पर प्रोमोट किये गये हैं। ये सब अभी अस्थाई हैं अतः उनकी अलग-अलग डेट आफ पर्मानेंट अप्वाइन्टमेंट बताने का प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर जिले में विभिन्न अपराध

*१७—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में जनवरी, १९६२ से अब तक कितने मामले हत्या, आत्म-हत्या, चोरी, डकैती के हुए ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जौनपुर जिले में जनवरी, १९६२ से अब तक (१०-९-६३) हत्या, आत्म-हत्या, चोरी व डकैती के क्रमशः ४३,१३,१७१५ व २० मामले दर्ज किये गये।

इटावा जिले में लकड़बग्घों का आतंक

*१८---श्री सहदेवसिंह---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कितने व्यक्ति या बच्चे १ जून, १९६२ से अब तक लकड़बग्घों द्वारा मारे या घायल किये गये हैं? इन लकड़बग्घों का मारने के लिये सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

५ बच्चे लकड़बग्घों द्वारा मारे गये। इनके अतिरिक्त कोई व्यक्ति लकड़बग्घों द्वारा घायल नहीं हुआ।

लकड़बग्घों को मारने के लिये जिलाधीश ने थानाध्यक्षों को आदेश प्रसारित कर दिये हैं। कंजड़-शिकारियों को लकड़बग्घों को मारने के लिये नियमानुसार पारितोषिक देने का भी आयोजन है।

मुरादाबाद जिले में फायर आर्म्स की जब्ती

*१९---श्री रियासत हुसैन---

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले में दिनांक १ जनवरी, १९६१ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक किन-किन लोगों के फायर आर्म्स जब्त किये गये और किन-किन कारणों से ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५२३ पर)

मैनपुरी में बिजली का वितरण

*२०---श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिलाधीश, महोदय ने सन् १९६२ में कितने हार्स पावर बिजली कारखाने लगाने के लिये कितने व्यक्तियों को वितरण की है और कितने व्यक्तियों ने अपने कारखाने लगाकर उस बिजली (पावर) को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और कितनों ने नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

सन् १९६२ में जिलाधीश, मैनपुरी ने ६७५ हार्स पावर बिजली कारखाने लगाने के लिये ६७ व्यक्तियों को वितरित की। इनमें से ४८ व्यक्तियों ने कारखाने लगा कर बिजली का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। १९ व्यक्तियों ने अभी बिजली नहीं ली। इनमें से पांच ने बिजली लेने के लिये आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली है और शेष १४ व्यक्तियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

सूचना मन्त्री तथा वन मन्त्री के दौरे पर व्यय

*२१---श्री विजयसिंह---

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना मन्त्री तथा वन मन्त्री ने १ अप्रैल, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक सरकारी काम से कहां-कहां दौरा किया और दौरे का पृथक्-पृथक् कितना भत्ता प्राप्त किया तथा कितने उद्घाटन कार्य किये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

भूतपूर्व सूचना मन्त्री तथा वन मन्त्री ने १ अप्रैल, सन् १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक जिन-जिन जगहों का दौरा किया और उन दौरों पर जितना व्यय हुआ उसकी सूचना† सदन की मेज पर रख दी गयी है। नियमानुसार मन्त्रियों को दौरे का भत्ता कुछ नहीं मिलता। केवल वास्तविक व्यय दिया जाता है। दौरे के कार्यक्रम के विवरण देने की भी नियमित आवश्यकता नहीं है। अतः उद्घाटन सम्बन्धी सूचना देना सम्भव नहीं है।

मथुरपुर ग्राम समाज के प्रधान का पुलिस कप्तान, रायबरेली को प्रार्थना-पत्र

*२२—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली, थाना सरेनी के ग्राम समाज मथुपुर के प्रधान श्री सुर्जबलीसिंह ने गंगा के कछार की भूमि पर गत वर्ष दफा १४५ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, माल विभाग दीवानी से जीतकर कब्जा पा लिया था, परन्तु हारे हुए व्यक्ति कुछ गुंडों की मदद से हरी कच्ची फसल काटने लगे जिस पर सभापति ने १८८ आई० पी० सी० की कार्यवाही के लिये एक प्रार्थना-पत्र हाल ही में पुलिस कप्तान रायबरेली को दिया था? यदि हां, तो किस तारीख को और उसमें क्या कार्यवाही हुई?

*२३—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त भूमि की जांच किस-किसने की और किस गांव में जाकर तथा किस तारीख में और जांच का समय क्या था? जांच के समय प्रार्थना-पत्र देने वाले तथा उस भूमि के पट्टेदार मौजूद थे या नहीं? यदि नहीं, तो जांच कैसे हुई? यदि हां तो पट्टेदारों के नाम क्या हैं?

*२४—क्या यह सही है कि अधिकारीगण ने दफा १८८, आई० पी० सी० की कार्यवाही करने के बजाय, जवार के व्यक्तियों के खिलाफ १०७/ ११७ की कार्यवाही की? यदि हां, तो किस आधार पर और किसकी रिपोर्ट पर?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

फायर स्टेशनों का स्टाफ

*२५—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के जो-जो फायर स्टेशन सरकार के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं उनको सरकार ने कब-कब अपने नियंत्रण में लिया और क्या सरकार के नियंत्रण में आने के बाद उन फायर स्टेशनों के स्टाफ में कोई बढ़ोत्तरी हुई है?

श्री हरगोविन्द सिंह—

उत्तर प्रदेश में जो-जो फायर स्टेशन सरकार के नियन्त्रण में हैं उन्हें सरकार ने १९४४ में अपने नियन्त्रण में लिया। प्रश्न के द्वितीय भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है।

*२६—श्री सत्यनारायण पांडेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार आग लगने की दुर्घटनाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए उक्त फायर स्टेशनों के स्टाफ में बढ़ोत्तरी करने के प्रश्न पर विचार करेगी?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हरगोविन्दसिंह---

उक्त फायर स्टेशनों के स्टाफ की वृद्धि के प्रश्न पर विचार करके सरकार ने स्टाफ की वृद्धि के आदेश जुलाई, १९६३ में दिय हैं। इस प्रश्न पर पुनः इतना शीघ्र विचार करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

कानपुर क्षेत्र में मोटर दुर्घटनाएं

*२७---श्री मतोलासिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज रीजन, कानपुर में १ अप्रैल, १९६२ से २८ फरवरी, १९६३ तक बसों तथा लारी व ठेलों द्वारा कुचल जाने से मनुष्यों की कितनी मौतें हुईं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

कानपुर रीजन में इस अवधि में बसों, लारियों व ठेलों द्वारा कुचल जाने से क्रमशः १७, १८ व ६५ व्यक्तियों की मृत्युएं हुई।

*२८---श्री मतोलासिंह---

क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार की अधिकतर मौतें बाहनों की तेज रफ्तार के कारण होती है ? क्या सरकार ऐसा नियन्त्रण लागू करने पर विचार करेगी कि आबादी के अन्दर ६ मील प्रतिघंटा से अधिक स्पीड पर चलने वाले ड्राइवर को दण्ड दिया जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

ऐसी घटनाएं वाहनों की तेज रफ्तार, चालकों तथा सड़क पर चलने वाले लोगों की असावधानी तथा सड़कों पर अधिक ट्राफिक के कारण होती हैं। शहर में साधारणतया ६ मील प्रति घंटा की रफ्तार से वाहनों का चलना कठिन हो जायगा, जिससे सड़कों पर और अधिक ट्राफिक इकट्ठा होगी और दुर्घटनाएं बढ़ेंगी।

थाना मरदह के कांस्टेबिल के खिलाफ कार्यवाही

*२९---श्री झिलमिट राम (जिला गाजीपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ मार्च, १९६३ को जब मरदह बाजार, गाजीपुर की जनता स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के निधन से शोक मग्न होकर बाजार बन्द किये हुए थी उस समय मरदह थाने के किसी कर्मचारी ने नशा पान कर उक्त बाजार के चौराहेपर एक आइसक्रीम बेचकर लौटते हुए व्यापारी को मार कर इतना आहत किया कि उसे चलने की शक्ति नहीं रह गयी और बाजार के नागरिकों ने उसे उठाकर अस्पताल में भर्ती किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

१-३-३ को श्री भोलाराम नामक एक व्यापारी को जो आइसक्रीम बेंचकर लौट रहा था थाना मरदह के एक सिपाही ने मरहद बाजार में लात, मुक्के व बेंत से मारा। कुछ व्यक्ति उस व्यापारी को डाक्टरी मुआइने के लिये अस्पताल ले गये जहां उसका उपचार किया गया। वह अस्पताल में इलाज के लिये भर्ती नहीं हुआ। व्यापारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में सिपाही का नशे में होना लिखाया गया था।

*३०---श्री झिलमिटराम---

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त काण्ड की रिपोर्ट थाने में तथा पुलिस उच्चाधिकारियों को प्राप्त है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्री भोलाराम द्वारा १-३-६३ को मरदह थाने पर लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा ३२३ भा०दं० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया और कांस्टेबिल को निलम्बित कर दिया गया। बाद में डाक्टरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त मुकदमा धारा ३२५ भा० दं० वि० में परिणत कर दिया गया, किन्तु इसी बीच व्यापारी द्वारा एक इस्तगासा दायर करने के कारण जांच बन्द कर देनी पड़ी। इस्तगासा व्यापारी के गैर-हाजिरी के कारण खारिज हो गया। अब कांस्टेबिल के विरुद्ध धारा ७ पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

गरौठा तहसील में उद्योग योजनाओं पर व्यय

*३१---श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)---

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले की गरौठा तहसील में उद्योग विभाग द्वारा १९५७ से १९६२ तक क्या कार्य किया गया है और ऐसे कार्यों का व्यय क्या है ?

श्री फूलसिंह---

झांसी जिले की गरौठा तहसील में उद्योग विभाग द्वारा प्रसार योजना के अन्तर्गत काष्ठ एवं लौह कला में प्रशिक्षण प्रदान किया गया और हस्त-कर्घा तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक समितियों का संगठन किया गया तथा उनको आर्थिक सहायता दी गई। इनके अतिरिक्त ऋण एवं अनुदान योजना के अन्तर्गत उद्योग विकास के लिये ऋण दिया गया।

उक्त कार्यों पर कुल ४०,८४० रुपये ८८ नये पैसे व्यय हुए।

श्री बसु द्वारा शाहजहांपुर मालखाने से बन्दूक खरीदना

*३२---श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) तथा श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या गृह मंत्री को यह पता है कि शाहजहांपुर जिले में श्री बसु ज्वाइन्ट मैजिस्ट्रेट को जिलाधीश, शाहजहांपुर ने एक रिवाल्वर सरकारी मालखाने से श्री सुरेन्द्र विक्रम, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न दिनांक २८ फरवरी, १९६३ की इन्क्वायरी के बाद भी दे दिया और एक बन्दूक कुछ सप्ताह पूर्व दे चुके हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? और क्या यह भी सही है कि डी० आई० जी० बरेली एक बन्दूक ले गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह सही नहीं है कि श्री बसु ज्वाइन्ट मैजिस्ट्रेट को मालखाना शाहजहांपुर से कोई रिवाल्वर अथवा पिस्तौल दिया गया और न कोई बन्दूक डी० आई० जी०, बरेली को यहां के मालखाने से दी गई है। श्री बसु को एक बन्दूक दुनाली कारतूस १२ बोर (स्पेन मेकर) जो कि मालखाने के बिक्री के कोटे में थी दिनांक २ नवम्बर, १९६२ को अवश्य बेची गयी थी और जिसका जिक्र सर्वश्री सुरेन्द्रविक्रम तथा केशवसिंह के २८-२-६३ के प्रश्न के उत्तर में कर दिया गया था।

फूलपुर थाने में डकैती की झूठी रिपोर्ट

*३३---श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के फूलपुर थाना के अन्तर्गत ग्राम गारापुर में मार्च, १९६३ में कोई डकैती पड़ी है ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

३४--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस डकैती में कितना माल लूटा गया और कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं ? यदि नहीं पकड़े गये, तो सरकार इस डकैती के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

ग्राम गारापुर के श्री शारदाप्रसाद ने धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दिनांक १-३-६३ को एक रिपोर्ट थाना फूलपुर पर लिखाई। जांच से रिपोर्ट झूंठी पाई गई अतः वादी के विरुद्ध धारा १८२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक रिपोर्ट, पुलिस ने संबंधित न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी है।

कथित इस्लामनगर थाने के कर्मचारियों को दण्ड

*३५--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या गृह मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला बरेली इस्लामनगर थाने के थाना अधिकारी और सेकेन्ड आफिसर को डी० आई० जी० ने हटा दिया तथा हेड कांस्टेबिल को मुअत्तल कर दिया है ? यदि हां, तो यह उपरोक्त पुलिस कर्मचारी किस अभियोग में हटाये गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इस्लामनगर नाम का कोई थाना बरेली जिले में नहीं है।

अपराधियों का पता लगाने वाले पुलिस के कुत्ते

*३६--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ऐसे जिले कौन-कौन से हैं जिनमें पुलिस द्वारा अपराधियों का पता लगाने के लिये कुत्तों से कार्य लिया जाता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद तथा आगरा जिलों में पुलिस विभाग के कुत्ता दल हैं जिनसे इन जिलों में तथा आवश्यकतानुसार इनके समीपवर्ती जिलों में अपराधों का पता लगाने में सहायता ली जाती है।

*३७-३९--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

[२रे मंगलवार के लिये प्रश्न ३५-३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले में गुड़ की तौल

*४०--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बुलन्दशहर में गुड़ और गन्ने की मंडियों में किसानों से उनके माल की बिक्री के समय ज्यादा तौल कर बेचा जाता है ? आढ़ती किसानों से आमतौर पर एक मन माल के बजाय इक्तालीस सेर माल वसूल करते हैं जिससे किसानों को बहुत हानि पहुंचती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

प्राप्त सूचनानुसार इस जिले में केवल गुड़ की मंडियां हैं। गुड़ १ मन तौल पर किसानों से मंडियों में ४० १/२ सेर या ४१ सेर तौल में करदा टूट-फूट अथवा बरबाद होने के रूप में लिया जाता रहा है। इस पर आज तक किसानों को कोई आपत्ति नहीं हुई।

*४१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार इस प्रकार के किसानों को लूटे जाने की ओर ध्यान देगी और मंडियों में आढ़तियों की इस धांधली को रोकने की ओर कोई कदम उठायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस संबंध में शिकायती पत्र प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायगी ।

बुगरासी में सट्टाबाजारी की शिकायत

*४२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि टाउन एरिया बुगरासी, जिला बुलन्दशहर में कई मास से रोजाना सट्टा हो रहा है ? इसको रोक-थाम के लिये सरकार ने अब तक कोई व्यवस्था क्यों नहीं की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि टाउन एरिया बुगरासी, जिला बुलन्दशहर में सट्टा होता है, अतः रोकथाम का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

सुमेरदत्त की पुत्री के अपहरण की कमलापुर थाना द्वारा तफतीश

*४३—श्री डल्लाराम (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तारीख १५ जून, १९६३ की रात में श्री सुमेर ब्राह्मण सा० व जियामऊ तहसील मिसरिख की नाबालिग लड़की का अपहरण जबरदस्ती किया गया और वह अब तक लापता है ? क्या इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन कमलापुर में की जा चुकी है जिसमें पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की और न पता ही लगाया, इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

तारीख १५-६-६३ की रात में कुछ लोग श्री सुमेर दत्त की पुत्री को, मय उसके पिता के मोटर में बैठाकर भगा ले गये । इस घटना की रिपोर्ट थाना कमलापुर में हुई जिसका मुकदमा धारा १४७/३६३/३६६ आई० पी० सी० के अन्तर्गत कायम हुआ और उसी समय से तफतीश आरम्भ की गयी । तफतीश के दौरान सुमेरदत्त को बरामद कर लिया गया, परन्तु लड़की बरामद नहीं की जा सकी । इस संबंध में पुलिस ने कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लड़की की तलाश और मामले में तफतीश जारी है। यह ठीक नहीं है कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है।

*४४—कुंवर श्रीपालसिंह—

[दूसरे मंगलवार के लिये प्रश्न ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

खाद फैक्ट्री, गोरखपुर में हस्तगत भूमि के लिये सत्याग्रह

*४५—श्री कल्पनाथसिंह, श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया), श्री मुन्नूसिंह तथा श्री उदल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में खाद के कारखाने के लिये जो भूमि ली जा रही है उसके किसानों ने गत जून माह में कोई सत्याग्रह किया और जेल गये ? यदि हां, तो उक्त सत्याग्रहियों की मांगे क्या थीं और सत्याग्रह किस बात पर टूटा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। जून के महीने में गोरखपुर से किसानों ने इसलिये सत्याग्रह किया था कि गोरखपुर खाद की फैक्टरी के लिये ली जाने वाली जमीन के बदले में उनको उचित मुआवजा दिया जाय तथा उनके पुनर्वास की भी उचित व्यवस्था की जाय। सत्याग्रहियों की यह मांग थी कि बनगाई, नरायनपुर तथा खूटहन के सरकारी जंगलों में बसने की इजाजत दी जाय।

सरकार की ओर से वहां की जनता को यह आश्वासन दिया गया कि सरकार का इरादा जमीन के बदले में उचित मुआवजा देने का है। सरकार का यह भी निश्चय है कि जमीन और मकानों के बदले में प्रचलित बाजार भाव की दर से कानून के अनुसार मुआवजा दिया जायगा। परन्तु जिन जंगलों में जमीन दिए जाने की मांग थी उनमें जमीन देना सरकार के लिये संभव नहीं था। इस प्रकार की बातचीत सत्याग्रहियों से होने के पश्चात् सत्याग्रह बिना शर्त वापस ले लिया गया।

हिन्दी में राजकीय पत्र-व्यवहार

*४६—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने अब तक किन-किन राज्यों से हिन्दी में राजकीय पत्र व्यवहार प्रारम्भ कर दिया है तथा केन्द्रीय सरकार से उसका पत्राचार किस भाषा तथा किस लिपि में होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४६ के अधीन राज्य सरकार का बिहार, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश शासनों एवं हिमाचल प्रदेश और दिल्ली प्रशासनों से पत्र-व्यवहार हिन्दी में होता है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार से पत्र व्यवहार का संबंध है, यह पत्र व्यवहार अधिकतर अंग्रेजी भाषा तथा रोमन लिपि में, और कहीं कहीं देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में होता है।

*४७—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार तथा विभिन्न जिलाधीशों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि में नहीं होता ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह सत्य नहीं है। राज्य सरकार तथा विभिन्न जिलाधीशों के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होता है।

बुलन्दशहर जिले में लघु उद्योगों के लिये ऋण

*४८—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १९५९ से लेकर आज तक ऐसे कितने फर्म तथा व्यक्ति हैं जिन्होंने लघु उद्योग विभाग से रुपया लिया और उचित ढंग से खर्च नहीं किया और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री फूलसिंह—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

गन्ने का उत्पादन, चीनी मिलों पर किसानों का बकाया

*४९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष से इस वर्ष गन्ना उत्पादन में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितनी और नहीं तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वर्ष १९६३–६४ में १९६२–६३ की अपेक्षा गन्ने का सुरक्षित व अभ्यर्पित क्षेत्रफल अधिक न होते हुए भी गन्ने के उत्पादन में वृद्धि का अनुमान है क्योंकि फसल की हालत पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छी है। उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी, यह अभी बतलाना संभव नहीं है।

*५०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि किसानों का गन्ना विकास उचित मूल्य पर न लेने, समय पर मिलों द्वारा न उठाने एवं मूल्य का भुगतान न करने से गन्ने की खेती से किसान उदासीन हो गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार के असन्तोष को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये हैं और उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही चीनी मिलें किसानों का गन्ना खरीदती हैं। किसानों का गन्ना समय से मिलों की पूर्ति के लिये प्रत्येक गन्ना समिति गन्ने के सट्टे के अनुसार कैलेन्डर तैयार करती है और उसी के अनुसार चीनी मिलें गन्ना उठाती हैं। गन्ने के मूल्य का जो मिलें समय से भुगतान नहीं करतीं उसकी वसूली के लिये हर संभव प्रयास किया जाता है। गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये ही गन्ने की विभिन्न विकास योजनायें तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई हैं और वे चल रही हैं। इस वर्ष एक विशेष योजना सघन गन्ना विकास योजना चालू की गई है जिसमें गन्ने की औसत उपज बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है।

*५१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की कितनी और किन मिलों पर कितना रुपया किसानों के मूल्य व ग्रेच्युटी का बकाया है और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

१ सितम्बर, १९६३ को प्रदेश की जिन चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य का जितना रुपया बकाया था उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। रुपये के बकाया रहने का मुख्य कारण यह है कि चीनी के एक्स-फैक्टरी मूल्य (Ex-factory Price) के नियंत्रित होने से मिलों को चीनी की बिक्री से अधिक लाभ नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त मिलों को गन्ना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने में भी कठिनाई हुई जिसके कारण मिलों की माली हालत पर असर पड़ा। इन कारणों से गन्ने के बकाया मूल्य के भुगतान में देर हुई है। मिलों द्वारा आज किसानों को कोई ग्रेच्युटी नहीं दी जाती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५२४–५२५ पर)

करघा उद्योग सहकारी समिति छिपीवाड़ा, नगीना में गबन

*५२—श्री रियासत हुसेन—

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि करघा उद्योग सहकारी समिति छिपीवाड़ा, नगीना, जिला बिजनौर के भू० पू० सदर को ८ मई को ढाई हजार की चेक (ग्रांट) दी गई जब कि दूसरा सदर दिनांक १ मई, १९६३ को चुना जा चुका था ? ऐसा क्यों हुआ ?

श्री फूलसिंह—

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*५३—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि करघा उद्योग सहकारी समिति छिपीवाड़ा, नगीना, जिला बिजनौर का आडिट श्री पाठक ने कब किया और क्या यह सही है कि उस आडिट में ३२ हजार रुपये का गबन पाया गया ? यदि हां, तो इसमें सरकार क्या कर रही है ?

श्री फूलसिंह—

श्री बी० के० पाठक और एम० पी० सक्सेना जूनियर आडिटर बरेली ने दिनांक १४-२-६३ से २०-२-६३ तक समिति का आडिट किया और आडिटरों ने ३३,७९५ रु० ५१ न० पै० की कमी निकाली। इस धन को वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

*५४—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि उपरोक्त सोसाइटी के बारे में डी० डी० आई०, श्री नगाटे ने रिपोर्ट में लिखा है कि १६ हजार रुपया कैश बुक में दर्ज नहीं है ? यदि हां, तो यह रुपया कहां गया ?

श्री फूलसिंह—

श्री बी० बी० नगाटे, उप उद्योग निदेशक बरेली (उत्तरी क्षेत्र) ने नहीं बल्कि श्री हरि भूषण मिश्र, सहायक निर्देशक, उद्योग (ह० क०) बरेली ने रोकड़ का मिलान करते समय १५,७१५ रु० ३७ न० पै० की कमी रोकड़ में पाई। यह कमी भी उक्त ३३,७९५ रु० ५१ न० पै० की धनराशि में शामिल है।

दूसरी शादी

*५५—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी नौकर एक स्त्री के होते हुए दूसरी शादी कर सकता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकारी नौकर इस कानून का पालन करते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

हिन्दू सरकारी कर्मचारी एक स्त्री के होते हुए दूसरी शादी हिन्दू मैरेज ऐक्ट, १९५५ के अनुसार ही कर सकता है। किन्तु उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण संहिता के नियम २९ के अनुसार यदि दूसरा विवाह कानूनी रूप से वैध भी हो, सरकारी कर्मचारी के लिये वह उचित नहीं है और ऐसा करने पर उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। अन्य सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना एक स्त्री के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते।

कानून पालन करने के लिये ही बनाये जाते हैं। यदि कोई सरकारी कर्मचारी कानून का पालन नहीं करता है तो उसको उचित दण्ड दिया जा सकता है।

*५६—श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय—

[हटा दिया गया।]

गन्ने का मूल्य

*५७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोई मीटिंग केन फेडरेशन की २९ अप्रैल, १९६३ को लखनऊ में हुई है जिस में गन्ने का भाव २ रुपये मन किया जाय, के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास किया गया है ? यदि हां, तो क्या उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्राप्त सूचनानुसार उत्तर प्रदेश केन यूनियन्स फेडरेशन की मीटिंग ३१ मई, १९६३ को हुई थी जिसमें १९६३-६४ सीजन में गन्ने का मूल्य २ रुपये प्रति मन दिलाने का प्रस्ताव पास किया गया था और जिसकी प्रतिलिपि सरकार को प्राप्त हुई है ।

*५८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उस सम्बन्ध में कोई लिखा-पढ़ी प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से की है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या रुख अपनाया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

बुलन्दशहर जिले में थानेदारों के खिलाफ शिकायतें

*५९—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने थानेदारों को १९६३ में मई तक मुअत्तल किया गया और क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला बुलन्दशहर में सन् १९६३ में माह मई तक कोई थानेदार मुअत्तल नहीं किया गया ।

*६०—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने और किन-किन थानेदारों के खिलाफ शिकायती-पत्र १९६३ मई तक आये और इन आरोपों की जांच किसके द्वारा कराई गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना निम्न प्रकार है—

थानाध्यक्ष, सिकन्दराबाद,	जिला बुलन्दशहर	९ शिकायती पत्र
अफसर दोयम, सिकन्दराबाद	,,	१ ,,
थानाध्यक्ष, जहांगीराबाद	,,	५ ,,
थानाध्यक्ष, पहासू	,,	४ ,,
थानाध्यक्ष, औरंगाबाद	,,	३ ,,
थानाध्यक्ष, जेवर	,,	२ ,,
थानाध्यक्ष, चौकीराम घाट	,,	२ ,,
थानाध्यक्ष, कोतवाली	,,	१ ,,

अफसर दोयम, कोतवाली,	जिला बुलन्दशहर	१	शिकायती पत्र
थानाध्यक्ष, ककोड़	,,	१	,,
थानाध्यक्ष, बिसरख	,,	१	,,
थानाध्यक्ष, दादरी	,,	१	,,
अफसर दोयम, स्याना	,,	१	,,
जिला मेरठ में नियुक्त तीन थानेदार		२	,,

५ शिकायती-पत्रों पर रेंज डी० एस० पी० कम्पलेंट, मेरठ द्वारा जांच की गई । शेष सभी शिकायती-पत्रों पर डी० एस० पी० बुलन्दशहर ने जांच की है ।

*६१—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[२३ सितम्बर, १९६३ को प्रश्न ५६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

गनेश सन्स मशीनरी कारपोरेशन, लखनऊ की मशीनों की वापसी

*६२—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गनेश सन्स मशीनरी कारपोरेशन, लखनऊ की ९ मनोरंजन मशीनें जो कि कैसरबाग और हजरतगंज थाने के अन्तर्गत सन् १९६०-६१ में अधिकृत कर ली गई थीं उनको तिथि १४ जुलाई, १९६१ को सिटी मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मशीन एजेन्ट शिवराम को वापस करने का आदेश दिया गया लेकिन अभी तक वे मशीनें उक्त एजेन्ट को वापस नहीं की गईं ? यदि वापस की जायेंगी तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१४ फरवरी, १९६१ को सिटी मैजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था कि कुछ निर्दिष्ट शर्तों को श्री शिवराम द्वारा पूरा करने पर मशीनें उन्हें वापस कर दी जायंगी किन्तु श्री शिवराम ने वे शर्तें अभी तक पूरी नहीं की हैं इसलिये मशीनें उन्हें वापस नहीं दी जा सकी हैं । उनके शर्तों को पूरा करने पर मशीनें वापस कर दी जायंगी ।

*६३-६५—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

[दूसरे बुधवार के लिये प्रश्न ८०-८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

अर्जुनडीहा ग्राम की डकैती

*६६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के गौरी बाजार थाना अर्जुनडीहा नामी ग्राम में जून के महीने में कोई ऐसी डकैती पड़ी है जिसमें कोई डकैत जान से मार डाला गया है ? यदि हां, तो क्या जिन ग्रामीण ने अपने शौर्य प्रदर्शन द्वारा शातिर डकैतों को मारा है सरकार उन्हें पुरस्कृत करने का विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां । ग्रामीणों को पुरस्कृत करने का मामला विचाराधीन है ।

*६७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में कितने लोगों का चालान हुआ है और क्या कुछ माल भी बरामद हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

७० रुपये का माल बरामद हुआ है। पांच व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है।

*६८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[हटा दिया गया।]

पैलानी थाना क्षेत्र में अपराध

*६९—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा, थाना पैलानी में जनवरी, १९६३ से जुलाई, १९६३ तक कितने कत्ल, डकैती, राहजनी एवं चोरियां हुई हैं? उनमें से कितनों पर सरकार ने कार्यवाही की है और कितनों पर नहीं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जनवरी से जुलाई, १९६३ की अवधि में थाना पैलानी क्षेत्र में कत्ल की ४ घटनायें तथा चोरी की ७ घटनायें हुईं। डकैती व राहजनी की कोई घटना नहीं हुई। कत्ल की चारों घटनाओं में जांच और आवश्यक कार्यवाही की गई। चोरी के ७ मामलों में से १ में जांच की गई और शेष ६ मामलों में जांच नहीं की गयी?

*७०—श्री शिवनाथसिंह—

क्या यह सच है कि कुछ घटनायें घट जाने पर भी पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज करती? यदि हां, तो क्या सरकार उन घटनाओं का पता लगा कर उचित कार्यवाही करेगी जो कि उक्त समय में घटी हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

महाराजगंज थाना क्षेत्र में अपराध

*७१—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९६२ से जुलाई, सन् १९६३ (चार माह) के अन्दर आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने में चोरी, डकैती तथा कत्ल के कितने केसेज हुए हैं तथा उस समय कौन लोग थाना इंचार्ज का पद ग्रहण किये थे?

श्री हरगोविन्दसिंह—

चोरी की ६६ तथा कत्ल की दो घटनायें हुईं। डकैती की कोई घटना नहीं हुई।

उक्त अवधि में सर्वश्री जगदीश तिवारी, अनवारुलहक तथा सूर्य नारायण दुबे, थानाध्यक्ष के पद पर रहे।

*७२—श्री उमाशंकर—

क्या गृह मंत्री को सूचना है कि गत मार्च मास में महाराजगंज थाने के हरखपुरा गांव में कोई अनियमित जमाव हुआ था जिसमें खुलकर देशी बन्दूक आदि हथियारों का प्रयोग किया गया था? यदि हां, तो इस जमाव में कौन-कौन से लोग थे और इस सम्बन्ध में क्या कोई मुकदमा चलाया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मार्च में नहीं, अप्रैल २१/२२, १९६३ की रात्रि में कुछ डाकुओं का जमाव ग्राम हरखपुरा में डकैती डालने हेतु हुआ था। गुप्तचर सूचना पर पुलिस घटना-स्थल पर अविलम्ब पहुंच गई और डकैतों से संघर्ष हुआ जिसके फलस्वरूप डाकुओं का नेता मारा गया और उसके ६ अन्य साथी घटना-स्थल पर पकड़े गये। एक मुकदमा भा० द० वि० के अन्तर्गत कायम हुआ और विवेचना प्रारम्भ होने पर इस मुकदमे से सम्बन्धित २ अन्य व्यक्ति पकड़े गये।

विवेचना के पश्चात् सर्वश्री (१) कुमार, (२) रामबाज, (३) श्याम बिहारी, (४) दिलीप अहीर, निवासी ग्राम त्रिपुराजपुर, (५) छब्बर अहीर, ग्राम महाजी, (६) धनेश्वर, ग्राम मरोंदा, (७) बंशू, ग्राम करंदी तथा सत्य नारायन, ग्राम गहनी, के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय भेजा गया जो इस समय विचाराधीन है।

*७३—श्री उमाशंकर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत मार्च मास में ही महाराजगंज थाने के ग्राम कुड़ही या बसन्तपुर में भी कोई जमाव हुआ था और उसमें भी खुलकर देशी बन्दूक, पिस्तौल आदि का प्रयोग किया गया जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों को गम्भीर चोटें आयीं और एक कत्ल हुआ? यदि हां, तो गृह मंत्री उक्त थाने के क्षेत्र में व्याप्त अराजकता दूर करने के लिये क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। ग्राम बसन्तपुर, थाना महाराजगंज में दिनांक १७ मार्च, १९६३ को दो पार्टियों के बीच ऐसा संघर्ष हुआ था जिसमें लाठी, बल्लम तथा बन्दूक का प्रयोग हुआ था और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा एक अन्य व्यक्ति को सांघातिक चोटें आईं।

इस सम्बन्ध में एक मुकदमा भा० द० वि० की धारा १४८/३०७/३०२ के अन्तर्गत कायम हुआ और विवेचना के उपरान्त १३ व्यक्तियों का चालान न्यायालय को किया गया। मुकदमा इस समय विचाराधीन है।

उक्त घटना से सम्बन्धित जिन व्यक्तियों के पास बन्दूकें आदि लाइसेंसदार हथियार थे उनके लाइसेंस शान्ति एवं सुरक्षा की दृष्टि से निलम्बित कर दिये गये हैं। इस समय उक्त क्षेत्र में शान्ति है।

अर्दली और चपरासियों से प्राइवेट काम लेने के सम्बन्ध में हिदायत

*७४—श्री उग्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में समस्त विभागों के अध्यक्षों को कोई परिपत्र भेजा गया है कि वे चपरासियों और अर्दलियों से घरेलू काम न लें? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां।

वांछित आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५२६–५२७ पर)

सिधौली पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*७५—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २७ जुलाई, १९६३ को गांव रामपुर कलां, थाना सिधौली, जिला सीतापुर का कोई प्रतिनिधि मंडल डी० आई० जी० से थाना सिधौली के पुलिस अत्याचार के सम्बन्ध में मिला था कि तारीख १० जुलाई, १९६३ को सिधौली की पुलिस ने गांव में तथा थाने पर लोगों को नंगा करके पीटा है और १२ जुलाई, १९६३ को करीब २० पुलिस लेकर उसी दरोगा ने रघुमार कलां में रात को दीवारों पर चढ़ कर मकानों पर हमला किया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां , ग्राम रामपुर कलां, थाना सिधौली जिला सीतापुर का एक प्रतिनिधि मंडल डी० आई० जी० लखनऊ क्षेत्र से सिधौली पुलिस के अत्याचार के सम्बन्ध में मिला था ।

डी० आई० जी० महोदय ने स्वयं मौके पर जा कर जांच की परन्तु पुलिस द्वारा गांव में या थाने पर १० जुलाई, १९६३ को लोगों को नंगा करके पीटने तथा १२ जुलाई, १९६३ को दीवारों पर चढ़ कर मकानों पर हमला करने के आरोप सही नहीं पाये गये ।

झूसी, इलाहाबाद में प्रान्तीय रक्षक दल प्रशिक्षण शिविर

*७६—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झूसी (प्रयाग) में दिनांक १४ मार्च, १९६३ से २८ मार्च, १९६३ तक पी० आर० डी० के हल्का सरदारों व दलपतियों के प्रशिक्षण हेतु जो शिविर आयोजित किया गया था उसके लिये सरकार द्वारा कितने रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

कुल १७,३१० रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी ।

*७७—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार जांच कराकर यह बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने प्रशिक्षार्थियों ने उपरोक्त शिविर में भाग लिया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

केवल ५७७ प्रशिक्षार्थियों ने ।

बुलन्दशहर में तांबा एवं जस्ता का कोटा

*७८—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में किन-किन आदमियं को तांबा, जस्ता एवं पीतल का कोटा इस समय दिया जाता है और कब से ?

श्री फूलसिंह—

जिला बुलन्दशहर में जिन-जिन इकाइयों को तांबा एवं जस्ता का कोटा इस समय दिय जा रहा है उनकी सूची प्रस्तुत है । यह कोटा जब से दिया गया है उनके नाम के आगे लिख है । पीतल का कोई कोटा इस विभाग को पिछले दो वर्षों से नहीं मिला ही । अतः इस कोट के देने का को प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५२८ पर) ।

शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की सम्पत्ति

*७९—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की कीमत राज्य विद्युत् परिषद् ने कितनी तजवीज की है और परिषद् उसको कब तक अपने हाथ में लेने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड शाहजहांपुर की सम्पत्ति (assets) का मूल्यांकन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य की समाप्ति पर ही उक्त परिषद् द्वारा कम्पनी को खरीदने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायगा।

सचिवालय में जजों के पद के अधिकारी

*८०—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के न्याय व विधायिका विभागों में कितने डिस्ट्रिक्ट जजों के पद (Rank) के अधिकारी लगे हुये हैं और उनमें कौन-कौन कितने-कितने समय से इस सचिवालय में हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सात। इनका विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५२९ पर)।

*८१—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार इन डिस्ट्रिक्ट जजों को पुनः अपने पदों पर काम करने के लिये जिलों में भेजने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इनको वापस करने का प्रश्न हाईकोर्ट के विचाराधीन है।

*८२—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट जजों के लिये पहले सेलेक्शन ग्रेड की कोई जगहें थीं ? यदि हां, तो कितनी और क्या अब पुनः उन्हें रखने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। पहले दो पद आई० सी० एस० अधिकारियों के लिये कमिश्नर्स ग्रेड में (सेलेक्शन ग्रेड के रूप में डिस्ट्रिक्ट जजों के काडर में) सुरक्षित थे। उन्हें पुनः रखने के प्रश्न पर आपति-कालीन अवधि तक विचार करना स्थगित कर दिया गया है।

अतारांकित प्रश्न

मऊ थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

१—श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उग्रसेन सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रेषित ५ दिसम्बर, सन् १९६२ का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है और उससे संलग्न श्री बनारसी राम, ग्राम रकौली, थाना मऊ, जिला आजमगढ़ का भी एक पत्र है जिसमें पुलिस के विरुद्ध तरह-तरह की

शिकायतें हैं ? यदि हां, तो दोनों पत्रों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखते हुये अब तक की कार्यवाही का परिणाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, श्री बनारसी राम, ग्राम रकौली, थाना मऊ, जिला आजमगढ़ का प्रार्थना-पत्र श्री उग्रसेन के पत्र के साथ प्राप्त हुआ था जिसे प्रधान पुलिस निरीक्षक के पास आवश्यक कार्यवाही के हेतु भेज दिया गया था। पत्र तथा प्रार्थना-पत्र की †प्रतियां संलग्न हैं ?

जांच से पता चला कि प्रार्थी तथा सब-इंस्पेक्टर श्री राम निवास सिंह के पट्टीदारों के बीच जमीन सम्बन्धी कुछ झगड़ा है और इसी झगड़े के कारण प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया। स्थानीय पुलिस का किसी पार्टी के प्रति अनुचित पक्ष लेना नहीं पाया गया। सब-इंस्पेक्टर का गोरखपुर से स्थानान्तरण हो चुका है।

गोंडा जिले को अनुदान

२—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के लिये प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन मदों में कितना-कितना रुपया दिया और कितना खर्च हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गोंडा जिल के लिये प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न मदों में दिये गये तथा खर्च हुये धन का विवरण संलग्न† तालिका 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में दिया है।

३—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन मदों में कितना-कितना धन निर्धारित किया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गोंडा जिले के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किये गये धन का विवरण संलग्न† तालिका 'ङ' 'च' 'छ' और 'ज' में दिया है।

हरिजन पुलिस इन्सपेक्टर

४—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पुलिस विभाग में रिजर्व ब्रांच में कुल कितने सब-इन्सपेक्टर तथा इन्सपेक्टर हैं और उनमें हरिजनों की क्या संख्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रदेश के पुलिस विभाग की रिजर्व ब्रांच में कुल २५ सब-इन्स्पेक्टर तथा ६६ इन्स्पेक्टर हैं जिनमें हरिजन कोई नहीं है।

५—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने सब-इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर हैं और उनमें हरिजन कितने हैं और पुलिस में भरती करने में हरिजन नवयुवकों को क्या-क्या सुविधा दी जाती है ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रदेश में कुल ३,५७१ सब-इन्स्पेक्टर हैं जिनमें से ९७ हरिजन हैं तथा कुल ४५८ इन्स्पेक्टर हैं जिनमें हरिजन कोई नहीं है।

पुलिस विभाग में डायरेक्ट (Direct) भरती के हेतु सामान्यतः हरिजनों के लिये १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये जाते हैं तथा अधिकतम निर्धारित आयु के बन्धन से उन्हें ५ वर्ष तक की छूट प्रदान की जाती है। जहां तक सब-इन्स्पेक्टर, सिविल पुलिस तथा असिस्टेन्ट पब्लिक प्राजीक्यूटर पद के हेतु चुने जाने का सम्बन्ध है हरिजन उम्मीदवारों को निम्नलिखित सुविधायें भी प्रदान की जाती हैं :—

(१) जिला परीक्षाओं में उत्तीर्णात्मक अंक प्राप्त करने वाले सभी हरिजन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के हेतु बुला लिया जाता है।

(२) अनुत्तीर्ण हो जाने वाले कुछ हरिजन उम्मीदवारों को भी साक्षात्कार के हेतु बुला लिये जाने का अधिकार चुनाव परिषद् तथा सरकार को होता है।

(३) साक्षात्कार में चुनाव परिषद् के समक्ष अन्य उम्मीदवारों से पहले हरिजन उम्मीदवारों को उपस्थित किया जाता है।

मुरादाबाद जिले में बिजली का वितरण

६—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में कितने बिजली नाइट लोड मंजूर हुए हैं और क्या यह सही है कि वे लोड दिन में भी चलाये जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना एकत्र करने में जो समय और व्यय लगेगा और जो लाभ इससे होगा उसके अनुकूल न होगा। अगर माननीय सदस्य को किसी विशेष लोड की जानकारी है जो नाइट लोड है लेकिन दिन में भी चलाया जा रहा है तो आवश्यक तहकीकात करवा ली जावेगी।

राम घाट पुलिस चौकी के विरुद्ध शिकायत

७—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २ मई, १९६३ को बदन सिंह व श्री रामजी लाल, जिला बुलन्दशहर ने उपगृह मन्त्री को लखनऊ में पुलिस डी० वाई० एस० पी० व चौकी राम घाट, जिला बुलन्दशहर के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और वह पत्र क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सर्वश्री बदन सिंह व राम जी लाल के प्रार्थना-पत्र उप मन्त्री को प्राप्त हुए थे जिन्हें मूल रूप में जांच व रिपोर्ट के लिये एस० पी०, बुलन्दशहर को भेज दिया गया। श्री राम जी लाल के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस प्रार्थना पत्र में श्री रामजी लाल ने चौकी राम घाट के सब इन्स्पेक्टर इंचार्ज के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि उन्होंने एक डकैती के मुकदमे में एक भरत सिंह पुत्र गोपी के बजाय भरत सिंह पुत्र मुकुन्दी को झूठा फंसाया जिन्हें बाद में धारा १६९ भा० द० वि० के अन्तर्गत छोड़ दिया गया। चूंकि उक्त डकैती के अन्य अभियुक्तों का मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है अतः आरोपों की जांच मुकदमे के निर्णय के बाद की जायेगी।

श्री बदन सिंह के प्रार्थना पत्र की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

जाफरान

८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जाफरान की काश्त का अनुभव सफल रहा या नहीं ?

श्री फूलसिंह—

जाफरान की काश्त , फल उपयोग विभाग के अधीन उद्यानों में ही प्रयोगात्मक रूप से की गई और यह प्रयोग काफी हद तक सफल रहा ।

९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

यदि जाफरान की काश्त की गई, तो सन् १९६२ व १९६३ ई० में जाफरान का कितना उत्पादन हुआ ?

श्री फूलसिंह—

काश्त का क्षेत्र अभी विस्तृत नहीं है । फिर भी सन् १९६२ की प्रयोगात्मक काश्त में १६० ग्राम जाफरान का उत्पादन हुआ । सन् १९६३ के उत्पादन की मात्रा अभी नहीं बताई जा सकती क्योंकि फसल अक्तूबर तक तैयार होती है।

बड़हलगंज टाउन एरिया चेयरमैन, श्री चन्द्रदेव मिश्र की हत्या

१०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील स्थित बड़हलगंज टाउन एरिया के चेयरमैन श्री चन्द्रदेव मिश्र को १५ मई, १९६३ को किन-किन लोगों की साजिश से मारा गया तथा वे अभियुक्त गिरफ्तार किये गये या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस द्वारा की गई जांच के अनुसार श्री चन्द्रदेव मिश्र की हत्या से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं :—

(१) मुरलीधर दुबे, (२) राजाराम दुबे, (३) विद्याधर दुबे, (४) पारसनाथ दुबे, (५) सरजू दुबे, (६) विश्वनाथ तेली, (७) राम प्यारे अहीर, (८) देवनन्दन अहीर ।

इनमें से मुरलीधर दुबे, राजा राम दुबे, विद्याधर दुबे तथा सरजू दुबे ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। राम प्यारे अहीर और विश्वनाथ तेली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पारस नाथ दुबे बंग्लौर में मिलीटरी की हिरासत में हैं। इन सातों का चालान धारा १४८, ३०२, १४९, १०९, भा० द० वि० के अन्तर्गत कर दिया गया है। अभियुक्त देव नन्दन अहीर की गिरफ्तारी अभी शेष है ।

११—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस सम्बन्ध में बड़हलगंज थाने में कोई रपट लिखी गयी या नहीं ? यदि लिखी गयी, तो कब और किसके द्वारा तथा क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस हत्या के सम्बन्ध में रिपोर्ट थाना बड़हलगंज पर मृतक के चचेरे भाई द्वारा उसी दिन शाम को ६–१५ मिनट पर लिखाई गई। रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५३० पर)

१२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गृह मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रदेव मिश्र का गोरखपुर सदर अस्पताल में कब दाखिला हुआ तथा कब मृत्यु हुई और पोस्टमार्टम में किन-किन औजारों तथा हथियारों से चोटें पायी गयीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री मिश्र सदर अस्पताल में १५-५-६३ को करीब ८ बजे शाम को भर्ती हुए और उसी दिन ८-५६ मिनट पर उनकी मृत्यु हो गई। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार चाकू की तरह धार दार हथियार व आग्नेय अस्त्र से फायर हुए छर्रों द्वारा लगी चोटें पाई गयीं।

गोरखपुर जिले में अपराध

१३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, सन् १९६३ मास में गोरखपुर जिले में किन-किन थानों के अन्तर्गत कितनी डकैतियां तथा कत्ल के मामले हुए ? कत्ल होने वाले लोगों के क्या नाम हैं तथा कितने व्यक्ति हर मामले में गिरफ्तार किये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५३१ पर ।)

गोरखपुर गोलीकाण्ड जांच रिपोर्ट

१४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गृह मन्त्री गोरखपुर जिले में २० अक्तूबर, १९६२ में हुए गोलीकांड के न्यायिक जांच जो श्री मुखर्जी द्वारा की गयी है की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गोरखपुर गोलीकांड जांच कमीशन के प्रतिवेदन की एक †प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

१५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुखर्जी न्यायिक जांच कमीशन ने किन-किन अधिकारियों को दोषी ठहराया है तथा सरकार ने उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जांच कमीशन ने गोलीकांड के सिलसिले में किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया है, परन्तु कमीशन ने उन पुलिस सिपाहियों को जिन्होंने १९ अक्तूबर, १९६२ को अलीनगर चौराहे पर अनुचित झगड़ा किया तथा विद्यार्थियों को जिन्होंने आपत्तिजनक नारे लगाते हुए २० अक्तूबर, १९६२ को बहुत बड़ा जलूस निकाला इसके लिये उत्तरदायी ठहराया है । सम्बन्धित पुलिस के सिपाहियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

---

†छापी नहीं गई।

बुलन्दशहर कोर्ट से डकैत की फरारी

१६—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में ए० डी० एम० की कोर्ट से गत मास में पुलिस एक डकैत को जो हाजिर हुआ था भगा कर ले गयी ? यदि हां, तो उन सिपाहियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जून, १९६३ में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई ।

विनयका ग्राम से सुरक्षा कोष सम्बन्धी तार

१७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के विनयका ग्राम सभा ने तारीख २२ दिसम्बर, १९६२ को सुरक्षा कोष में धन दिया था ? यदि हां, तो कुल कितना ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। दो सौ बयालीस रुपये।

१८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनको कोई तार उपरोक्त ग्राम के भिनगा वगैरह की ओर से २ फरवरी तथा ५ फरवरी, १९६३ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे तथा यह भी बतायेंगे कि उस सम्बन्ध में किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। तार दिनांक २ तथा ५ फरवरी, १९६३ की एक-एक प्रति संलग्न है। इसकी जांच जिलाधीश बस्ती द्वारा कराई गई तथा किसी प्रकार के दबाव द्वारा धन एकत्र नहीं किया गया।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५३२ पर)

१९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जांच के बाद अमीन, अविनाश चन्द्र से उसकी थाने पर रपट लिखा कर मुकदमा चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं। अमीन अविनाश चन्द्र ने, थाने में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध मालगुजारी की वसूली में रोड़े अटकाने तथा उसे गाली गुप्ता करने के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी। इस से राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की वसूली का कोई सम्बन्ध नहीं ।

ब्रासवेयर मैन्युफैक्चरर्स कोग्रापरेटिव सोसाइटी, मुरादाबाद का चुनाव

२०—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ब्रासवेयर मैन्युफैक्चरर्स कोग्रापरेटिव सोसाइटी लि०, मुरादाबाद में आखिरी चुनाव वक्त पर न होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार को इस विषय की शिकायती दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री फूलसिंह—

(क) कथित सोसाइटी में होने वाले आखिरी चुनाव के समय पर न होने का कारण यह है कि उसके चुनाव की बैठक पदाधिकारियों ने स्थगित कर दी थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के अधिकारी

२१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में कुल कितने आई० ए० एस०, पी० सी० एस० तथा आई० पी० एस० अफसर हैं तथा उनके पद क्या हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५३३–५३४ पर।)

२२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त पदों पर नियुक्त अफसर कितने सालों से उक्त जिले में पड़े हुए हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका के पांचवें कालम में दी है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५३३–५३४ पर।)

२३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त अफसरों में से किसी अधिकारी के विरुद्ध कारतूस ब्लैक से बेचने के मामले की जांच भी चल रही है? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जहां तक सरकार को ज्ञात है गोरखपुर जिले में नियुक्त अफसरों में से किसी भी अधिकारी के विरुद्ध ऐसी कोई जांच नहीं हो रही है। जांच राइफिल क्लब के विरुद्ध हो रही है।

फैजाबाद गन्ना क्षेत्र में परिगणित जातीय कर्मचारी

२४—श्री माताप्रसाद—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद रेंज के प्रत्येक "जोन" में कुल कितने सी० डी० आई०, सुपरवाइजर, कामदार एवं लिपिक कार्य कर रहे हैं और उनमें परिगणित जाति के कितने व्यक्ति हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

फैजाबाद रेंज में कुल ६ जोन हैं। इन जोनों में से प्रत्येक में कुल सी० डी० आई०, सुपरवाइजर, कामदार एवं लिपिक और उनमें परिगणित जाति के व्यक्तियों का ब्यौरा इस भांति है :—

क्रम सं०	नाम जोन	वांछित कर्मचारियों की कुल संख्या जो काम कर रहे हैं				उनमें से परिगणित जाति के व्यक्तियों की संख्या			
		सी० डी० आई०	सुपर वाइ जर	काम दार	लिपिक	सी० डी० आई०	सुपर वाइ जर	काम दार	लिपिक
१	फैजाबाद ..	१	१५	३८	—	—	—	४	—
२	मसोधा ..	३	२३	६१	२	—	२	६	—
३	सुल्तानपुर ..	—	३	९	—	—	१	—	—
४	शाहगंज ..	३	१६	५२	३	—	—	१	—
५	मेहरावा ..	—	३	१०	—	—	—	१	—
६	वाराणसी ..	१	६	१८	—	—	—	—	—
	योग	८	६६	१८८	५	—	३	१२	—

मुंगरा बादशाहपुर में गिरफ्तारियां

२५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २५ मार्च, १९६३ को मुंगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर में कितने लोगों की गिरफ्तारी की गयी और उनमें से कितनों की जमानत पर रिहाई हुई और कितने लोगों को बिना जमानत छोड़ दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कुल ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और वे सब जमानत पर उसी समय छोड़ दिये गये। कोई व्यक्ति बिना जमानत के नहीं छोड़ा गया।

२६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त गिरफ्तारी किस कारण और किसके द्वारा की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ये व्यक्ति अपनी दूकानों पर प्राइसलिस्ट न लगाने तथा निर्धारित मूल्य से ऊंचे मूल्य पर सामान बेचने के कारण परगनाधीश, मछलीशहर द्वारा गिरफ्तार किए गए।

पहासू थाने से चालान

२७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि थाना पहासू, जिला बुलन्दशहर में पिछले ६ मास में कितने चालान जेर दफा १०९ में किये गये और इनमें से कितने हरिजनों के हुए और कितने अन्य ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

केवल चार व्यक्तियों का चालान उक्त धारा में किया गया। इनमें से कोई भी व्यक्ति हरिजन नहीं है।

बुलन्दशहर की कचेहरी में वाटर मार्क कागज का अभाव

२८—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर की कचहरी में वाटर मार्क कागज नहीं मिलता है जिससे सरकार को कई हजार रुपया वर्ष की हानि हो रही है? क्या सरकार तुरन्त इस पर विचार कर वाटर मार्क कागज की व्यवस्था करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिसम्बर, सन् १९५९ से पहले डन्डी रोल खराब हो जाने के कारण मिल वाटर मार्क कागज न बना सका। इस कारण बुलन्दशहर जिले को जुलाई, १९६३ से पहले कागज का वितरण न हो सका। परन्तु जुलाई, १९६३ से वाटर मार्क कागज उपलब्ध हो गया है और इस कागज की २१० रिम बुलन्दशहर जिले को ४ जुलाई, १९६३ को भेज दी गई हैं। भविष्य के लिये भी उचित व्यवस्था कर दी गई है।

२९—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[३रे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

पुलिस कार्यालयों के लिये आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट,

३०—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस कमीशन की सिफारिश के मुताबिक नौ जिलों में आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट रखने थे, वह रख लिये गये हैं या नहीं?

श्री हरगोविन्द सिंह—

५ जनवरी, १९६३ को इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद तथा झांसी जिलों के पुलिस कार्यालयों के लिये ९ आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के अस्थायी पदों के सृजन के आदेश जारी किये गये थे किन्तु इन पदों पर प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है।

हरिजन तथा पिछड़ी जाति के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस

३१—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कप्तान पुलिस (एस० पी०) कितने हैं, उनमें कितने इम्तहान से आये और कितने बगैर इम्तहान और उनमें से हरिजन कितने हैं और पिछड़ी हुई जाति के कितने हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कुल कप्तान पुलिस (एस० पी०) १३५ हैं। जिनमें से ६६ इम्तहान से आये, २६ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पद से पदोन्नत हुए, १४ बाहर से इमर्जेन्सी रेक्रूटमेन्ट द्वारा आये, ४ वार सर्विस के लिये सुरक्षित स्थान पर आये, ५ इमर्जेन्सी रेक्रूटमेन्ट द्वारा यू० पी० पी० एस० सी० से लिये गये, ५ स्पेशल रेक्रूटमेन्ट द्वारा लिये गये, और १५ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस इस वक्त स्थानापन्न एस० पी० के पद पर कार्य कर रहे हैं। इनमें ४ हरिजन, २ पिछड़ी जाति व १ अनुसूचित आदिम जाति के हैं।

हल्द्वानी रोजिन फैक्टरी को क्षति

३२—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हल्द्वानी रोजिन फैक्टरी में १५ मार्च, १९६३ को जो आग लगी थी उसमें कितने का नुकसान हुआ तथा आग लगने का कारण क्या-क्या था ?

श्री फूलसिंह—

हल्द्वानी रोजिन फैक्ट्री (दाश मेश रोजिन कारपोरेशन, हल्द्वानी) में १५ मार्च, १९६३ को जो आग लगी उसमें लगभग ३२,५०० रुपये की लागत का नुकसान हुआ। आग लगने का कारण यह था कि कारखाने के रोजिन के टैंक में छीजन (लीकेज) हो गई थी।

३३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[हटा दिया गया।]

फर्रुखाबाद जिला सूचना अधिकारी को अधिकार-पत्र

३४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि फर्रुखाबाद जिला सूचना अधिकारी के पास किन-किन पत्रों के संवाददाताओं के या प्रेस प्रतिनिधि के अधिकार पत्र प्राप्त हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

संवाद समिति—

१—इंडिपेन्डेन्ट न्यूज सर्विस।
२—प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया।
३—हिन्दुस्तान समाचार।

समाचार पत्र —

१—हिन्दी दैनिक, भारत,
२—उर्दू दैनिक, कौमी आवाज,
३—उर्दू दैनिक, मिलाप,
४—अंग्रेजी दैनिक, इंडियन, एक्सप्रेस,
५—अंग्रेजी दैनिक, पायनियर,
६—अंग्रेजी दैनिक, लीडर,
७—अंग्रेजी दैनिक, टाइम्स आफ इंडिया,
८—हिन्दी साप्ताहिक शारदा,
९—हिन्दी दैनिक, जागरण,
१०—अंग्रेजी दैनिक, नार्दन इंडिया पत्रिका।

३५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या जितने व्यक्तियों को संवाददाताओं के अधिकार प्राप्त हैं उन सभी को सरकारी प्रेस सम्मेलनों में बुलाया जाता है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, अधिकार पत्र प्राप्त सभी संवाददाताओं को सरकारी प्रेस सम्मेलनों में बुलाया जाता है।

बुलन्दशहर जिले के पुराने पुलिस कर्मचारी

३६—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने सब इन्स्पेक्टर पुलिस, जिला बुलन्दशहर में हैं जो लगभग तीन साल से अधिक से एक ही थाने या चौकी में हैं और कितने समय से वे वहां एक ही जगह तैनात हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

बुलन्दशहर जिले में ऐसा कोई भी सब-इंस्पेक्टर नहीं है ।

३७-३९—श्री जसरामसिंह—

[३रे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

४०—श्री कल्पनाथसिंह—

[३रे सोमवार के लिये प्रश्न ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

विधान सभा की कार्य-सूची में अशुद्धि

श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं एजेंडे की गलती की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । आइटम नम्बर ९ में "संकल्प " के नीचे 'अनुमोदन करता हूं' लिखा है ।

श्री अध्यक्ष—

वह गलत छपा है । अननुमोदन होना चाहिये ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, प्रश्नों के संबंध में मुझे निवेदन करना है कि उधर यह मर्ज बढ़ता चला जा रहा है । यह कहा गया है कि दरख्वास्त तथा पत्र पुलिस अधीक्षक को प्राप्त नहीं हुए । श्रीमन् डाक से दरख्वास्त भेजी जाती है और वह उनको मिलती नहीं है और यही जवाब सरकार की ओर से दे दिया जाता है, इसकी कोई छानबीन नहीं की जाती है और न पता लगाया जाता है । इसी प्रकार से एक प्रश्न मैडीकल डिपार्टमेन्ट का उठाया गया था आश्वासन समिति में । उसका भी यह हश्र हुआ उत्तर भी ठीक इसी प्रकार का दे दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

अगर ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं तो कृपा करके मुझसे बातचीत कर लीजिये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, यह रोग बराबर बढ़ता चला जा रहा है। किसी दिन राजकीय पत्रों तक का पता नहीं लगेगा । मंत्री जी कह रहे हैं कि इधर रोग बढ़ रहा है । मैं कहता हूं इधर नहीं, उधर बढ़ रहा है। वे इसके शिकार होंगे और खत्म हो जायेंगे ।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक ही सवाल पर सारा समय चला गया । तो बाकी सवालों का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

जिसमें सदन को खुशी हो और दिलचस्पी हो, वह होने दीजिये।

आश्वासन समिति का १८वां प्रतिवेदन*

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का १८वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में उन आश्वासनों की वर्तमान स्थिति अंकित है जो सदन में ३० जुलाई से २१ सितम्बर, १९६२ को अवधि में दिये गये थे। इन आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में की गई कार्यवाहियों का विश्लेषण करने के उपरान्त समिति ने ४२.४७ प्रतिशत आश्वासनों को पूर्ण माना है। ५७.५३ प्रतिशत आश्वासन अभी भी अपूर्ण हैं यद्यपि सदन में दिये गये इन्हें एक वर्ष हो चुका है।

इस प्रतिवेदन के पृष्ठ १५ से २१ में पुलिस (ख) विभाग से संबंधित कतिपय ऐसे आश्वासनों का उल्लेख है जिनका संबंध चोरी, डकैती तथा कत्ल से है। प्राविधिक दृष्टि से तो ये आश्वासन पूर्ण हो चुके हैं, परन्तु समिति ने यह अनुभव किया कि ६०.८ प्रतिशत मामलों में पुलिस विभाग अभियुक्तों का पता लगाने में असमर्थ रहा। इन मामलों में समिति को यह सूचना दी गई है कि पुलिस ने जांच करने के उपरान्त मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगा दी है और मामला समाप्त कर दिया गया। जैसा कि पहले ही निवेदन किया समिति ने इन आश्वासनों की यद्यपि पूर्ति मान ली है परन्तु मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस विषम परिस्थिति की ओर अवश्य आकृष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस, जिसका कार्य जनता की जान माल की हिफाजत करना है, चोरी, डकैती अथवा कत्ल के इतने अधिक मामलों में सफलता-पूर्वक जांच न कर सकी। समिति आशा करती है कि माननीय गृह मंत्री मामले के इस पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और स्थिति में सुधार करने के लिये जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी वह की जायगी।

श्रीमन्, गृह मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ध्यान दें कि बहुत से मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है जो न लगाई जाय बल्कि वाकई में जो मामले सच हैं उनकी खोजबीन की जाया करे।

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। जो माननीय कुंवर श्री पालसिंह ने कहा वह तो ठीक ही है, लेकिन मैं यह पूछता हूं कि क्या एश्योरेंस कमेटी का यह काम है?

श्री अध्यक्ष—

काम तो उनका आश्वासन के संबंध में कहना है। उन्होंने एक बात ऐसी भी कह दी जिससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। न कहते तो अच्छा था।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

कौन सी बात, श्रीमन्?

---

† छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

जो आपने कहा कि इस तरह से फाइनल रिपोर्ट न लगायी जाय, इन्क्वायरी की जाय, यह तो आश्वासन समिति के बाहर की बात है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

आश्वासन समिति के बाहर की बात है लेकिन बहैसियत सदन के सदस्य के सुझाव तो दे ही सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप दे सकते हैं लेकिन आश्वासन समिति की रिपोर्ट पेश करते समय नहीं दे सकते ।

विशेषाधिकार की अवहेलना, कार्य–स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की दो सूचनाएं साढ़े दस बजे आयीं जब मैं सदन में आ रहा था। मैंने अभी उनको देखा नहीं ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में माननीय यूसुफ साहब की शिकायत यह है कि संपूर्णानन्द अवार्ड जिसको दिये हुए अरसा हुआ अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि इस संबंध में विवाद हो जाय । किस तरह से आप कहते हैं कि अविलम्बनीय है, माननीय यूसुफ ? संक्षेप में कहियेगा ।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अवार्ड करीब एक साल दिये हुए हो गया और आपको याद है कि बहुगुणा जी ने इस सदन में यह बात मानी थी कि वह नहीं मान रहे हैं, सरकार मनवायेगी । लेकिन एक साल हो गया किसी धारा को नहीं माना जा रहा है । तीन चार मुख्य बातें थीं । एक ग्रैचयुटी के बारे में है । ग्रैचयुटी तीन महीने में मिल जानी चाहिए, साल भर से करीब नहीं मिली है। तनख्वाह लगाने के बारे में भी गड़बड़ी हो रही है जिसका नतीजा हो रहा है कि मिलों के अन्दर प्रोडक्शन की हानि हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं पूछ रहा था कि अविलम्बनीय कैसे है ?

श्री संतसिंह यूसुफ—

इसलिये कि कई मिलों में नोटिस हड़ताल की दी जा चुकी हैं। नेशनल इमर्जेन्सी में जब प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत है और वर्कर्स में अशान्ति फैल रही है...

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, दोनों तरफ से शिकायत आ रही है कि संपूर्णानन्द अवार्ड कार्यान्वित नहीं हो रहा है। आपने फरमाया कि अविलम्बनीय इस कारण से है अतः यह नोटिस दी गयी । नोटिस के बाद हो सकता है कि यह मामला तय हो जाय । इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, यह अस्वीकार है ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

आपको जानकारी नहीं है, इसलिये आप कह रहे हैं। इस अवार्ड को लागू करने के लिये एक सुपरवाइजरी कमेटी बनी है। उसकी ६ मीटिंगें हो चुकी हैं, किन्तु उस मीटिंग से कुछ तय नहीं हो रहा है और इस तरह कभी तय नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा आप सुन लीजिये, आप बैठ तो जाइए। आपने जो दिया है उसे मैं मंत्री जी के पास भेज दूंगा उनकी सूचना के लिये।

माननीय हरीश कुमार जी ने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है वह यह है कि स्वर्णकारों में अभी भी भीषण बेरोजगारी व्याप्त है। यह विषय कोई नया तो है नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बलिया)—

नयी बात यह है कि अब वह बेचारे भूखों मर रहे हैं। बहुत दिनों से उनमें बेरोजगारी इतनी व्याप्त हो गई है कि अब सिवाय मरने के उनके पास और कोई चारा नहीं है। जो सुविधायें दी गई हैं १४ केरेट की वह उनके लिये बिलकुल बेकार हैं, वह सोना लायेंगे कहां से....

श्री अध्यक्ष—

बहरहाल, यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

तो किसी और नियम में ले लीजिए। जरा मंत्री महोदय से कह दीजिये कि उसको देख भाल लें और एक वक्तव्य दे दें।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य तो नहीं देंगे। मैं भेजूं दूंगा उनके पास।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

विधायक निवास में जो दुरुपयोग हो रहा है....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए। जिस जिसने दिया है, उनका सबका नाम मैं पढ़ दूंगा और जो मतलब है वह हल हो जायगा।

एक माननीय शिवनाथसिंह का है, गोरखपुर खाद के कारखाने में किसानों के सत्याग्रह के विषय में है...

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

यह किसने दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

श्री शिवनाथसिंह और एक और आया है माननीय कल्पनाथसिंह, कैलाश सिंह कुशवाहा और राजा अवधेशप्रताप का। तो ये जितने आये हैं इनको माननीय मंत्री जी के पास म भेज रहा हूं कि वह इसको देख लें।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, जरा सुन लिया जाय। कृपया आप उसको पढ़ दें और मैं एक निवेदन और करूंगा कि उसकी निश्चितता, उसके अवलम्बनीय होने आदि सारी बातों के बारे में श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि कौन सी बात उसमें छूट गई जिसकी वजह से वह प्रश्न आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। दूसरी बात, आज के प्रश्न संख्या ४६–४७ का जो उत्तर मुझे मिला है उसको आप देख लें। उसमें सरकार ने कत्तई इस बात को निश्चित नहीं माना है कि वह ३२ सौ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देगी। यह उत्तर आप के पास मौजूद है। आप देखें किसानों के साथ सरकार ने वायदा किया था, तब उनका सत्याग्रह बन्द हुआ था। इस सदन के माननीय सदस्य अवैद्यनाथ जी जेल में बन्द थे। मैं तो ध्यान आर्षित करना चाहता हूं कि गोरखपुर की खाद फैक्ट्री...

श्री अध्यक्ष—

देखिए, इस पर बहस नहीं होगी। मैं इसे मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। आप उनसे मिल लीजिए, बातचीत आपकी उनसे हो जायगी। पन्द्रह पन्द्रह सूचनाएं मेरे पास आती हैं, इस तरह एक एक पर बहस अगर यहां होने लगेंगी और सब यही कहने लगेंगे तो कितना समय उसमें जायगा ?

श्री कल्पनाथसिंह—

सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए आप उसे पूरा पढ़ दें और एक प्रार्थना और है कि इस सदन में मैं सरकार की तरफ से एक वक्तव्य दिला दूं। इस लिए मैं यह निवेदन कर रहा था, कोई भाषण नहीं दे रहा था। आपको अधिकार है, आप उस पर सरकार से वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं मंत्री जी के पास भेज रहा हूं, उनसे मालूम करूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

वक्तव्य के लिए ?

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं।

अब एक काशीनाथ जी का है कि विधायक निवास के २० कमरों में लगे फर्नीचर इत्यादि में अव्यवस्था है। उसे मैंने एस्टेट मिनिस्टर के पास भेज दिया है, वे इसे देख लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

फर्नीचर सड़ गया है। हजारों लाखों रुपयों का गोलमाल ओवरसियर और इंजीनियर लोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने मंत्री जी के पास इसे भेज दिया है। आप उनको जाकर बता दें।

अब एक श्री रामकिशोर त्रिपाठी जी का है नियम ५२ के अन्तर्गत, शकर वितरण की दोषपूर्ण प्रणाली एवं वितरण करने वालों में, लाइसेंसदारों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में। यह बहुत अनिश्चित है, यह ५२ का विषय नहीं है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मुझे एक बात यह कहनी है कि अभी आपने कल्पनार्थसिंह जी से कहा कि आपने उनकी सूचना को मंत्री जी के पास भेज दिया है। यह जो सूचनाएं हम लोग आपके जास भेजते हैं इन का उद्देश्य है कि इन पर डिस्कशन हो। अगर केवल मंत्री जी के पास सूचना के लिये भेजना हो तो वह हम लोग सीधे भी भेज सकते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इनमें से, जो महत्वपूर्ण हैं, उनपर वक्तव्य दिलवाइये और बहस होने का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, मैं निवेदन कर दूं। नियम यह है कि नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव जितने आते हैं उनको मैं अस्वीकार कर दूं तो वे खत्म हो जायेंगे। अगर मैं किसी को स्वीकार नहीं करता तो इसके माने हैं कि मैंने उनको खारिज करके अस्वीकार कर दिया है। मैंने तो सिर्फ आपकी सूचना के लिए मोटे रूप से यह कर दिया है कि उनपर आवश्यक कार्यवाही हो जाय। अगर आप डिस्कशन चाहें तो अगर वह नियम ५२ के अन्तर्गत आ जायगा तो लिया जायगा वरना नहीं लिया जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

वक्तव्य दिलवा दें। इसलिये मैं यह आग्रह कर रहा हूं कि १० हजार मजदूरों का मामला है और यह सरकार बहानेबाजी करके सारे मामले में गड़बड़ घोटाला करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष—

आप सुनें तो सही। १५ से अधिक महानुभावों से सूचनायें प्राप्त हुई हैं और सभी लोग अपने विषय को अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय समझते हैं। सब लोग कह सकते हैं कि वक्तव्य दिलाइये। तो फिर सदन का और काम नहीं हो सकेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

उनमें कितनों पर सत्याग्रह चल चुके हैं, कितने आदमी उनमें जेल जा चुके हैं, और कितनों में कोई आदरणीय सदस्य इस सदन का जेल जा चुका है, मैं यह जानना चाहता हूं? मैं इसीलिये निवेदन कर रहा हूं कि सरकार से आप इस पर एक वक्तव्य दिलवा दीजिये क्योंकि यह सरकार गड़बड़ घोटाले में लोगों को उलझा दे रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह आपने कह दिया और मैंने सुन लिया है।

अब एक माननीय राधेश्याम शर्मा जी का है। यह भी कोई अविलम्बनीय नहीं है। आप कहते हैं कि नवनिर्मित पुल पर लगे हुये टैक्स की वसूली में चोरी और धांधली हो रही है। यह बहुत ही अनिश्चित बात है। स्पैसिफिक बात नहीं है।

एक प्रश्न माननीय मुन्नूसिंह जी का है। इसे भी मैं मंत्री महोदय के पास भेज रहा हूं कि वे इस संबंध में भी प्रकाश डाल दें।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, इसमें आज सवाल यह है कि आज वहां के मनुष्यों के लिये अन्न और पशुओं के लिये चारा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इससे अच्छा होता कि आप अल्पसूचित प्रश्न की सूचना दे देते तो यह हो जाता।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

लखीसिंह जी आप बैठिए , मैंने मुन्नूसिंह जी को बुलाया है।

श्री लखीसिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् । हम जिस दिन से यहां आये हैं नियम ५२ के अन्तर्गत २-१ प्रश्न मैंने भी दिये थे और आज भी राधेश्याम जी का चोरी डकैती आदि के बारे में है और यह महत्व के होते हैं तभी हम नियम ५२ के अन्तर्गत देते हैं । हमें आप पर बड़ा घमंड भी है कि आप हमारे अध्यक्ष हैं। लेकिन आप कह देते हैं कि यह महत्वपूर्ण बात नहीं है । यह आप कैसे मान लेते हैं कि यह महत्वपूर्ण बात नहीं है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं । आप बैठ जाइये ।

अब एक मुकुटबिहारी लाल जी ने भेजा है कि जिला परिषद् में कार्य करने वाले अध्यापकों का गत ३ मास से ११ मास तक का वेतन नहीं मिला । उन्नाव जिला परिषद् का है । तो मैं इसे मंत्री जी को भेज रहा हूं । यह तो ११ महीने की बात है कोई नई बात नहीं है ।

एक श्री रामसुन्दर जी पांडेय का सूखा के संबंध में है । वह भी मैं मंत्री जी के पास भेज रहा हूं ।

श्री चैतन्यराजसिंह—

एक निवेदन किया था । मुन्नूसिंह जी को आपने बोलने के लिये बुलाया था लेकिन फिर उनको मौका नहीं दिया । मैं यह कहूंगा कि जो प्रश्न मुन्नूसिंह जी और मैंने दिया है....

श्री अध्यक्ष—

अभी हम आपकी बात सुनेंगें । मैंने उनसे कहा है कि मैं अभी उनको सुनूंगा ।

एक माननीय दीपनारायण जी का बड़ा लम्बा सा प्रस्ताव है । यह कहते हैं कि शुगर, सीमेन्ट और लोहे में चोर बाजारी हो रही है । तो मैं इसको होम मिनिस्टर के पास भेजे देता हूं ।

(श्री केशरीप्रसाद पांडेय के खड़े होने पर)

आपको क्या कहना है ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

गोरखपुर गोलीकांड की रिपोर्ट मेज पर रख दी गई है । लेकिन अभी तक इलाहाबाद फारुख गोलीकांड की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है । उसकी जांच हो चुकी है । वहां पर नगर में एक किस्म का क्षुब्ध वातावरण पैदा हो गया है । वहां पुलिस कर्मचारी जन-साधारण को परेशान कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं , वह रिपोर्ट कब सदन में आयेगी ?

श्री अध्यक्ष—

रूल यह है कि जो जुडिशियल इन्क्वायरी होती है, उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना अनिवार्य होता है । एक्जिक्यूटिव एन्क्वायरी के संबंध में माननीय गृह मंत्री बतला सकते हैं कि इस इलाहाबाद गोलीकांड के संबंध में माननीय केशरीप्रसाद जी की मांग पर क्या कोई वक्तव्य दिया जा सकता है ?

निपोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

आप कृपा कर उसको मेरे पास भेज दीजिये। मैं उसको देख लूंगा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर गोलीकांड की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है, लेकिन वह रिपोर्ट आज तक हमको प्राप्त नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने कहा था कि छपवा कर दे देंगे।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

श्रीमन्, १७ तारीख के एक्स्ट्रा उस आर्डिनरी गजट में वह रिपोर्ट छाप दी गई है और उस गजट की कापी सब मेम्बर साहबान के पास भेज दी गई है।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि गजट में छप गई है और वह आप लोगों के पास जाता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, कई माननीय सदस्यों ने आपको लिखकर दिया था कि हम गोरखपुर गोल कांड के बारे में सदन में बहस करना चाहते हैं। तो श्रीमन्, हम जानना चाहते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला ? क्या इस सेशन में उस पर विचार हो सकेगा ?

श्री अध्यक्ष—

अब तो बहुत कम समय रह गया है, फिर आगे देखा जायगा।

एक दूसरी सूचना नत्थाराम रावत जी की है। वह कहते हैं कि बाराबंकी–लखनऊ सड़क पर सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर आबकारी विभाग के लोग गाड़ाबन्दी किये हुए थे। तो यह महत्व का नहीं है ?

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

वहां पर एक जीप में डी० पी० ओ० ने एक लड़की गायब कर दिया है जिसका कोई पता नहीं चल रहा है। तो इस पर आप मंत्री महोदय से एक वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

एक बात आप समझ लीजिए कि आप मुझसे इस विषय में बात कर लें। मैं आपको बतला दूंगा कि हमारी क्या कठिनाई है बयान दिलाने में।

श्री नत्थाराम रावत—

हम आपके पास गये थे लेकिन आप नहीं मिले।

श्री अध्यक्ष—

आप ३।। से ४।। के बीज आ जांय, और भी लोग मिलने आते हैं।

एक अन्य सूचना रतीपाल जी की है जो चकबन्दी के संबंध में है कि इससे वहां पर भ्रष्टाचार और लूट हो रही है। आप इस संबंध में कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। इस पर सरकार कह देगी कि हम नहीं जानते।

दूसरी माननीय हिम्मतसिंह जी की है जिसमें आप कहते हैं कि आपका अनुमान है कि यह झगड़ा जेल अधिकारियों के इशारे पर हुआ तो अनुमान पर नियम ५२ नहीं आयेगा।

और एक दूसरा आया है, इसे मैं माननीय गृह मंत्री जी के पास भेज देता हूं। उनको यह शिकायत है कि कई जगहों पर "पाकिस्तन जिन्दाबाद" के नारे लगाये जा रहे हैं। इसे भी मैं मंत्री जी के पास भेज दूंगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इसे क्या आप नियम ५२ में नहीं ले रहे हैं ? यह बहुत महत्व का प्रश्न है। गोंडा में रेकार्ड बजे "झांकी पाकिस्तान की" और इसके अलावा सभायें हो रही हैं, गुप्त सभाये हो रही हैं . .

श्री अध्यक्ष—

और आप को मालूम है कि वहां क्या हो रहा है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अब उन गुप्त सभाओं में क्या हो रहा है यह तो सरकार जानती होगी। यह बड़ा महत्व का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

सुन तो लो। आज २६ हो गयी है। दो दिन और बैठक है। इसमें आप का बयान कब हो सकता है ? ३० का सारा दिन तो उन दोनों रेजोल्यूशनों में ही लग जायगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये इसके लिये आधे घंटे का समय दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, वह समाप्त हो गया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, इस पर वक्तव्य दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

अगर गुंजाइश होगी तो वक्तव्य दिलवा देंगे ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अभी श्रीमन् ने कहा कि दो दिन का समय है तो इतने कम समय में वक्तव्य कहां दिलाते रहेंगे। तो सवाल यह है कि क्या यहां समय का अधिक ध्यान रखा जायगा अथवा विषय के महत्वपूर्ण होने, न होने का ध्यान रखा जायगा। अगर समय के अभाव में महत्वपूर्ण विषयों पर यहां विचार न हो पाये तो यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। यह इतना महत्व का प्रश्न है। इससे प्रदेश और देश की सुरक्षा का संबंध है। राष्ट्रीयता से यह संबंधित है। इसे यह कह कर टाल दिया जाय कि हमारे पास समय नहीं है, यह नहीं होना चाहिये और मेरी प्रार्थना है कि इस पहलू पर आप ध्यान दें। समय के कारण इसके महत्व को आप कम न करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे टालना नहीं चाहता। मेरी नजरों में भी इसका महत्व है। मैं केवल यह कह रहा था कि सदन में इसके लिये बयान नहीं हो सकता इसलिये चाहता हूं कि वे इस पर कार्यवाही करें। मैं इसको उन के पास भेज रहा हूं। आप देखें कि इतने कम समय में वे तीन जिलों से कैसे इन्फार्मेशन कलेक्ट कर सकेंगे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इसमें इन्फार्मेशन कलेक्ट करने की कोई दिक्कत नहीं होगी ।

(व्यवधान)

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

मेरा निवेदन है कि चूंकि यह प्रश्न महत्व का है इसलिये इस पर ध्यान देना आवश्यक है । मैं चाहता हूं कि इस पर कम से कम दस मिनट का वक्तव्य दिला दिया जाय ताकि जो भ्रम पैदा हो रहा है वह दूर हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि मैं इसको देखूंगा ।

अब एक दूसरा है माननीय रियासत हुसैन का और माननीय केशरी प्रसाद पांडेय का कि एक मुशताक अली थे जो बैंक चला रहे थे और उसी सिलसिले में उन पर फौजदारी का मुकदमा चला और वे जेलखाने गये और फिर बाहर आने पर उन्होंने वही कारबार शुरू कर दिया है । तो अगर कारबार शुरू कर दिया है तो हम वक्तव्य से रोक नहीं सकते और वह कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जिस पर वक्तव्य दिया जा सके । हर एक को अधिकार है कि वह अपना काम करे ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है । जितनी मुहब्बत और सहूलियत के साथ आप ने नियम ५२ के मामलों में माननीय सदस्यों का आज निवेदन सुना उसे देखते हुए मेरा दुर्भाग्य था कि जब मैंने झांसी बिजली कंपनी का मामला आप के सामने पेश किया था....

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने भेज दिया है ।

श्री लखपत राम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आपने तो मुझे सदन त्यागने का आदेश दिया था और मैं बाहर चला गया था, लेकिन जब मैंने फिर से नियम ५२ दिया था.....

श्री अध्यक्ष—

उसे ले लिया है और भेज दिया है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

उसे आपने विद्युत मंत्री के वक्तव्य को लिये भेज दिया है । वहां लोगों ने सेंट्रल मिनिस्ट्री को बिजली कंपनी के विरुद्ध एक और आवेदन पत्र भेजा है । वहां तो आपरेशनों के लिए बिजली नहीं मिल रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं । वक्तव्य कब दे रहे हैं यह बता दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनसे कह दिया है, पूछ कर बता दूंगा ।

श्री लखपतराम शर्मा—

जब लोग मर जायेंगे तो क्या होगा ? जनहित का मामला है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, एक्सरे नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, हो गया ।

श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, हमारा वह प्रश्न लोक महत्व का इसलिये है कि जिस इलाके के लिये नियम ५२ का प्रश्न है वह फूडग्रेंस में सेल्फ सफीश्येंट है । वहां लोग कोआपरेटिव सीड स्टोर से सीड नहीं लेते हैं । इस साल ऐसी हालत नहीं है । जितने कोआपरेटिव सीड स्टोर हैं आस पास वहां रबी की फसल के लिए जितना सीड है वह १ परसेंट से ज्यादा नहीं है और बुवाई का टाइम १५–२० दिन में खत्म हो जायगा, इसलिये अगर सुविधा नहीं दी जायगी तो जमीन बोई नहीं जा सकेगी ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

एक सदस्य—

मैंने एक बुढ़वल शुगर मिल के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष—

मुझ से मिल लीजियेगा ।

कार्य-मन्त्रणा समिति के लिये नाम-निर्देशित सदस्य के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी ने कार्य-मंत्रणा समिति से त्यागपत्र दे दिया है । उनके स्थान पर माननीय टम्बेश्वरप्रसाद नियुक्त होते हैं ।

विधान सभा के १६ सितम्बर के आहूत सत्र को निरस्त किये बिना उसे २३ सितम्बर को आहूत करने के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विचार (क्रमागत)†

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मेरा निवेदन है कि कल जो आप प्वाइंट आफ आर्डर सुन रहे थे, मैं ज्यादा समय नहीं मांगता हूं, १० मिनट ज्यादा से ज्यादा दे सकें.....

श्री अध्यक्ष—

कृष्णानन्द राय जी बोल रहे थे । वह समाप्त कर लें तो आप बोल लें ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मैं जानता चाहता था कि २३ तारीख को जो सदन आहूत किया गया उसके बारे में आपके पास क्या आदेश हैं, वह पढ़ कर सुना दें ।

---

†२५ सितम्बर, १९६३ की कार्यवाही से ।

श्री अध्यक्ष—

मैं बता दूंगा।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मैं अपनी ओर से और सदन के आदरणीय सदस्यों की ओर से आपको इसके लिए धन्यवाद दे देना चाहता हूं कि कल आपने उन सभी चीजों को जो आज के महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित थीं इस सदन के सम्मुख रख दिया। आपके द्वारा पढ़े हुए पत्रों से पता चला कि राज्यपाल महोदय ने इस सदन को एक बार, १६ तारीख को आहूत करने का आदेश दिया था।

श्री अध्यक्ष— . . .

अच्छा हो, आप भी जान लें। दो सूचनाएं मेरे पास आयी हैं। एक २९ अगस्त को सूचना मिली थी जिसमें दो आदेश थे। एक आदेश था परिषद् को बुलाने के लिए १६ तारीख को और एक आदेश था विधान सभा को १६ तारीख को बुलाने के लिए। विधान सभा को साढ़े दस बजे दिन और विधान परिषद् को ११ बजे दिन से। ये दो आदेश मुझे २९ अगस्त, १९६३ को मिले।

पूर्व इसके कि हम इसके ऊपर सदन के माननीय सदस्यों को बुलाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कर पाते, ३० को हमें यह सूचना मिली कि अभी उस प्रक्रिया को सम्पन्न न किया जाय इस वास्ते कि राज्यपाल १६ तारीख के सम्बन्ध में पुनः विचार कर रहे हैं। चुनांचे वह स्थगित रही और दूसरे दिन ३१ तारीख को मध्याह्न में यह सूचना मिली कि माननीय राज्यपाल ने २३ तारीख इसके लिये निश्चित कर दी है और उसके साथ साथ हमें ३१ तारीख को, मध्याह्न के समय एक दूसरा आदेश मिला। कल मैंने आप को २९ तारीख को जो सूचना मिली थी वह पढ़ कर सुनायी थी। २३ तारीख के बारे में भी सुनाये देता हूं—"भारतीय संविधान का अनुच्छेद १७४ के खंड (१) के अधीन मिले अधिकारों का उपयोग करके राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश विधान सभा को दिनांक २३ सितम्बर, १९६३ को साढ़े १० बजे दिन में विधान भवन, लखनऊ में १९६३ के द्वितीय सत्र के लिये आहूत करते हैं।"

इस प्रकार दोनों सूचनायें जो प्राप्त हुई वह आपके सामने रख दी गयीं। दीर्घकाल की प्रथा के अनुसार, यह सूचनायें हमें लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से ही प्राप्त हुआ करती हैं और यह सूचनायें भी हमें लेजिस्लेटिव विभाग द्वारा प्राप्त हुईं। हमें जो यह सूचना ३० तारीख को प्राप्त हुई थी कि राज्यपाल पुनः विचार कर रहे हैं, वह भी लेजिस्लेटिव विभाग द्वारा प्राप्त हुई थी। आज तक की प्रथा भी यही रही है कि सदन को आहूत करने के सम्बन्ध में राज्यपाल के आदेश लेजिस्लेटिव विभाग द्वारा हमें प्राप्त होते हैं और उन्हीं पर हम रिलाई करके कार्य करते रहे हैं। तो यह सब फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

३० तारीख को क्या सूचना आयी और कब आयी ?

श्री अध्यक्ष—

मेरे आफिस-नोट में यह लिखा है कि ३० तारीख को सायंकाल टेलीफोन द्वारा लेजिस्लेटिव विभाग से यह सूचना मिली कि चूंकि उस पर पुनः विचार हो रहा है इस वजह से कार्यवाही न की जाय। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

यह नोट किसका है, और किस आफिसर ने टेलीफोन किया व उसको किसने रिसीव किया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

हमारे सेक्रेटरी ने फोन रिसीव किया। उसको निगम साहब ने किया होगा। मेरे पास जो यह कागज है उस पर इस प्रकार नोट है--

"August 30, 1963 at about 7.30 p.m. telephone from Secretary Legislative Department that no action be taken on notification of August 29 till noon, Next day on August 31, 1963 at about 12 Secretary Legislative informed that new notification is being issued and sent to you."

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

जो सूचना भी मेरे पास थी वह मैंने पढ़ कर सुना दी। अब इस बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा--

३० तारीख को शाम के साढ़े सात बजे जब सेक्रेटरी यहां दफ्तर में नहीं रहते हैं तो यह सूचना उनको दफ्तर में दी गयी या उनके घर पर ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई महत्व की बात नहीं है। सूचना मिली, बस यह महत्व की बात है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि टेलीफोन की सूचना के बाद आपके कार्यालय में कोई और लिखित सूचना आयी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

जितनी बातें हैं वे सब मैंने आप को बता दीं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

यह सूचना आज ही क्यों दी गयी, पहले क्यों नहीं दी गयी ?

श्री अध्यक्ष--

जो कुछ मैं बता चुका हूं, उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ कहना नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। निवेदन यह है कि आपने एक सूचना दी कि २९ तारीख को.....

श्री अध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का प्रश्न बताइये ? कौन सा नियम इसमें भंग हुआ है या कौन सी बात इसमें शान के खिलाफ हुई है ?

श्री कल्पनाथसिंह--

महामहिम राज्यपाल महोदय ने २९ तारीख को सूचना प्रसारित की कि १६ तारीख को साढ़े दस बजे उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक आहूत की जाती है। इस सूचना के बाद दूसरी सूचना २३ तारीख को मिली कि इसको स्थगित रखा जाय, तो मैं यह जानना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ३० अगस्त और ३१ अगस्त को जो राज्यपाल महोदय की सूचनायें आपके आफिस को प्राप्त हुईं, उनके बारे में आज से पहले आपने इस सदन को क्यों नहीं बताया जब कि यह प्रश्न ३--४ दिन से उठाया जा रहा है; क्या इससे यह परिणाम नहीं निकलता कि इन बातों को छिपाने की कोशिश की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। इसके लिये आप विशेषाधिकार का प्रश्न ला सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

अध्यक्ष महोदय, अब ऐसी कोई सूचना शेष नहीं रह गयी है जो आदरणीय मित्रों के पास न पहुंच गयी हो लेकिन संविधान और नियमों के बारे में उन्हें कुछ भ्रम रह गया है जिसके बारे में और भी सूचना वे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमन्, इसमें दो बातें स्पष्ट हैं और उन्हीं को दृष्टि में रख कर हमें इस प्रश्न पर विचार करना है। वे यह हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस विधान सभा को आहूत करने के लिये एक आदेश १६ तारीख को दिया और पुनः दूसरा आदेश २३ तारीख को दिया। श्री नेकराम शर्मा के कथनानुसार राज्यपाल महोदय ने जब एक बार विधान सभा को आहूत कर लिया तो फिर उस आदेश को समाप्त करने का उन्हें कोई कान्स्टीट्यूशनल राइट नहीं था और न दूसरा आदेश वे दे सकते थे। माननीय उग्रसेन जी का कहना है कि इनमें सदन के आर्डर का ब्रीच हुआ है और पांडेय जी ने इसके लिये प्रिविलेज का सवाल उठाया है। मेरा निवेदन यह है कि राज्यपाल महोदय का यह कार्य कि उन्होंने एक बार १६ तारीख को इस सदन को आहूत किया, उसे वह चाहे निरस्त किये हों या न किये हों, पुनः २३ तारीख के लिये उन्हें आदेश देने का पूरा अधिकार था। यह कान्स्टीट्यूशनली करेक्ट है और इसके बारे में न कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर ही उठ सकता है और न प्रिविलेज का सवाल ही उठाया जा सकता है। मैं अपने लायक दोस्तों को यह बतला देना चाहता हूं कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस वे रोज पढ़ा करते हैं लेकिन मुझे दुःख होता है जब कि ए० बी० सी० डी० जो इंगलैंड की कांस्टीटच्यूशन का मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के आरम्भ में ही है, उसे वे लोग देखने का प्रयास नहीं करते।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

क्या इनको इस तरह से आक्षेप करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि आपने पढ़ा नहीं है।

श्री रामायणराय--

वे कहते हैं कि संविधान का ए० बी० सी० डी० किसी को नहीं मालूम है, सब इन्हीं को मालूम है। तो क्या यह आक्षेप करने का इनको अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि आपने पढ़ा नहीं है। एक बात मैं अपोजीशन से बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं किसी के ऊपर कटाक्ष करूं। अगर कोई

गलत आब्जेक्शन हो तो आप को कहना चाहिये कि यह गलत हैं, उन्होंने गलत बात सुनी। आखिर आदमी से गलती हो ही जाती है। आप, हम, वे सभी गलती कर सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार से हमारे देश के कांस्टीट्यूशन में राष्ट्रपति को पार्लियामेंट बुलाने का अधिकार है और राज्यों में विधान सभाओं को गवर्नर को बुलाने का अधिकार है, उसी प्रकार इंगलैण्ड के कांस्टीट्यूशन में किंग या क्वीन को पार्लियामेंट को बुलाने का अधिकार है।

"The King or Queen has exclusive right to proclaim the summoning or prorogation of Parliament."

मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ३२ पर देखें जिसमें लिखा हुआ है :--

"The Parliament is summoned by the Queen's writ or letter issued out of Chancery, by advice of the Privy Council. By the Act 7 & 8 Will 3, c. 25, it was required that there should be 40 days (m) between the tester and the return of the writ of summons."

प्रश्न यहां पर यह उठाया गया कि एक बार जब गवर्नर ने असेम्बली को समन कर दिया तो वह उस डेट में परिवर्तन कर सकता है या नहीं। परिवर्तन करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि एक बार जब गवर्नर ने, या राज्यपाल ने या एक्जीक्यूटिव अथारिटी ने, जहां जो भी कांस्टीट्यूशनल प्रावीजन हो, असेम्बली को आहूत कर लिया हो और फिर कोई दूसरी तारीख वह निश्चित कर दे तो पहले वाला प्रोक्लेमेशन बिना निरस्त हुए सब्सिक्वेंटली वही आर्डर वैलिड माना जायगा जो बाद का है। इस सम्बन्ध में मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ३४ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

"*Meeting of Parliament accelerated or deferred by proclamation*—When Parliament stands prorogued to a certain day, the Queen may by the Meeting of Parliaiment Act 1797, as amended by the Meeting of Parliament Act, 1870 , and s. 34 of the Parliament (Elections and Meeting) Act, 1943, issue a proclamation, giving notice of her intention that Parliament shall meet for the despatch of business on any earlier day after the date of the proclamation (*a*), and Parliament then stands prorogued to that day, notwithstanding the previous prorogation (*b*)".

यानी एक्जीक्यूटिव हैड ने पार्लियामेंट के प्रोक्लेमेशन या प्रोरोगेशन के लिये कोई डेट तय कर दिया और फिर बाद में दूसरा डेट उसके लिये निश्चित किया तो सब्सिक्वेंट डेट ही स्टेंड करता है। आपका यह कहना कि कांस्टीटयूशनल राइट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसमें एक "अर्लियर" शब्द आया है, तो आगे संघर्ष न हो, इसलिये इसके आगे मैं पढ़ देता हूं।

"It is also provided by the Prorogation Act, 1867 that the Queen may issue a proclamation proroguing Parliament from the day to which it shall then stand summoned or prorogued to any further day being not less than fourteen days from the date thereof (*c*).

यानी जिस तारीख के लिये पार्लियामेंट प्रोरोग हुई है और एक प्रोक्लेमेशन हुआ उस तिथि के बाद के लिये भी दूसरा प्रोक्लेमेशन हो सकता है और इसमें कहीं भी कांस्टीटयूशन हायल नहीं है और ऐसे मौकों पर सब्सिक्वेन्ट प्रोक्लेमेशन ही ठीक माना जाता है। मैंने एक उदाहरण पेश किया उसके अनुसार जैसा कि कांस्टीटयूशन के आर्टिकल १७४ में लिखा है कि गवर्नर महोदय को पूरा अधिकार है कि वह असेम्बली के सेशन को समन करें। मैं कल यह निवेदन कर रहा था

[श्री कृष्णानन्द राय]

कि कोई भी प्वाइंट आफ आर्डर या ब्रीच आफ आर्डर का प्रश्न पैदा नहीं है। हमारे रूल ३०० में दिया हुआ है कि प्वाइंट आफ आर्डर कब रेज किया जाता है, वह उस वक्त रेज होता है जब सदन के किसी नियम की या संविधान के आर्टिकिल की जो सदन के बिजीनेस से सम्बन्धित हो, उस के इन्टरप्रिटेशन से सम्बन्धित हो, कोई अवहेलना होती हो। हमारे दोस्त अगर अपनी सदन की नियमावली देखें और उसके प्रथम पृष्ठ पर प्रिएम्बिल को देखें तो उसमें लिखा है कि—

"Rules of Procedure and Conduct of Business of the Uttar Pradesh Legislative Assembly," इसमें यह दिया है कि हर स्टेट लेजिस्लेचर को अपने सदन के बिजिनेस को चलाने के लिये नियम बनाने का अधिकार है और आर्टिकल २०८ (१) के अन्दर जब रूल्स बनते हैं तो रूल ३०० के अन्दर प्वाइंट आफ आर्डर उठते हैं लेकिन २०८ धारा में सदन के समन करने का प्रश्न नहीं आता। वह आर्टिकिल १७४ के अन्तर्गत आता है। आर्टिकिल १७४, आर्टिकिल २०८ से गवर्न नहीं होता, वह अलग है। इसलिये गवर्नर को कांस्टीटचूशनली इस बात का राइट है कि वह सदन को समन करे अपने डिसक्रिशन पर और श्रीमन्, आप को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि गवर्नर द्वारा किसी तिथि के लिये सदन को समन करने पर कोई इन्टरफियरेंस कर सकें और न वह किसी सदस्य का ही राइट है और जो चीजें आपके कागनीजेंस या असेम्बली के जूरिस-डिक्शन से परे हों उन पर यहां प्वाइंट आफ आर्डर या बहस नहीं हो सकती। प्रिविलेज केवल उन चीजों का होता है जैसा कि आर्टिकल १९४ में है कि संविधान के उपबन्धों और विधान-मंडल की प्रक्रिया के नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुये हर राज्य के विधान मंडल में वाक्स्वातंत्र्य होगा। इस तरह से आपका जो संवैधानिक अधिकार है उसमें कोई कमी नहीं आती, आप के अधिकारों का कोई हनन नहीं हुआ है। इस तरह से वह प्रिविलेज का क्वेश्चन नहीं बन सकता। अधिकारों का काल्पनिक हनन ही प्रिविलेज क्वेश्चन नहीं बनता बल्कि परम्परागत प्रिविलेजेज के हनन से ही प्रिविलेज का क्वेश्चन बनता है। यह बिल्कुल आरम्भिक चीज होती है। इसलिये प्रिविलेज के क्वेश्चन का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

अब केवल एक ही इशू है कि गवर्नर साहब ने जो पहला आर्डर दिया कि असेम्बली १६ को बैठेगी और उसके बाद २३ के लिये एक दूसरा सब्सिक्वेंट आर्डर आया—वह टेलीफोन से आया, लेजिस्लेटिव विभाग से आया या हवाई जहाज से आया लेकिन कांस्टीटचूशन के अनुसार एक सब्सिक्वेन्ट आर्डर आया २३ के लिये और जो परम्परा चली आती है ठीक उसी के अनुसार आया, यह ठीक उसी तरह से हुआ जैसे इंगलैण्ड में पार्लियामेंट में होता है जैसे वहां किंग या क्वीन का आर्डर होता है उसी तरह से यह सब्सिक्वेंट आर्डर है और यह चेलेन्ज नहीं हो सकता। दोनों आर्डर सही हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय

श्रीमन्, मेरे दोस्त ने जिन उदार शब्दों में अपने दृष्टिकोण को रखा है मैं उसके सम्बन्ध में अपने प्रोपोजीशन को केवल एक ही मूल प्रश्न की तरफ रखना चाहता हूं और वह यह है जैसा कि आपने भी मान लिया है कि १६ तारीख को असेम्बली बुलाने के लिये आपको आदेश प्राप्त हुआ और पुनः २३ तारीख को असेम्बली बुलाने के लिये आपको आदेश प्राप्त हुआ। मैं इसको बिलकुल सही मान लूं, तो फिर सवाल यह होता है कि गवर्नर के क्या कांस्टीटचूशनल राइट्स हैं? अगर मैं दफा १७४ को देखूं तो उसमें साफ तरीके से गवर्नर को राइट दिया हुआ है। १६८ में गवर्नर हैड आफ दी लेजिस्लेचर है और उसके मातहत आर्टिकिल १७४ में गवर्नर के दो फंकशन हैं। एक फंक्शन है प्रोरोग दी हाउस आर हाउसेज। दूसरा फंक्शन है डिजाल्व दी लेजिस्लेटिव असेम्बली। तीसरा है सम्मन का। मेरा कहना यह है कि संविधान में कोई भी फंक्शन इस बात का नहीं दिया हुआ है कि अगर गवर्नर ने किसी सेशन को आहूत किया एक बार तो वह उसको निरस्त कर सकता है या नहीं कर सकता है। यह प्वाइंट है जिस पर हमको और आपको विचार करना है।

मैं आपके सामने कुछ अथारिटीज कोट करना चाहता हूं और इसलिये कोट करना चाहता हूं जिससे आपको और सदन को यह पता चल सके कि सही तरीके से जो गवर्नर हो या प्रेसीडेंट हो और वह एक बार सदन आहूत कर ले तो उसका कोई राइट नहीं है उसे कैंसिल करने का। मैं कहना चाहता हूं कि आहूत करने के बाद सिटिंग्स को कैंसिल करने का अधिकार केवल अध्यक्ष महोदय को है। आप श्री ए० एन० मुखर्जी की किताब पार्लियामेंटरी प्रोसीजर इन इंडिया को देखें तो उसके पृष्ठ २४ पर एक केस दिया हुआ है स्मिथ वर्सेस परंजिया माइन्स, उसे मैं आपके समक्ष पढ़ देना चाहता हूं जिससे उधर के बैठने वाले दोस्तों का दिमाग साफ हो जायगा कि गवर्नर या प्रेसीडेंट को आहूत करने के बाद सदन को कैंसिल करने का कोई राइट है या नहीं है।

"The general proposition that the authority who can convene a meeting has also the authority to postpone or alter the date of a meeting does not appear to be correct so far as the ordinary law of meetings is concerned. It was held in Smith *v.* Paringa Mines, (1906) 2 Ch., p. 193, that when a meeting has been properly convened by the directors of a company for a certain date, they have no power to postpone the meeting to another date.

In the British Parliament, the King has the authority to defer or accelerate by subsequent proclamation the date fixed for a meeting of the Parliament. That authority is, however, derived from the Meetings of Parliament Act, 1797, and the Prorogation Act, 1867. Various other Acts authorise the King to summon the Parliament on dates other than previously fixed, in national emergency. If the general propositions above-mentioned were correct, there would have been no necessity for authorising the King by special enactments.

The Indian Constitution says that the President shall from time to time summon each House of Parliament at such time and place as he thinks fit. But no power is given to him expressly to postpone a meeting or accelerate a meeting. In the absence of such power it is doubtful whether the President has the power to alter the date of meeting after he has once summoned it for a particular dae.

Even if the President has the power, it is submitted that summoning a House should not be made a light affair which a request or hasty change of date may imply. Only in the case of national emergency or in grave circumstances may the dates, once fixed, be altered."

The same considerations will apply in the case of the summoning of State Legislatures also."

इस केस को रेफर करने के बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भारतीय विधान में भी १७४ (२) में गवर्नर महोदय को अधिकार दिया गया है : जिस समय संविधान बन रहा था तो यह पावर प्रेसीडेंट और गवर्नर को दी गयी कि वह केवल समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं और डिजाल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट या असेम्बली को। लेकिन जब एक बार सेशन को समन कर दिया तो उसको निरस्त नहीं कर सकते। यह हमारे यहां की परम्परा रही है और यही हमारे भारतीय विधान को बनाने का मुख्य ध्येय है। इसलिये अगर मैं आपकी सारी बातें मान लूं तो भी एक बार समन करने के बाद गवर्नर महोदय को इन धाराओं के अन्तर्गत निरस्त करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद पावर विधान सभा के अध्यक्ष को रहती है। सेशन जब गवर्नर ने आहूत कर दिया तो फिर विधान सभा के सत्र को बुलाने का अधिकार आपको है और इसमें कोई तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं आ सकता। इसीलिये हमारी लोक सभा में यह परम्परा है जिसको मैं आपके सामने कोट कर के बता देना चाहता हूं

[श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय]

वहां लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो एग्जीक्यूटिव हेड के अन्दर है वह फंक्शन नहीं करता समन्स इश्यू करने में। इस सम्बन्ध में मैं Basu's Commentary on the Constitution of India, IV Edition के पेज ५१० से कोट करता हूं:—

"Orders of the President regarding summoning, prorogation and dissolution of the Lok Sabha should be obtained by the Lok Sabha Secretariat upon suggestion received from the Cabinet through the Minister of Parliamentary Affairs and agreed to by the Speaker."

इसीलिये कांस्टीट्यूशन में व्यवस्था है कि There will be a Council of Minister to aid and advise the Governor और गवर्नर को एक ऐडवाइस करने के बाद कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उस समय आप और गवर्नर बीच में आ जाते हैं। गवर्नर आप से राय लेंगे, आपको डायरेक्शन देंगे कि आप लीडर आफ दि हाउस से मिल करके किसी डेट को, एसेम्बली समन करें और क्या बिजनेस आफ दि हाउस होगा उसको तय करेंगे। और इसीलिये गवर्नर के तीन फंक्शन्स He is the head of the Executive, he is the head of the legislature and he is the head of the Judiciary and he is the head of state. ये कांस्टीट्यूशन में दिये हुये हैं। इसी के मुताबिक हमें और आपको आचरण करना है। लेकिन यहां आपके अधिकार को कौन करता है? यहां पर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड के अन्दर काम करता है, मुख्य मंत्री जी के मातहत काम करता है। यह डेरोगेशन टुदि हाउस है और आपके अधिकारों का हनन है।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय तो मैंने खुद उठा लिया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी करा दूं इसलिये यह कह रहा हूं। आज सदन की मर्यादा भारतीय संविधान के अन्दर संरक्षित है और उस संरक्षण को कायम रखने के लिये, उसका ठीक से प्रतिपादन हो, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी सारी बातों को सही मान लिया जाय तो उसके बाद भी गवर्नर को निरस्त करने का कोई राइट नहीं है। और अगर नहीं है तो, श्रीमन्, जो डायरेक्टर आफ इंफार्मेशन ने सूचना प्रसारित की और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी ने सूचना प्रसारित की उन्होंने आपके अधिकारों में दखलन्दाजी की; इसलिये मैं कहता हूं कि वे कन्टेम्प्ट के दोषी हैं क्योंकि उनको कोई सूचना आपके कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई या राज्यपाल महोदय के यहां से प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने गवर्नर के अधिकार को अपने हाथ में लेकर प्रेस नोट रिलीज किया है बिना आपके आदेश के या बिना राज्यपाल महोदय के आदेश के, तो उन्होंने ब्रीच आफ प्रिविलेज किया है और वे इसके दोषी हैं। श्रीमन्, मैं इन शब्दों के साथ आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने सुनने की कृपा की।

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो सदन के सामने ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न है इसका जो मूल आधार है वह यह है कि .....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्वांइन्ट पर आप एडवोकेट जनरल की राय जान लें और इसके बाद अपना फैसला दें।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, आप बोल चुके । अब उनको सुन लीजिये ।

श्री वीरसेन—

अध्यक्ष महोदय, दो सवाल हैं। एक तो यह कि गवर्नर महोदय ने सदन को बुलाने का आर्डर २६ तारीख को दिया और बाद में जो आर्डर ३१ तारीख को दिया, वह गलत था, अन-कांस्टीट्यूशनल था । दूसरा सवाल यह उठाया है कि सेशन उस तारीख से शुरु होता है जिस तारीख से गवर्नर महोदय आदेश जारी करें। इतनी चीज के ऊपर और इसी बुनियाद के ऊपर माननीय सदस्य ने इस दलील को दिया कि जो गवर्नर महोदय ने आर्डिनेन्स जारी किया, वह अनकांस्टीट्यूशनल था ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात के कहने की जरूरत नही है क्योंकि उसे तो आपने साफ कर दिया है कि २६ तारीख के आदेश को गवर्नर महोदय के ३१ तारीख के आदेश से स्थगित किया गया, रोका गया और नया आदेश ३१ तारीख को जारी किया गया । इसमें कोई शक नहीं है कि, जो बात माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कही दूसरा आर्डर फाइनल है और उससे पहला आर्डर व्यपगत हो गया है । मैं इस से सहमत हूं । लेकिन मैं इस बात को, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि गवर्नर महोदय को कैंसिल करने का कोई अधिकार नहीं था, गलत समझता हूं और दलील यह है कि माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी ने जोर दिया है कि गवर्नर महोदय को केवल तीन चीजों का अधिकार है । सदन को समन करने का प्रोरोग करने का और डिजाल्व करने का । उनका खयाल है कि स्पैसिफिक कोई बात कांस्टीट्यूशन में नहीं कही गई है, इसलिये अधिकार नहीं रहा । दूसरी दलील दे डाली और नजीर दी कि डायरेक्टर को कोई अधिकार नहीं था । इस आरगूमेंट को लेकर वे चले । लेकिन असल बात यह है कि असेम्बली के समनिंग होने की बात है वह लेजिस्लेचर के कानून से गवर्न नहीं होना चाहिये बल्कि वह तो कांस्टीट्यूशन से गवर्न होना चाहिये और माननीय सदस्य इसको नोट करें कि समनिंग करने का अधिकार गवर्नर को है , प्रोरोग करने का और डिजाल्व करने का अधिकार गवर्नर को है लेकिन ऐडजर्न करने का अधिकार गवर्नर को नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष को है । वह तभी ऐडजर्नन कर सकते हैं जब एक दिन असेम्बली बैठे इस से पहले नहीं कर सकते हैं । मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि यह दलील देना कि एक दफा गवर्नर समन कर दे तो अध्यक्ष को अधिकार है दुबारा बुलाने का या कैंसिल करने का, यह बात गलत है । यह दलील गलत है । प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ में यह बात स्पष्ट है कि स्पीकर को ऐडजर्न करने का अधिकार है । इस प्रश्न को मैं यहां छोड़ देता हूं । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इन दोनों प्रश्नों को अलग-अलग समझें । समन करना और एडजर्न करना दोनों मुख्तलिफ हैं । दोनों में अधिकारी भी अलग हैं । एक में तो गवर्नर हैं और दूसरे में स्पीकर हैं । लेकिन यह बात कहना कि गवर्नर को अधिकार नहीं था यह बात कांस्ट्टीट्यूशन के खिलाफ है । कल माननीय नेकराम जी ने कहा कि जो आर्डिनरी आफिसर्स को आर्डर्स ईश्यू करने का अधिकार है वह गवर्नर को नहीं है । कांस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं है । माननीय सदस्य ने शायद कांस्टीट्यूशन के सारे प्रावी-जन्स को नहीं देखा। यह भी कहा कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट के प्राविजन्स कांस्टीट्यूशन पर लागू नहीं हैं । मैं आपका आर्टिकिल ३६७ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उसम यह है—

"Unless the context otherwise requires, the General Clauses Act, 1897, shall, subject to any adaptations and modifications that may be made therein under Article 372, apply for the interpretation of this Constitution as it applies for the interpretation of an Act of the Legislature of the Dominion of India."

[श्री वीरसेन]

जाहिर है कि जब समन करने का अधिकार गवर्नर को है तो आर्टिकिल ३६७ अथाराइज करता है कि गवर्नर किसी आर्डर को ईश्यू करके कैंसिल भी कर सकता है। माननीय सदस्य इसको जानते हैं कि यह अथारिटी सदा एक्सरसाइज होती रहती है। इससे पहले भी हो चुकी है कि गवर्नर महोदय ने एक बार असेम्बली को बुलाकर स्थगित कर दिया। यह कोई नयी बात नहीं है। इसके अतिरिक्त बुलाना सिर्फ एक आर्डर था। समन किया हुआ तब माना जाता है जब समंस ईश्यु हो जायं। अगर मैं अपनी जेब में चिट्ठी लिख कर रख लूं तो यह बात नहीं लगायी जा सकती कि जिसके नाम लिखी गयी है उसको पहुंच गयी। जाहिर है कि जो आर्डर गवर्नर के यहां से इश्यु हुआ, समंस इश्यु नहीं हुये, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि असेम्बली समन हो गयी। जाहिर है कि जो आर्डर सदस्यों को मिला सिर्फ २३ तारीख को सदन बैठा हुआ कहा जा सकता है माननीय सदस्यों का यह कहना कि यह दोबारा डेफर नहीं किया जा सकता, उसके सम्बन्ध में मैं सिर्फ एक सेटेंन्स पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पेज २७८ से कोट करना चाहता हूं।

'Date so appointed may be deferred by a subsequent proclamation"

तो स्पष्ट है कि जो तारीख समंस से निश्चित कर दी जाती है वह सबसीक्वेन्ट प्रोक्लेमेशन से बदली जा सकती है। गवर्नर को इस कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल ३६७ और १७४ के मातहत यह अधिकार है कि वह कोई आर्डर ईश्यू करे। उसके बाद सबसीक्वेन्ट आर्डर दिया है। कोई दलील ऐसी नहीं है जिससे यह कहा जा सके यह कांस्टीट्यूशनल इर्रेगुलेरिटी है।

अब दूसरी बात इससे मुताल्लिक प्रिविलेज की आती है .....

श्री अध्यक्ष—

अब उसको बाद में लीजियेगा, जब प्रिविलेज का प्रश्न इंट्रोड्यूस होगा।

श्री वीरसेन—

ठीक है। तो इसके बाद सेशन के बारे में सवाल आता है। उसके बारे में मुझे यह कहना है कि इस बात को कोट करने की कोशिश की गयी कि सेशन उस तारीख से शुरू होता है जिस तारीख से वह बुलाया गया हो। इस बारे में कोई अथारिटी कहीं नहीं है कि जिस तारीख को आर्डर ईश्यू किया गया हो उस तारीख से ही सेशन शुरू माना जायगा। जाहिर है कि गवर्नर साहब का पहला आदेश ३१ तारीख को दिया गया था तो क्या यह मान लिया जायगा कि ३१ तारीख को सेशन शुरू हो गया? जाहिर है कि यह बहुत ऐसी बात है जिसको कोई नहीं मान सकता। माननीय नेकराम शर्मा जी ने एक अथारिटी पार्लियामेंटरी डिक्शनरी कोट कर कर दी। मैं नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने जानबूझ कर किया होगा, हो सकता है कि उन्होंने गलत समझा हो लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन बिलकुल गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं उसे पढ़ता हूं। आपने भी परसों उसे कोट किया था वह पार्लियामेंटरी डिक्शनरी के पृष्ठ १७५ पर है—

"Each Parliament consists of one or more terms or periods known as sessions. The first of these begins on the day on which the new Parliament is directed by royal proclamation to meet, and continue until Parliament is prorogued by the Queen."

श्री नेकराम शर्मा—

आप हाई कोर्ट में चलियेगा तो यही बताइयेगा।

श्री वीरसेन—

जिस वक्त आप लायेंगे उस वक्त बता दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह तो इंटरप्रिटेशन का सवाल है। आप अपना कहते हैं, वह अपना बता रहे हैं।

श्री वीरसेन—

तो जाहिर है, अध्यक्ष जी, कि जिस तारीख से पार्लियामेंट के होने के लिये आदेश दिया गया उसी तारीख से पार्लियामेंट मीट करेगी, न कि जिस तारीख को वह आदेश दिया गया है उस तारीख से।

अब यह सवाल है कि वह पहला आर्डर इन्वेलिड हुआ या नहीं। यह बहुत स्पष्ट बात है कि गवर्नर ने जब दूसरा समन्स ईश्यू किया तो पहला आदेश अपने आप निरस्त हो गया। उस हालत में यह नहीं माना जा सकता कि किसी भी तारीख से आहूत की गयी हो बाद में लेकिन उसका बैठना १६ तारीख से ही शुरू हो गया। तो कोई भी आर्डिनेन्स जो उपस्थित हुआ या जो गवर्नर महोदय ने जारी किया वह इस वजह से गलत नहीं हो सकता।

एक अर्ज मैं इस बारे में और कर देना चाहता हूं। कोई कानून २ कारणों से इन्वैलिड हो सकता है। एक तो यह कि फंडामेंटल राइट्स के पार्टस ३ का कोई वायलेशन होता हो और दूसरा जो लेजिस्लेटिव कम्पिटेन्स है, जो लेजिस्लेचर के और ऐक्जीक्यूटिव अथारिटी के अधिकार क्षेत्र हैं इनके बाहर कोई चीज जाती हो। इन दोनों में से कोई इस में लागू नहीं होती।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय मित्र आर्डिनेन्स की बात कह रहे हैं। इस समय आर्डिनेन्स पर डिस्कशन नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप समझ नहीं रहे हैं कि वह क्या कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि कोई भी आदेश किन स्थितियों में निरस्त समझा जायेगा और वह इन्वैलिड किस तरह से होगा।

श्री वीरसेन—

तो, अध्यक्ष महोदय, इन दोनों में से न तो फंडामेंटल राइट्स को यह इन्वैलिडेट करता है और न ही लेजिस्लेटिव कम्पीटेन्स को भंग करता है। इसलिये उस तरीके से भी यह इन्वैलिड नहीं करार दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—

यानी, आपका मतलब यह है कि सेशन का प्रश्न महत्व नहीं रखता, इसलिये कि प्रोसीजरल मैटर्स अफेक्ट नहीं कर सकते ?

श्री वीरसेन—

एक सेन्टेन्स और कहकर खत्म करता हूं। यह सारे प्रोसीजरल मैटर्स हैं और इसके बारे में कांस्टीट्यूशन में साफ लिखा है कि प्रोसीजरल मामले की वजह से कोई पास किया हुआ कानून इनवैलिड नहीं करार दिया जा सकता। इसके बाद और कोई दलील नहीं रह जाती है जिसे कि माननीय सदस्य दे सकें और ब्रीच आफ प्रिविलेज के सवाल भी नहीं उठते।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था के प्रश्न पर जो विवाद चल रहा है उसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं कि जिनको कहा जा सकता है कि सर्वमान्य हैं और स्वीकृत हो चुके हैं। एक तो यह कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

२९ अगस्त को १६ तारीख से सत्र को आहूत करने के लिये आदेश महामहिम राज्यपाल ने दिया। दूसरा यह भी तथ्य स्वीकार है कि दूसरा आदेश राज्यपाल महोदय ने २३ तारीख के लिये दिया, २३ तारीख को सत्र को आहूत करने के लिये दिया। तीसरी बात, यह भी मैं समझता हूं दूसरे पक्ष से भी स्वीकार कर ली गई कि जो आज्ञा १६ सितम्बर से सत्र को आहूत करने के लिये दी गई थी उसको निरस्त किसी और आज्ञा से नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष—

जी हां, स्पेसिफिकली इसको विदड्रा नहीं किया।

श्री शारदाभक्तसिंह—

जो दूसरा आदेश राज्यपाल महोदय ने २३ तारीख के लिए सत्र को आहूत करने के लिये दिया उसमें प्रत्यक्ष रूप से पिछली आज्ञा को समाप्त करने की कोई बात नहीं दी हुई है। तो इन सब के बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो बात कही जा चुकी है उसको दो जुमलों में कह कर मैं आगे बढ़ता हूं कि संविधान के १७४ में अनुच्छेद में राज्यपाल महोदय को तीन अधिकार हैं कि वह किसी भी सत्रको आहूत करें, सत्रावसान करें और विधान सभा का विघटन करें, ये तीन अधिकार उनको प्राप्त हैं और जैसा इधर से कहा गया है कि जब उनको अधिकार यह प्राप्त है कि एक बार किसी सत्र को आहूत कर दें तो उसको समाप्त नहीं कर सकते, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की धाराओं के अनुसार अगर एक बार सत्र आहूत कर दिया गया और वह उस दिन से प्रारम्भ माना जायगा जिस दिन के लिये आहूत किया गया है, इसके लिए भी मैं तर्क रखूंगा, तो उसको समाप्त करने के दो ही तरीके हैं—या तो राज्यपाल महोदय फिर से सत्रावसान कर दें, अपनी आज्ञा से ऐसा वह कर सकते हैं, अगर एक बार सत्र आहूत किया गया और १६ तारीख से सत्र प्रारम्भ होने वाला था और माननीय राज्यपाल महोदय उसे समाप्त करना चाहते थे और आगे बढ़ाना चाहते थे तो उनके अधिकार में यह था कि वह सत्रावसान कर देते, अपनी आज्ञा से प्रोरोग करते, यह एक तरीका उनके पास है और दूसरा अधिकार डिजाल्व कर देने का है। तो जैसा अभी उस तरफ से माननीय कृष्णानन्द राय ने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से पढ़ कर सुनाया, मैं समझता हूं उससे मेरा काम बहुत सुविधाजनक हो गया। मैं भी आपका ध्यान उसी पैराग्राफ की तरफ आकर्षित करता हूं। मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस पृष्ठ २८० पर आपने पढ़ा 'Prorogation and further Prorogation by Proclamation : When Parliament stands summoned." मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय भी हमारी विधान सभा आहूत कर दी गई १६ तारीख के लिए "When Parliament stands summoned (after a dissolution) or prorogued to a certain date." मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहाँ तक ब्रिटिश पार्लियामेंट का सम्बन्ध है वहां जब प्रोरोगेशन या सत्रावसान होता है तो उसीके साथ यह भी होता है किस त्रावसान हो कर फलां डेट को फिर सत्र बैठेगा। तो "When Parliament stands summoned or prorogued to a certain date, it may be prorogued or further prorogued to a later date under the Prorogation Act, 1867 by a proclamation made by the Queen."

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें स्पष्ट है कि अगर एक बार सत्र आहूत हुआ है तो उस तारीख के बाद और सत्र को बढ़ाना चाहें तो महारानी को यह अधिकार है कि उस को फर्दर प्रोरोग कर दें। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोरोग शब्द से क्या मतलब निकलता है। अगर इधर से यह आप से कहा जा रहा है कि आहूत करने की आज्ञा से सत्र प्रारम्भ नहीं होता तो मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब यहां पर एक सत्र आहूत कर दिया गया या किसी डेट पर प्रोरोग कर दिया गया और आगे बढ़ाना है तो फिर प्रोरोग करना पड़ेगा। अगर सत्र नहीं है तो सत्रावसान कहां है? अगर १६ तारीख को पार्लियामेंट आहूत कर दी गयी या प्रोरोग कर दी गई और १६ तारीख से आगे बढ़ाने के लिये आवश्यकता है तो १६ तारीख के बाद उस मीटिंग को अगर बढ़ाया तो उसमें क्वीन को सत्रावसान का प्रोक्लेमेशन करना होगा। अगर १६ तारीख को सेशन बुलाने के बाद १६ तारीख को

विधान सभा के १६ सितम्बर के आहूत सत्र को निरस्त किये बिना उसे २३ सितम्बर ४९७ को आहूत करने के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विचार

आरम्भ नहीं सेशन का माना जाता को प्रोरोग क्या होगा ? जब सत्र का सत्रावसान कर सकते हैं तो इसके माने यह हैं कि सत्र आहूत कर दिया गया और सत्र उस दिन से आरम्भ माना जायगा। अगर उसके आगे सत्र बुलाना है तो दूसरी आज्ञा से सत्रावसान करें। इसलिये इसी प्रश्न पर अब मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पेज ३४ पर आप देखें जो माननीय कृष्णानन्दराय जी ने पढ़ा है। उसमें यह है कि:

"It is also provided by the Prorogation Act, 1867, that the Queen may issue a proclam tion proroguing Parliament from the day to which it shall then st nd summoned or prorogued to any further d te beir g not less than fourteen days from the date thereof..."

जिस दिन सेशन आहूत किया गया है या पहले से ही सत्रावसान की कोई तारीख निश्चित कर दी गई है तो यह महारानी को अधिकार होगा कि अगर अगले दिवसों में सत्र को बुलाना है तो सत्रावसान का वह आदेश दें। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे दो चीज निकलती हैं। एक तो यह है कि अगर सत्र आहूत कर दिया गया है तो सत्र आरम्भ हो जायगा ; इसलिये सत्रावसान करने की भी आवश्यकता होगी। दूसरी बात यह है कि अगर सत्र समाप्त करना है जिसका अधिकार हमारे संविधान में गवर्नर को १७४ के अन्दर दिया गया है कि वह आहूत हुये सत्र का सत्रावसान करे समाप्त कर सकते हैं। इसलिये अगर महामहिम राज्यपाल महोदय को यह आवश्यक था, या मन्त्रिमंडल की सलाह पर यह उन्होंने आवश्यक समझा, कि १६ तारीख से आगे सत्र आहूत करें तो उस दिन से सत्र आरम्भ माना जायगा और यदि २३ तारीख से यानी उस तारीख से आगे उनको आहूत करना है तो दूसरी आज्ञा से १६-९-६३ के सत्र को सत्रावसान करने की आज्ञा देना चाहिये। अगर प्रोरोग की आज्ञा नहीं देते तो संविधान में और कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा उनकी आज्ञा को निरस्त किया जा सके। इस सम्बन्ध में जो अभी कहा गया है.....

श्री अध्यक्ष---

कितना समय आप और लेंगे ?

श्री शारदाभक्तसिंह---

अभी मैं १०, १५ मिनट और बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष---

तो अब आपका भाषण कल होगा।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ८ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

दुबौली गोली-कांड की जांच-रिपोर्ट के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उप मन्त्री (श्री नवलकिशोर)---

३० अगस्त, १९६२ को ग्राम दुबौली, थाना घनघटा, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी जिसकी जांच के लिये आयुक्त वाराणसी डिवीजन को सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। जांच का उद्देश्य निम्नलिखित बातें ज्ञात करने के लिये था :

(१) क्या दुबौली बांध को काटने का पर्याप्त कारण था ?

(२) क्या यह अधिकारियों के लिये बाढ़-ग्रस्त गांवों को बचाने का सबसे अच्छा उपाय था ?

[श्री नवलकिशोर]

(३) जिला अधिकारियों द्वारा किस प्रकार स्थिति का सामना किया गया ?

(४) क्या गोली चलाने के लिये पर्याप्त कारण था और क्या जो बल प्रयोग किया गया वह न्यूनतम आवश्यक था ?

२—आयुक्त की रिपोर्ट सरकार को फरवरी, १९६३ में प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि आयुक्त ने १२५ व्यक्तियों के बयान लिये तथा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया।

३—थाना घनघटा में एक कच्ची सड़क जो जनक या रामजानकी नाम से प्रचलित है, पूरब से पश्चिम की ओर एक दूसरी सड़क को पार करती हुई जाती है जो कुवानों नदी के किनारे से निकल कर थाना घनघटा के सामने से जाती है। इस चौराहे से दुबौली गांव लगभग २ १/४ मील पश्चिम की ओर है और जनक रोड से लगभग १०० कदम दक्षिण की तरफ है। एक कच्ची सड़क जनक रोड से निकल कर दुबौली के पश्चिम की ओर १०० कदम दूर से जाती है जो गोरापार के पूर्व गोसैंसीपुर का रास्ता है। यह गोसैंसीपुर के रास्ते की सड़क टयूबवेल डिवीजन बस्ती द्वारा सन् १९५७ में ऊंची की गई थी और इसी को "दुबौली" बांध कहा जाता है। पानी के बहाव के लिये इस बांध के पश्चिम भाग से २ रास्ते थे—एक दुबौली-गोसैंसीपुर के बीच पूरब की तरफ उस स्थान से जहां दिनांक ३० अगस्त, १९६२ को रास्ता काटा गया, तथा दूसरा जनक रोड की पुलिया की तरफ। पहले रास्ते से पानी, बुजुर्गवार, काजी रुसतमपुर और उसकी पुलिया से होता कुरिया ताल और डिहवा के खेतों से होता हुआ ढोंढवाताल में जाता था। यह ढोंढवाताल लगभग ५–६ मील लम्बा और २ फर्लांग चौड़ा है। दूसरे रास्ते से पानी ककराहा, रसूलपुर, रानीपुर के खेतों से होता हुआ मुराबिहा रेगुलेटर से निकल कर कुवानों नदी में गिरता था और यदि पानी अधिक होता था तो निरंजनपुर रेगुलेटर से होता हुआ कुवानों नदी में जाता था।

४—आयुक्त इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि दुबौली बांध की सड़क जब ऊंची की गई तो उसमें पानी जाने का रास्ता छोड़ दिया गया था। जो लगभग ३ साल पहले सड़क के पूर्वी भाग में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा बन्द कर दिया गया था। जब यह रास्ता बन्द हो गया तो जो पानी ढोंढवाताल में जाना चाहिये था इस बांध के पश्चिमी भाग में इकट्ठा होने लगा और कुवानों नदी की तरफ रानीपुर के रास्ते से जाने लगा। इस ओर के व्यक्तियों ने इस रास्ते पर एक बांध अनाधिकृत तरीके से जनवरी, १९६२ में बना लिया, जिसको रानीपुर बांध कहते हैं।

५—अगस्त, १९६२ में बहुत अधिक वर्षा हुई और कुवानों नदी में भी बाढ़ थी। रानीपुर बांध बनने व दुबौली बांध के पानी जाने के रास्ते बन्द होने के कारण पानी का फैलाव लगभग सवा मील दुबौली बांध से रानीपुर तक ८०० एकड़ भूमि पर जो लगभग २५ गांवों की थी, फैल गया। इस पानी के फैलाव से दुबौली बांध के पश्चिम की तरफ रहने वाले व्यक्तियों को अत्यधिक परेशानी हुई। रानीपुर बांध के पास पानी का स्तर लगभग ५ या ६ फीट गहरा था और यह डर था कि यदि यह बांध टूट गया तो लगभग २,००० एकड़ भूमि में पानी फैल जायेगा और जनजीवन तथा सम्पत्ति की बहुत हानि होगी।

६—इस सम्बन्ध में दुबौली बांध के पश्चिम की ओर रहने वाले कुछ प्रधानों ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक २२ अगस्त, १९६२ को दिया जिसमें यह कहा गया था कि दुबौली बांध से पानी का रास्ता गोरखपुर के व्यक्तियों द्वारा ३ वर्ष हुए बन्द कर दिया गया था। उन्होंने यह प्रार्थना की कि इस बन्द रास्ते को खोल दिया जाय क्योंकि बांध के पश्चिम की ओर स्थित ३२ गांवों को पानी इकट्ठा होने से खतरा था। एक ओर प्रार्थना-पत्र बांध के पूर्व की तरफ रहने वाले गोरखपुर के कुछ व्यक्तियों का प्राप्त हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि बांध को दूसरी तरफ के व्यक्ति

जबरदस्ती खोलना चाहते थे परन्तु उनके, बी० डी० ओ० तथा पुलिस के हस्तक्षेप से वह ऐसा नहीं कर सके। यह भी कहा गया कि इस साल अत्यधिक वर्षा के कारण फिर बांध के उत्तरी व पश्चिमी भाग के लोग इस बांध को खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन प्रार्थना-पत्रों के मिलने पर थाना घनघटा के एस० आई० श्री मासूम हुसैन घटनास्थल पर पहुंचे तथा वहां जांच की। एस० आई० ने एस० पी०, डी० एस० पी०, सर्किल आफिसर को स्थिति से अवगत कराते हुए २५-८-६२ को अपनी रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि दुबौली बांध के पश्चिम की ओर २३ गांव बाढ़ग्रस्त हैं और यह लोग जनक रोड पर इकट्ठा हैं तथा बहुत मुसीबत में हैं और चाहते हैं कि रानीपुर और दुबौली बांध पानी निकालने के लिये काट दिये जायें। एक प्रार्थना-पत्र बी० डी० ओ० को भी प्राप्त हुआ था और उन्होंने भी रानीपुर तथा दुबौली बांध काटने की सिफारिश की थी। स्थिति की जांच हाकिम परगना के कहने पर बी० डी० ओ० और नायब तहसीलदार द्वारा मिल कर भी की गई थी। नायब तहसीलदार और बी० डी० ओ० की रिपोर्ट मिलने पर हाकिम परगना स्वयं, श्री ओ० पी० जैन, असिस्टेंट इंजीनियर ट्यूबवेल, जिनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्यूबवेल ने उनके साथ किया था जहां ३०-८-६२ को लगभग सुबह आठ बजे पहुंचे।

७--वहां पहुंचने पर इस पार्टी ने, जिसमें हाकिम परगना के अलावा असिस्टेंट इंजीनियर ट्यूबवेल, नायब तहसीलदार, ओवरसियर ट्यूबवेल, सुपरवाइजर-कानूनगो तथा पुलिस फोर्स व चौकीदार भी थे, स्थिति का सर्वेक्षण किया तथा इस निर्णय पर पहुंचे कि स्थिति को सुधारने के लिये केवल एक ही उपाय था और वह दुबौली बांध को इस जगह से काटने का था जिस स्थान पर पानी के लिये रास्ता अनाधिकृत तरीके से बन्द कर दिया गया था। हाकिम परगना ने स्थिति का मूल्यांकन प्राविधिक (Technical) व्यक्तियों से परामर्श करके किया और यह निर्णय लिया कि स्थिति को देखते हुए दुबौली बांध के पश्चिम की तरफ व्यक्तियों को सहायता (releif) तभी दी जा सकती थी जब दुबौली बांध के पश्चिम की तरफ का पानी ढोंढवाताल में गिराया जा सके। उनका यह भी निर्णय था कि रानीपुर बांध काट कर उधर से पानी का निकास करना उचित नहीं था, क्योंकि कुवानों नदी में बाढ़ थी जिसके कारण मुरादिहा व निरंजन रेगुलेटर बन्द हो गये थे और उधर से पानी जाने का रास्ता नहीं था। यह अनुमान लगाया गया कि दुबौली बांध काटने से पूर्व की ओर पानी के बहाव से इधर के गांवों में रहने वाले या फसल को कोई विशेष हानि नहीं होगी और बांध के पश्चिम की तरफ गांवों में स्थिति काफी सुधर जायेगी। अतः दुबौली बांध काटने का निश्चय किया गया। यहां यह भी कहना आवश्यक है कि एस० आई० की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने एक आर्म्ड गार्ड को गोरखपुर और रानीपुर ड्यूटी के लिये भेज दिया था। पहले इस बांध को काटने का विरोध नहीं किया गया परन्तु जब यह लगभग आधा कट चुका तो ५००-६०० व्यक्तियों ने, जिनके पास लाठी, बल्लम, फरसा थे, बांध को उस स्थान से काटने के विरोध में प्रदर्शन किया। हाकिम परगना ने थानाध्यक्ष को आदेश दिया कि वह लोगों को बांध को काटने का कारण बतायें तथा प्रदर्शनकारियों को शांत करने का प्रयत्न करें। उन्होंने स्वयं भी समझाने की चेष्टा की, परन्तु भीड़ नहीं मानी और बांध की तरफ बढ़ने लगी और जब घटनास्थल से लगभग १८० कदम पर थी तो एक व्यक्ति ने थानेदार पर लाठी का प्रहार किया और भीड़ यह नारे लगाती हुई "मारो मारो, कुछ भी हो जाय देखा जायेगा, बांध नहीं कट सकता" आगे बढ़ती गई। हाकिम परगना ने स्वयं भीड़ को कई बार चेतावनी दी और उसे अवैध घोषित करते हुए यह कहा कि यदि भीड़ नहीं हटी और आगे बढ़ी तो लाठी चार्ज किया जायगा और इस पर भी जब भीड़ नहीं हटी तो लाठी चार्ज का आदेश दिया। इस लाठी चार्ज का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा और भीड़ बजाय तितर बितर होने के आगे बढ़ती गई और उसका फासला बांध से केवल ९० कदम रह गया होगा तब एक व्यक्ति ने हाकिम परगना पर फरसे का प्रहार किया, परन्तु यह प्रहार श्री रामलाल ओवरसियर द्वारा रोक लिया गया। यह व्यक्ति अपना फरसा छोड़कर भीड़ में जा मिला। हाकिम परगना ने भीड़ को पुनः तितर-बितर होने को कहा और यह चेतावनी भी दी कि यदि भीड़ नहीं हटी तो गोली चलाई जायगी। भीड़ पर इसका भी कुछ असर नहीं हुआ और वह आगे बढ़ती गई। इस पर हाकिम परगना ने गोली

[श्री नवलकिशोर]

चलाने का आदेश दिया। आरम्भ में २ सिपाहियों द्वारा २ राउन्ड गोली चलाई गई पर जब भीड़ नहीं हटी तो और गोली चलानी पड़ी। इस फाइरिंग में ९ व्यक्ति घायल हुए जिनकी चिकित्सा का प्रबन्ध हाकिम परगना द्वारा किया गया। घायल व्यक्तियों में से ४ व्यक्ति बाद में अस्पताल में मर गये। घटना के पश्चात् २५ लाठियां, १४ बल्लम और १ फरसा भी घटनास्थल पर मिले। उसके बाद हाकिम परगना ने बांध कटवाया।

८—कमिश्नर जांच के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि बाढ़ग्रस्त गांवों को बचाने के लिये बांध का तुरन्त कटवाना आवश्यक था और केवल यही एक उपाय था। कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि सभी दृष्टिकोण से दुबौली बांध काटने का निर्णय न्यायोचित था तथा बांध काटने के पश्चात् जो स्थिति का मूल्यांकन किया गया उससे भी इसकी पुष्टि होती है। कमिश्नर इस निर्णय पर भी पहुंचे हैं कि गोली चलाना न्यायोचित था और न्यूनतम बल-प्रयोग किया गया। उनकी रिपोर्ट से यह भी ज्ञात होता है कि लाठी चार्ज करने व गोली चलाने से पहले भीड़ को समझाने तथा तितर-बितर करने के पूरे प्रयत्न किये गये थे और लाठी चार्ज व गोली चलाने के पहले चेतावनियां भी दी गई थीं। उनका यह भी निर्णय है कि स्थिति बहुत चिन्ता-जनक हो गई थी और भीड़ हिंसात्मक रूप में आगे बढ़ रही थी और कानून भंग पर तुली हुई थी और हाकिम परगना तथा दूसरे अधिकारी और अन्य व्यक्ति जो वहां थे सब का जीवन उस समय खतरे में था। स्थिति पर काबू पाने को तथा उस भीड़ को तितर-बितर करने को, जो अवैध घोषित की गई थी और जो बांध के काटने में हिंसात्मक विरोध पर तुली हुई थी, गोली चलाना आवश्यक था तथा यह तभी चलाई गई जब इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रह गया था। जैसे ही भीड़ तितर-बितर होने लगी गोली चलाना रोक दिया गया। इस कथन के विषय में कि कुछ लोगों को भागते हुए पीछे से गोली चलाकर घायल किया गया, कमिश्नर की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि भीड़ अर्द्ध-चक्र के रूप में आगे बढ़ रही थी और उसमें व्यक्तियों की स्थिति बदलती रहती थी और यह विश्वास के साथ कहना कठिन है कि कुछ लोगों को आगे बढ़ते हुए या पीछे हटते हुए चोटें आई थीं।

९—बल प्रयोग के विषय में कमिश्नर का निर्णय यह है कि न्यूनतम बल प्रयोग किया गया और गोली चलाना लगभग २ मिनट के बाद रोक दिया गया और केवल उतना ही बल प्रयोग किया गया जितना भीड़ को तितर-बितर करने व स्थिति पर काबू पाने के लिये उचित समझा गया। कमिश्नर का यह भी कथन है कि यदि हाकिम परगना गोली चलाने का निर्णय कुछ और विलम्ब से करते तो यह प्राणघातक सिद्ध हो सकता था।

१०—किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कमिश्नर ने कोई भी कार्यवाही करने का सुझाव नहीं दिया है और कमिश्नर की रिपोर्ट से सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का कार्य सही तरीके से किया जाना सिद्ध होता है।

११—सरकार ने कमिश्नर की रिपोर्ट पर पूर्ण रूप से विचार किया और उनके निर्णयों को स्वीकार कर लिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, अभी जो स्टेटमेंट हुआ उस पर आपने प्रश्न नहीं करने दिये?

श्री उपाध्यक्ष—

वह केवल बयान के लिये ही था।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३

सभिति अधिकारी, विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३, सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५३५–५३६ पर)

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३

सभिति अधिकारी, विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३, सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५३७–५३८ पर)

विधान सभा की कार्य-सूची के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज के एजेंडे में प्रेस की गलती से—हमारे यहां से तो ठीक गया था—इन चारों अध्यादेशों के बारे में अनुमोदन छप गया है, है अननुमोदन ।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ के अननुमोदनार्थ संकल्प

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३, का अननुमोदन करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह अध्यादेश पूरे प्रान्त के लिये जारी किया गया है लेकिन गवर्नमेन्ट के दूसरे नोटीफिकेशन के द्वारा सूबे के समस्त जिलों में, उत्तराखंड के जिलों को छोड़कर जिनके जिला परिषदों का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९६७ तक है, और उन्नाव जिले को छोड़कर जो कि सुपरसीडेड है, अन्तरिम जिला परिषद् निरस्त हो चुके हैं और वहां जिला परिषद् कायम हो चुकी हैं । इसलिये यह अध्यादेश केवल उन्नाव जिले के लिये ही प्रभावी रहता है। उन्नाव जिले की एक भिन्न परिस्थिति है और वहां की विशेष परिस्थिति के कारण सरकार को यह अध्यादेश लाना पड़ा । वह विशेष परिस्थिति यह है कि उन्नाव परिषद् सुपरसीडेड है और २१–२–६३ के आदेश से सरकार ने उन्नाव जिले की अन्तरिम परिषद् को सुपरसीड किया क्योंकि वहां के अध्यक्ष, जिन्हें अब भूतपूर्व अध्यक्ष कहना चाहिये, जो उस समय थे, जब से वह अध्यक्ष हुये, उन्होंने तमाम कायदे कानूनों को अलग रखकर, जितनी कार्य की प्रक्रिया है उसे अलग रखकर कमेटी के फैसले की अवहेलना करके तानाशाही और मनमाने ढंग से कार्य का संचालन किया। इसका नतीजा यह हुआ कि १९०६ अध्यापक वहां ऐसे नियुक्त किये गये, १०० जूनियर हाई स्कूल और ४० प्राइमरी स्कूल ऐसे खोले गये, जिनकी सरकार से मंजूरी नहीं थी। इससे परिषद् के ऊपर करीब १४ लाख रुपया का भार हो गया और वह ऐसी हालत में नहीं रही

[श्री भीखालाल]

कि अध्यापकों को वेतन दे सके। उनका वेतन रुक गया। यही नहीं, १९६१-६२ का रिवाइज्ड बजट भी प्रेसक्राइब्ड अथारिटी से एप्रूव नहीं कराया गया। १९६२-६३ और ६३-६४ का बजट कमेटी के सामने पेश नहीं किया गया और पास नहीं हुआ। जब अध्यापक ६,७ महीने तक बगैर तनख्वाह के रहें तो उन्होंने भूख-हड़ताल और तरह तरह की बातें अपनी तनख्वाह वसूल करने के लिये और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये कीं और सरकार को परिषद् को सुपरसीड करना पड़ा। मैं इस मौके पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट ने अपने ही इरादे से यह कदम नहीं उठाया बल्कि अन्तरिम जिला परिषद् के कुछ माननीय सदस्यों ने भी जब परिषद् को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना हुआ देखा तो सरकार से लिखित मांग की कि परिषद् में सरकार हस्तक्षेप करे। मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि एक एक अध्यापक से ५०,५० और १००,१०० रुपये रिश्वत लेकर उन्हें नौकर रखा गया और अध्यक्ष महोदय ने अपने पक्ष में लोगों को लाने के लिये अपने गुट के लोगों को सादे परवाने दस्तखत करके दे दिया और अधिकार दे दिया कि तुम किसी भी आदमी को किसी भी स्कूल में नियुक्त कर सकते हो, जिससे अन्धाधुन्ध अध्यापकों की नियुक्ति हुई। इसलिये कुछ सदस्यों ने सरकार से लिखित प्रार्थना की कि सरकार उसमें हस्तक्षेप करे। परिस्थिति यह थी कि किसी को पता ही नहीं था कि किस स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं और कितने अध्यापक हैं। ६०,६० वर्ष के बुड्ढे और चौथे और तीसरे दर्जे फेल लोगों को अध्यापक रख लिया गया। ऐसी स्थिति में अन्तरिम जिला परिषद् के करीब ३०,३५ माननीय सदस्यों ने सरकार से निवेदन किया कि अब कोई रास्ता इस परिषद् को सुधारने का नहीं रह गया है सिवाय इसके कि सरकार उसमें हस्तक्षेप करे क्योंकि वहां बजट के प्राविधान के विरुद्ध खर्चे हुए और शिक्षा तथा नियोजन का काम बिलकुल ठप हो गया है। यद्यपि यह एक कड़वा घूंट था क्योंकि किसी भी जनवादी संस्था में सरकार का हस्तक्षेप मांगना उचित नहीं प्रतीत होता, लेकिन जो लोग जिले के काम को ठीक से चलाने के हामी थे, जो लोग शिक्षा प्रसार में गड़बड़ी पैदा नहीं होने देना चाहते थे, जो नियोजन के कार्यों को चलाना चाहते थे और जो भ्रष्टाचार व तानाशाही को मिटाना चाहते थे, उन्होंने लिखित प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजा कि उन्नाव अन्तरिम जिला परिषद् को सुपरसीड किया जाय। लिहाजा वह सुपरसीड किया गया।

अब अन्तरिम जिला परिषद् उन्नाव के सामने यह संकट है कि १९०६ अध्यापकों का वेतन बाकी है। माना कि वे गलत तरीके से नियुक्त किये गये थे, लेकिन तैनात हुये थे अध्यक्ष के आदेश से ही। उन्होंने करीब साल भर तक काम किया लेकिन उनमें से एक को भी आज तक एक दिन की तनख्वाह नहीं मिली है। मैं यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि जो खर्चा करके वे अध्यापक हुये थे वह भी उनका वापिस नहीं मिला। वैसे तो यह मामला बहुत काफी बड़ा है, करीब १३, १४ लाख रुपये का है, लेकिन जब सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया है और प्रशासन अपने हाथ में लिया है और वहां की गड़बड़ियों का सुधार करना चाहती है, तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार अन्तरिम जिला परिषद् को अनुदान के रूप में, सहायता के रूप में, रुपया देकर उन अध्यापकों का वेतन दिलावे। उनका कोई कसूर नहीं है। खता तैनात करने वाले अध्यक्ष की है। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो रही है और मुकदमे चल रहे हैं जो अदालत के सिपुर्द हैं। जो कुछ भी उन्हें सजा मिले वह मिले। लेकिन इन गरीब अध्यापकों का वेतन किसी न किसी रूप में अवश्य मिलना चाहिये। आज उन्नाव जिले की यह प्रमुख समस्या है और हर आदमी चिन्तित है कि किसी न किसी तरह से इन अध्यापकों का वेतन मिलना चाहिये। इसलिये मेहरबानी करके सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और जितनी रकम की अध्यापकों के वेतन के लिये आवश्यकता है वह अनुदान के रूप में अन्तरिम जिला परिषद् को देकर अध्यापकों का वेतन दिलावे।

जहां तक अन्तरिम जिला परिषद् का सुपरसेशन का काल २१ दिसम्बर तक बढ़ाने के लिये इस अध्यादेश से रखा गया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत लम्बा अर्सा है। फरवरी में वह सुपरसीड

हुआ था जिसे आज करीब ७ महीने हो गये। इससे काफी समय अधिकारियों को और सरकार को मिला कि वहां के काम को ठीक करे; बहुत कुछ हालत में गड़बड़ियां दुरुस्त हो भी गई हैं। एकाउन्ट में और पैसे के मामले में जो गड़बड़ियां थीं वे करीब सब ठीक हो गई हैं। इसलिये उसके सुपरसेशन के काल को ज्यादा लम्बा बढ़ाना उचित नहीं है। इसलिये हम इस दृष्टि से इस अध्यादेश का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उसके सुपरसेशन का काल बढ़ाया जाय बल्कि वहां भी परिषद् की स्थापना, जैसी और जिलों में की गई है, होनी चाहिये। इसलिये मैं इस अध्यादेश का अननुमोदन करता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय सदन हमारे विचारों से सहमत होगा, क्योंकि किसी भी जनवाद में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप किसी संस्था के कार्य में अनुचित माना गया है। हस्तक्षेप हुआ वह तो ठीक है लेकिन अब परिस्थिति इस काबिल हो गयी है कि उसको हटा लिया जाना चाहिये, ३१ दिसम्बर तक के लिये उसको बढ़ाना अनुचित है। इसलिये मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि माननीय सदन मेरे विचारों से सहमत होगा और इस अध्यादेश का अननुमोदन करेगा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बहुत लम्बी चौड़ी बहस हो रही है लेकिन दोनों ओर के दृष्टिकोणों में बहुत थोड़ा-सा अन्तर है। मैं इस अध्यादेश का इसलिये अननुमोदन करने के लिये खड़ा हूं कि ३१ दिसम्बर तक का कार्यकाल इसके द्वारा बढ़ाया जा रहा है। यह तो इससे पहले भी कर सकते थे। फरवरी, मार्च और अप्रैल में, जब कि आपने अंतरिम जिला परिषदों को समाप्त किया था और जब असेम्बली चालू थी, जब सरकार इसको लाने के लिये सक्षम थी, सदन में उसे रखे जाने का अवसर था, फिर आपने वह न करके यह गलती क्यों की? अब उस गलती को ठीक करने के लिये आप यह करने जा रहे हैं। माननीय सदन समझता है कि इसके कारण कितना खर्चा इस सरकार को करना पड़ा है। इसी के कारण अदालत में जाना पड़ा। अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिये ही सरकार ने इस अध्यादेश को जारी कराया है और ऐसे समय में जारी कराया जबकि सरकार को मालूम था कि सदन की बैठक होने वाली है। कारण कि एक वैकुअम पैदा हो गया। अन्तरिम जिला परिषदें समाप्त हो गयीं और जिला परिषदों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया और परिस्थिति विकट हो गयी। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग हुई। शेड्यूल्ड कास्ट के लिये जो सीट्स रिजर्व होती हैं उनमें से अगर कोई कोटा पूरा नहीं होता तो ऐसा कहा जाता था कि आयन्दा उसका कोटा पूरा कर दिया जायगा। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में रिट पेश हुई कि अगर नियत कोटा पूरा हो जाता है तो मेरा नम्बर आ जाता। न आने से मेरा नुकसान हुआ है। तो उसमें एक प्रश्न उपस्थित किया गया कि यह गलती सुप्रीम कोर्ट ने की है लेकिन इस परिस्थिति को कैसे हल किया जाय। तो उन्होंने कहा कि यह काम उनका था जिन्होंने बनाया था, तो गड़बड़ी जिसने की वही गड़बड़ी को दूर करे। आप तो उस गड़बड़ी को दूर करने के लिये ही यह अध्यादेश लाये हैं ताकि जिला परिषदों का कार्यकाल बढ़ सके। यह तो आप और गड़बड़ी कर रहे हैं कि ३१ दिसम्बर तक इनका कार्यकाल बढ़ा रहे हैं और इस तरह से आप एक मुर्दे में जीवन डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपने एक आदेश निकाला कि जिला परिषदों का चुनाव हो जाय तो फिर आप ऐसा न करके यह क्यों चाहते हैं कि अन्तरिम जिला परिषदें जिन्दा हो जायं?

श्री उपाध्यक्ष--

आप दोनों को मिला कर कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इस अध्यादेश के लिये अब केवल १० मिनट ही समय रह गया है, इसका भी ध्यान रखें।

श्री दीपनारायणसिंह--

मैं खत्म ही कर रहा हूं लेकिन एक मुर्दे में जान डालने वाला तो यह एक अजीब तरीके का अध्यादेश है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

दोनों में इम्पार्टेन्ट कौन है, बतला दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

जिसको आप समझें । समय का भी खयाल रखें ।

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, इस अध्यादेश को निकालने का एक प्रयोजन है । जैसी अवस्था उत्पन्न हो गयी थी उससे किस प्रकार से निकला जाय उसके लिये यह एक छोटा सा अध्यादेश निकाला गया । अब इसके बाद जब आप बड़े अध्यादेश पर बहस करेंगे तब एक दिलचस्पी की चीज आपके लिये होगी लेकिन मेरी तो आपसे यह विनम्र प्रार्थना है, यदि हम और आप दोनों चीजों को पढ़ करके उनके मतलब को समझ करके आवेशहीन तरीके से उस पर विवाद करें तो हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे । मैं दो तीन रोज से जो देख रहा हूं उससे दुख होता है । आखिर हम लोग सभी प्रतिनिधि हैं, एक कार्यवश, एक उद्देश्य अपना रख कर यहां आये हैं और हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हम यह देखें कि इस सदन का एक लमहा भी बेकार न जाय, क्योंकि इसमें इतना धन लगता है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोगों का बीच में इस तरह से टोकना ठीक नहीं है ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह हमारे लिये भी, आपके लिये भी और इस भवन की प्रतिष्ठा के अनुकूल होता और बाहर लोग भी यह समझते कि हम लोग सचमुच में एक कार्य जो हमारा है, उसको अंजाम दे रहे हैं । अभी अभी माननीय दीपनारायण सिंह ने जो भाषण दिया, मैं समझ गया और मुझे उसका दुख हुआ कि आपने .....

श्री दीपनारायणसिंह—

आपने ऐसा मिला दिया है कि सब गड़बड़ हो गया है ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस बात का तनिक ध्यान नहीं रखा कि आप किस चीज पर बोल रहे हैं । आपने मुझ को यह कह दिया कि मैं एक मरी हुई चीज में जान फूंक रहा हूं । इससे न तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है और न आपकी बढ़ती है । यह जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है उसमें यह ठीक न होगा कि वह कार्य जो हम करें हैं वह हमारे उसूलों के अनुकूल न होगा अगर हम शक्ति का विकेन्द्रीयकरण न करें । इसीलिये पहले जिला परिषदें थीं, उस के बाद कमेटी बिठाई गई, उसने कुछ सुझाव दिये और यह कहा कि अब इस तरह से आप उस स्तर पर विकेन्द्रीयकरण कर सकते हैं । प्रजातंत्र में सब काम लखनऊ से हो या दिल्ली से ही हो उस को हम प्रजातंत्र की संज्ञा नहीं दे सकते, उस संज्ञा को देने के लिये और उसको वास्तविक बनाने के लिये यह आवश्यक है कि शक्ति का विकेन्द्रीयकरण हो । मेहता कमेटी बैठाई गई, उसने सुझाव दिया .....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यह कैसी भाषा बोल रहे हैं, वह किस सम्बन्ध में बोल रहे हैं ? वह विषय से बिलकुल अलग बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बीच में क्यों टोक रहे हैं ? उन को] कहने दीजिये, वह कोई इर्रेलेवेंट बात नहीं कह रहे हैं, वह अध्यादेश के बारे में ही कह रहे हैं ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

बैठिये, सुनिये, आप अभी नये आये हैं, जरा समझिये, सुन लीजिये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं नया कैसे आया हूं ? मैं तो ६ साल से हूं लेकिन आप अभी असेम्बली के सदस्य भी नहीं हो सके हैं । आप उनसे रिमार्क वापस कराइये ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

बैठिये जरा, सलीका सीखिये ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि ....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

वह वापस करें उन शब्दों को ....

श्री उपाध्यक्ष—

कोई शब्द ऐसे उन्होंने नहीं कहे हैं ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, आवेश में आदमी की बुद्धि हीन हो जाती है और जब आदमी आवेश में हो जाता है तो बुद्धि संतुलित नहीं रहती और समझ नहीं पाता कि कहां बोलना चाहिये और कहां नहीं बोलना चाहिये; इसलिये आप अपनी बुद्धि को संतुलित कर के बैठिये, आप के नेता बैठे हैं वह सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, वह आपको कह रहे हैं कि बोलना नहीं आता, अगर वह आप के द्वारा कहें तब भी ठीक होता ....

श्री उपाध्यक्ष—

वह सब समझ रहे हैं । आप बैठ जायं ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं तो उन्हीं की तारीफ कर रहा था । मैं आपकी नहीं, उन्हीं की प्रशंसा कर रहा था । इस तरह से दोनों के बीच में, जिला परिषद् और क्षेत्र समिति के बीच में, क्या व्यवस्था हो उसके लिये यह अन्तरिम जिला परिषद् ऐक्ट पास किया गया था, छोटा सा १२–१३ दफाओं का ऐक्ट था उसके द्वारा काम चल रहा था और उस का उद्देश्य यह था कि उस बीच में क्षेत्र समिति ऐक्ट बनाया जायगा और जब उसके अनुसार चुनाव हो जायेंगे और जिला परिषदें बन जायेंगी, उस बीच की अवधि के लिये यह अन्तरिम जिला परिषद् बनाई गई, पहाड़ के कुछ जिलों को छोड़कर वह सब जगह बनाई गई । सब जगह चुनाव हो रहे थे लेकिन उसी बीच में उन्नाव

[श्री हरगोविन्दसिंह]

की जिला परिषद् में कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई जिसके कारण यह आवश्यक हो गया कि उसको सुपरसीड किया जाय। वहां पर जहां तक क्षेत्र समिति का सम्बन्ध था उसके चुनाव हो चुके थे। जहां तक जिला परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव का संबंध है वे उसके कारण रुक गये। क्षेत्र समिति ऐक्ट के अन्तर्गत नोटिफिकेशन इश्यू किया गया। प्रान्त के सब जिले उसमें सम्मिलित थे। उन्नाव जिला शामिल नहीं किया गया और चूंकि क्षेत्र समिति ऐक्ट की दफा १७ के मातहत वहां चुनाव नहीं हो सका था। इसीलिये जरूरी हुआ कि वहां की अन्तरिम जिला परिषद् की जिन्दगी बढ़ाई जाय, और इसलिये यह अध्यादेश लाया गया। अगर पढ़ा जाय तो उस ऐक्ट में यह है कि दफा १७ का नोटिफिकेशन होगा। उसके फलस्वरूप प्रान्तभर में अन्तरिम जिला परिषद् का अन्त हो जायगा। अध्यादेश इसलिये लाया गया कि दिसम्बर तक इसकी जिन्दगी बढ़ा दी जाय और दिसम्बर के भीतर ही उसका चुनाव हो जायगा और तब वहां भी जिला परिषद् की स्थापना हो जायगी। यह छोटा-सा आर्डिनेन्स पास किया गया इसलिये कि उस वक्त हाउस सेशन में नहीं था। तो इसमें कौन-सी नीयत खराब हो सकती थी, यह मेरी समझ में नहीं आया। यह वस्तुस्थिति थी जिसे मैंने सदन के सामने रख दिया। हां, आवेश में आकर कोई शख्स संतुलित ढंग से किसी चीज को नहीं सोच सकता। जितना इधर के बैठे हुए लोगों का धर्म और कर्त्तव्य है उतना ही उधर के बैठे हुए लोगों का कर्तव्य और धर्म है कि हर एक चीज को सोच समझ कर, पढ़-लिख कर हमारे सामने रखें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके सुझावों पर हम बिचार करेंगे लेकिन अपोजीशन का केवल यह काम रह गया है कि चाहे जो कुछ इधर से आये उसको बिला समझे, पढ़े-लिखे मुखालिफत करेंगे और किसी को बोलने नहीं देंगे, तब दूसरी बात है। कितनी प्रतिष्ठा हमारी हो रही है, उसका मैं उदाहरण देता हूं। गैलरी में एक सज्जन बैठे हुए थे। वह सज्जन बाहर निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज का कार्यक्रम जब छपा करे उसमें यह छपना चाहिये "प्रश्नोत्तर नं० १" और दूसरे "हड़बोम नं० २"। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह ऐसा अध्यादेश था जिसका स्वागत होना चाहिये।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री जो दूसरे की कही हुई बात को इस सदन की कार्यवाही में ला सकते हैं.....

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप इस पर व्यवस्था दें कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य न हो वह हमारे एजेंडे के बारे में राय दे सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

राय नहीं दे सकता। वैसे वह आपस की बातचीत का हवाला दे रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा है।

श्री दीपनारायणसिंह—

अध्यादेश संख्या २, अंन्तरिम जिला परिषद् के संबंध में, अध्यादेश संख्या ५, जिला परिषद् के संबंध में; क्या इन दोनों अध्यादेशों के कारण इस समय प्रत्येक जिले में जिला परिषद् कार्य कर रहा है या अन्तरिम जिला परिषद् कार्य कर रहा है ? उनके अध्यक्ष जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं या अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप जरा बैठिए। पहले भी आपने ऐसी ही बात कही थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों और बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा दें तो बोलने वाले सदस्य को खुद चाहिये कि बैठ जायें। लेकिन अगर उनके पास इतनी अक्ल न हो तो चेयर का यह कर्तव्य हो जाता है कि उनको बैठा दे। जिस वक्त माननीय केशरीप्रसाद पांडेय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस वक्त माननीय मंत्री जी खड़े रहे। तो क्या एक साथ दो सदस्य सदन में बोल सकते हैं ? आप इस पर व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर यही आप कर लें तो बड़ा अच्छा हो।

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह बड़ी अच्छी परम्परा होती अगर मेरे मित्र जैसा कि माननीय रामसुन्दर जी कह रहे हैं, उस पर अमल करते। सुबह से जब से यहां आ कर बैठता हूं मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के पन्ने-पन्ने की धज्जी उड़ जाती है लेकिन व्यवहार में देखता हूं कि मैं तो खड़ा हूं और आठ-आठ आदमी बोलने लगे। व्यवस्था का प्रश्न क्या, कैसे उठाया जाता है यह अगर आपके द्वारा मेरे मित्र लोग सीख लेते तो इस प्रान्त का बड़ा कल्याण हो जाता।

(व्यवधान)

मैं तो आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यही प्रार्थना करता हूं कि यदि सचमुच इस प्रान्त का कल्याण करना है तो आप उसी तरह व्यवस्था का प्रश्न उठाया कीजिये जैसे उठाना चाहिये और अगर वैसा न करियेगा तो इसके लिये भी आपको तैयार रहना चाहिये कि दूसरे भी वैसा ही कर सकते हैं गो कि इधर के लोग वैसा करना नहीं चाहते।

जहां तक उन्नाव का प्रश्न है, अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी थी कि गवर्नमेन्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया, बड़ा अच्छा किया लेकिन अब उसमें कुछ नहीं करना चाहिये। तो क्या आखिर उसे वैसे ही छोड़ दें ? क्या सब जगह जिला परिषद् रहे और उन्नाव में अन्तरिम जिला परिषद् ही रहे ? सात महीने का वक्त तो सिर्फ इसीलिये लिया गया कि उस बीच में हम इलेक्शन करा के और जिलों की तरह वहां भी जिला परिषद् की स्थापना हो जायगी। मैं तो यह समझता हूं कि आप उसका अनुमोदन करेंगे लेकिन इधर के बैठने में और उधर के बैठने में बुद्धि में इतना विभ्रम नहीं होना चाहिये कि इधर से जो चीज आये उसका विरोध करें। इसलिये मैं समझता हूं कि यह अध्यादेश उस तरह की आवश्यकता की पूर्ति के लिये किया गया है और भवन इसे स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय भीखालाल जी अब टाइम नहीं है। इसे जो हाउस ने समय तय किया है उसके अन्दर खत्म करना है।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बहुत समय मंत्री जी को दिया। "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" की बात यहां पर चरितार्थ होती है। आपने कहा तो यह कि समय नष्ट नहीं होना चाहिये, परन्तु आपने बहुत समय सदन का ले लिया लेकिन अधिनियम पर कुछ नहीं कहा और प्रवचन करते रहे। जो संशोधन भीखालाल जी ने रखा है उसके समर्थन में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अधिनियम यह है कि उन्नाव के अन्तरिम जिला परिषद् का कार्यकाल बढ़ाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह जून, १९६३ में आर्डिनेन्स के द्वारा ३० दिसम्बर तक बढ़ाया गया था। अब सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

की निष्क्रियता यह है कि ६ महीने में यह हिसाब-किताब भी नहीं बैठा सकी। इसका समय ही नहीं बढ़ाना चाहते हैं बल्कि आपकी इंटेंशन कुछ और है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के चार्ज में आप वोट लेना चाहते हैं वरना ६ महीने के बीच में हिसाब-किताब ले लेते और जिस तरह से और जिला परिषदों में लागू किया इसमें भी कर सकते थे। लेकिन सरकार की शिथिलता है जो ठीक नहीं है। अन्तरिम जिला परिषद् डी० एम० के काबू में रहे इसीलिये समय बढ़ाना चाहते हैं। आज ही एक प्रश्न आया कि वहां के मास्टरों को ११ महीने की तनख्वाह बाकी है। अगर जिला परिषद् का अध्यक्ष तनख्वाह न दे सकता तब तो बात और थी लेकिन डी० एम० के होते हुए भी ११ महीने तक मास्टरों का वेतन पड़ा रहा।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई नई बात कहिये।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, यह नई बात है। श्रीमन्, ६ महीने में हिसाब-किताब हो सकता था लेकिन आपका इंटेंशन कुछ और ही है इसलिये इसको कंटीन्यू करना चाहते हैं।

श्री भीखालाल—

उपाध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम के संबंध में मंत्री जी ने अपने भाषण में जो कुछ समय लिया उसमें उपदेश ज्यादा था और अध्यादेश के बारे में बहुत कम था। उपदेश ही देते रहे। एक बात उन्होंने सच कही कि इधर के और उधर के बैठने वालों की बुद्धि में फर्क होता है। अगर मंत्री जी में इधर के लोगों की सी बुद्धि आ जाय तो प्रदेश का कल्याण हो जाय, अगर सद्बुद्धि आ जाती तो उन्नाव का कल्याण हो जाता। मैंने कहा था कि उन्होंने ७ महीने का समय लिया और मास्टरों का साल भर का वेतन बाकी पड़ा रहा उसका क्या किया? इसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और हमारी बुद्धि का उलाहना दे रहे हैं। कौन-सी चीज ठीक करना चाहते हैं जिसके लिये आप दिसम्बर तक समय लेना चाहते हैं? वे बराबर उपदेश देते रहे और कोशिश करते रहे जिससे अपोजीशन वाले इंटरप्ट करते रहें। सरकार को अनुदान स्वरूप अध्यापकों को, जिन्होंने साल भर तक अध्यापन का कार्य किया है वेतन दे देना चाहिये, जो भूखे मर रहे हैं। इन तमाम बातों पर मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। अगर मंत्री जी में इतनी सद्बुद्धि आ जाय कि उन गरीबों के ऊपर दया दृष्टि करके, वहां की परिस्थितियों को ठीक करने के लिये सरकार से अनुदान दे दें, तो उन्नाव जिले का कल्याण हो जायगा।

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, फिर वही बात दोहरानी पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह न दोहराइये।

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसलिये दोहरानी पड़ती है क्योंकि अध्यादेश से और मास्टरों को तनख्वाह दी गयी या नहीं दी गयी इससे क्या संबंध है, यह मैं समझा देना चाहता हूं, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। अध्यादेश इसलिये निकाला गया क्योंकि हमारे चुनाव नहीं हो सके हैं, इसलिये उस कमी को पूरा करने के लिये निकालना पड़ा। लेकिन उनको रोटी ही रोटी नजर आती है। १८ सौ टीचर्स को किसने अप्वाइन्ट किया? किसने अनुमति दी है? अगर आपको अख्तियार दे दिया

जाय कि आप १८ सौ चीचर्स को अप्वाइन्ट करके उसके बाद गवर्नमेन्ट के पास आयें कि तनख्वाह दीजिये .....

श्री टम्केश्वरप्रसाद—

व्यवस्था का प्रश्न है। आपका नाम फिर आ रहा है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

चूंकि, श्रीमन् उन प्रश्नों का संबंध अध्यादेश से नहीं था इसलिये मैंने सदन का समय बचाने के लिये आपका और सदन का समय लेना नहीं चाहा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ के अननुमोदनार्थ संकल्प

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, इसको पेश करने से पहले एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने यह सवाल विचाराधीन है कि इस असेम्बली का सेशन १६ तारीख को बुलाया गया या २३ तारीख को इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था नहीं दी है। जब तक इस पर माननीय अध्यक्ष कोई व्यवस्था न दें, अध्यादेश के अननुमोदन का प्रस्ताव पेश नहीं हो सकता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि जब २३ तारीख को अध्यादेश को सदन की मेज पर रखने के लिये अनुमति मांगी गयी उस समय हम लोगों ने और माननीय नेकराम शर्मा तथा माननीय उग्रसेन ने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया कि यह पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। उस समय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसको पुरःस्थापित कर लीजिये। मैं अपनी व्यवस्था इन प्वाइंट्स के ऊपर जब विचार किया जायगा तब दे दूंगा। अगर आप विचार शुरू करवायेंगे तो आप हमारी व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें, जो माननीय काशीनाथ जी ने उठाया है। उसके बाद आप बहस जारी करें। मैं समझता हूं कि आप इधर के बैठने वालों या उधर के बैठने वालों को, किसी को प्रेस न करें तो अच्छा होगा क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय के अभी अंडर कंसीडरेशन है। तीन रोज से बहस इसके ऊपर चल रही है।

श्री टम्केश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना है कि जो बात नरसिंहनारायण जी पांडेय और काशी नाथ जी ने कही है, प्रेसीडिंग्स मंगा कर देख लीजिये, अपनी रूलिंग देने के पहले, उससे साफ हो जायगा क्योंकि मैं भी उस ऐतराज में शामिल था। प्वाइंट आफ आर्डर पर रूलिंग हुये बिना इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, यह जो अध्यादेश हमारे सामने प्रस्तुत है २३ तारीख को माननीय अध्यक्ष ने यह कह दिया था और जब तक प्वाइंट आफ आर्डर के ऊपर वह अपनी व्यवस्था न दे दें तब तक यह स्थगित रखा जायगा। प्रोसीडिंग्स आपके सामने सदन की है। आप उन प्रोसीडिंग्स

[श्री नेकराम शर्मा]

को मंगा लें और कल शायद वह इस पर अपनी व्यवस्था देंगे। तो जब तक व्यवस्था न हो जाय तब तक आप इस प्रस्ताव को न लाने दें और न उसके लिये अनुमति दें।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने माननीय काशीनाथ जी को इसलिये बुलाया था कि वह अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करें ?

श्री उपाध्यक्ष—

जी हां।

श्री चन्द्रजीत यादव—

तब श्रीमन्, इस पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन यह अध्यादेश सदन की मेज पर रखा जा रहा था उसी समय एक व्यवस्था का प्रश्न उठा था और उस प्रश्न के साथ हमारा वैधानिक प्रश्न और एक कानूनी प्रश्न दोनों उसके साथ नत्थी थे। प्रश्न यह था कि जब महामहिम राज्यपाल ने विधान सभा के सत्र को आहूत किया और २९ तारीख का वह नोटिफिकेशन था जिसमें १६ सितम्बर के लिये विधान सभा का सेशन बुलाने के लिये आदेश दिया, उस नोटिफिकेशन को कैंसिल नहीं किया गया और ३१ अगस्त को दूसरा समन, आर्डर निकला जिसमें यह कहा गया कि विधान सभा का सत्र २३ तारीख को बुलाया जायगा, तो अब सदन के सामने प्रश्न यह विचाराधीन है कि जब १६ तारीख के लिये विधान सभा का सत्र बुलाया गया तो क्या गवर्नर महोदय को इस बात का अधिकार था कि संविधान की धारा २१३ के अन्तर्गत वह कोई आर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकते थे ? हम लोगों की आपत्ति यह थी कि चूंकि सदन सत्र में था १६ सितम्बर से और १७ सितम्बर को यह अध्यादेश जारी किया गया, इसलिये गवर्नर महोदय ने विधान के विपरीत काम किया है और इस तरह का कोई आर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता और न उस आर्डिनेंस के अन्तर्गत कोई कार्यवाही हमारे प्रदेश में हो सकती है और जो भी कार्यवाही हुई है, वह सब अवैधानिक है, गैरकानूनी है और इस तरह का अध्यादेश हमारे सामने नहीं रखा जा सकता। हमारी इस आपत्ति पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि इस पर हम विचार करेंगे और उन्होंने कहा कि अभी यह सदन की मेज पर ले आउन नहीं होगा, लेकिन बाद में कहा कि हम विवाद तब तक नहीं जारी होने देंगे जब तक कि जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उस व्यवस्था के प्रश्न पर हम अपनी राय नहीं दे देते। उसी के साथ दो प्रश्न संबंधित हैं। एक विशेषाधिकार का प्रश्न उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ है जिन्होंने गलत ढंग से पहले समन को बगैर कैंसिल किये हुये दूसरा समन जारी किया, वह विशेषाधिकार का प्रश्न भी पेंडिंग है हाउस के सामने और दूसरा वह व्यवस्था का प्रश्न है जो अध्यादेश को सदन के सामने रखने पर उपस्थित किया गया है, उस पर भी अध्यक्ष महोदय की रूलिंग अभी नहीं हुई है। इस व्यवस्था के प्रश्न पर जब तक निर्णय नहीं हो जाता है, कि आया १६ से सदन की बैठक आहूत है या २३ से अध्यादेश सत्र होने के बाद निकला या उस समय निकला जब सत्र नहीं था, तब तक सदन इस पर विचार नहीं कर सकता। मैंने स्वयं भी इस पर अननुमोदन का प्रस्ताव इसीलिये नहीं दिया कि अभी यह विचाराधीन नहीं है। इसलिये आप इसके ऊपर विचार करने की अनुमति न दें जब तक कि निर्णय नहीं हो जाता।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

इससे एक और भी परिस्थिति पैदा होगी और वह गम्भीर परिस्थिति यह होगी कि अध्यक्ष की रूलिंग और सदन के प्रस्ताव दोनों में टकराव होगा। इस संघर्ष को आप किस प्रकार बचायेंगे ? इसी तरीके से बचाया जा सकता है कि इस अध्यादेश को आप हटायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

यह दोनों बातें जो श्रीमन्, कही गईं उनमें कहीं कोई विरोध नहीं मालूम होता। इसलिये कि अगर यह जो प्रस्ताव दिया गया है, यह पास हो जाता हैं तो वह, जितनी उस पर आपत्तियां हैं वह सब अपनी जगह पर फ़ीज हो जाती हैं। इसलिये इन दोनों में कोई परस्पर विरोध नहीं है, एक बात। दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि दोनों का उत्तरदायित्व जिन्होंने प्रस्ताव दिया है उनके ऊपर है। एक दफा आपने एक प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव इस बात का दिया कि यह डिस्एप्रूव कर दिया जाय, और दूसरी ओर यह कहते हैं कि कानूनन इस पर बहस नहीं होनी चाहिये थी और फिर यह कहते हैं कि अध्यादेश जारी नहीं होना चाहिये था, दोनों चीजें कह कर के एक से दूसरे पर सहायता लें यह संभव नहीं है।

तीसरी बात यह भी है कि अब सदन इसका मालिक हो गया है इसलिये जब तक सदन से अनुज्ञा न ली जाय तब तक अब यह प्रश्न हटाया नहीं जा सकता।

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं, आप बैठ जाइये।

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं प्वाइंट आफ आर्डर के प्रश्न को उपस्थित कर रहा हूं। उसे आप सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनको अपनी बात कहने दीजिये। आप बैठ जाइये।

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं प्वाइंट आफ आर्डर पेश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन यह प्वाइंट आफ आर्डर के बीच में दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं यह कह रहा था कि एक ही तरीका हो सकता है कि अगर आप अनुमति दें और जिन लोगों ने प्रस्ताव दिया वे अपने प्रस्ताव को वापस लें और यह सदन उनको इस बात को स्वीकृत दे कि वे वापस ले सकते हैं तभी इस पर बहस रुक सकती है।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है कि २ दिनों से इस अध्यादेश की वैधानिकता के प्रश्न पर बहस इस सदन में जारी है और आज भी १ बजे उसी प्रश्न पर बहस होने के बाद अध्यक्ष महोदय ने कल के लिये इस पर बहस को स्थगित रखा है। कल भी बहस उस पर जारी रहेगी। अध्यक्ष महोदय ने आज स्वयं कहा कि यह बहस कल जारी रहेगी। उनके यह कहने के बाद कि जो यह अननुमोदन का प्रस्ताव है उसमें भी वही बात आयेगी कि इस अध्यादेश का अननुमोदन नहीं होना चाहिये क्योंकि यह वैधानिक नहीं है यही बहस फिर होगी। यह प्रश्न फिर इसके प्रोप्राइटी के बारे में भी आयेगी कि जो दो दिन से बहस चलती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

रही उसी को फिर दोहराया जाय। जितना समय दो दिनों तक उस पर नष्ट हुआ उससे तो कोई लाभ न हो, मैं समझता हूं कि न तो यह विरोधी दल के किसी सदस्य की मंशा है और न माननीय मंत्री ही ऐसा चाहते हैं। अभी बहुत से काम एजेंडे पर हैं तब उस समय ऐसे प्रश्न को जिस पर २ दिन तक बहस हुई फिर उन्हीं विचारों को दोहराया जाय और वही बहस की जाय जो उपस्थित की गयी है, मैं समझता हूं कि सबका यही विचार है कि सदन का समय नष्ट नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि सभी विरोधी दल के नेताओं ने इस बात को कहा है कि जो व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है जिस पर विवाद दो दिनों से चल रहा है वह समाप्त हो जाय तब इसको लिया जाय। मंत्री महोदय ने कहा कि इसके गिर जाने से वह व्यवस्था का प्रश्न स्वतः समाप्त हो जायगा और उसकी आवश्यकता ही नहीं रह जायगी, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर व्यवस्था इस बात की हो जाय कि वह वैधानिक था तो फिर अननुमोदन के प्रस्ताव की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी। तो एक बात जो हम प्रारम्भ कर चुके हैं और जिस पर दो दिन तक हम अपनी बात कह चुके हैं जब दोनों का एक फल होने वाला है तब जो लोग जितना बोल चुके हैं और अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और कल उस पर विचार स्थगित रखने के लिये समय दिया गया तब फिर उसको उठाना इस तरीके से कोई ठीक बात नहीं है। विरोधी दल की तरफ से कोई ऐसी मांग भी नहीं की गयी है जो अनुचित हो। जब हम कहते हैं कि बहस हो तब उधर के मित्र कहते हैं कि समय नष्ट नहीं होना चाहिये और हम जब कहते हैं कि समय नष्ट न किया जाय, हम विचारों को दोहराना नहीं चाहते और कल उसका निर्णय हो जायगा तब सरकार क्यों अपनी जिद पर अड़कर यह चाहती है कि नहीं बहस करायी ही जाय। एजेंडे में और आइटम बहस के लिये न होता तो सोचा जा सकता था लेकिन अभी और काम ले लिया जाय और जो बहस हो रही है उसको निर्णय हो लेने दिया जाय तो सदन का समय भी नष्ट नहीं होगा और कोई हानि भी नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी मैंने प्रोसीडिंग्स देखी नहीं है। अगर अध्यक्ष महोदय ने यह वचन दिया होगा कि इस निर्णय के बाद ही ये आयेंगे तो मैं वैसा ही करूंगा लेकिन अगर ऐसा प्रोसीडिंग्स में नहीं है तो मैं प्रोसीडिंग्स देखने के बाद अपना दूसरा निर्णय दूंगा। तब तक के लिये मैं चाहता हूं इनको ले लिया जाय।

(तीसरे और चौथे आइटम के लिये नाम पुकारे गये किन्तु कोई खड़ा नहीं हुआ)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मेरा निवेदन है कि आप अध्यक्ष महोदय से बात कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी बात उनसे हो चुकी है और मैं उनकी बात से कन्विन्स्ड हूं, उन्होंने यह बात नहीं कही कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इनको ले लीजिये। हम लोगों ने सलाह मशविरा किया और इसी परिणाम पर पहुंचे कि इनको ले लिया जाय। फिर भी आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इसको मैं देख लूं और इस बात का कहीं पर जिक्र है तो मैं इसको आज नहीं लूंगा और अगर जिक्र नहीं है तो मैं मजबूर हूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आप प्रोसीडिंग देख लें। यह प्रश्न मैंने उठाया था। कि इसको स्थगित कर दिया जाय और माननीय अध्यक्ष ने मेरे प्रस्ताव पर इसको स्थगित कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर यह रूलिंग हो चुकी है तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरे कहने पर यह स्थगित कर दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर ऐसा है तो मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा—

हो सकता है माननीय विरोधीदल के नेता ने मेरी बात न सुनी हो मैंने ही, यह प्रश्न उठाया था कि उसको स्थगित किया जाय इसको अध्ययन किया जाय और माननीय अध्यक्ष ने मेरे प्रस्ताव पर स्थगित किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज ही उनसे मेरी बात हुई है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में कार्य मंत्रणा समिति ने कोई निश्चय नहीं किया था कि जिला परिषद् विधेयक के संबंध में कोई विवाद हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यमंत्रणा समिति ने मेरे सामने यह तय किया था कि इन चारों को एक दिन में समाप्त कर दिया जाय । आपने उसका कोई जिक्र उस वक्त नहीं किया ।

श्री रामायणराय—

जिला परिषद् विधेयक के सम्बन्ध में यह तय हुआ था कि अभी वह कौंसिल से रेफर नहीं हुआ है । जिस समय कार्य मंत्रणा समिति बैठी थी उस समय तक वह रेफर नहीं हुआ था इसलिये यह तय हुआ था कि इस पर विवाद नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अध्यादेश सदन के रेजोल्यूशन में है कि यह चारो लिये जायगें और उसमें यह अध्यादेश भी है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

२३ तारीख को जो कार्यवाही हुई थी उसे आप सुन लें ।

(श्री दीपनारायणसिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप मेरी बात सुन लीजिये । दीपनारायण जी, आप बैठ जाइये । (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

२३ तारीख की जो कार्यवाही आप के कार्यालय से मिली है उसे आप सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह असली कार्यवाही नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

तो क्या यह नकली है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा खयाल यह है कि अध्यादेश हमारे ऐजेन्डा पर आ गये हैं और उस पर प्रस्ताव रख दिया गया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह गलत तरीके से रखा गया है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह टेबिल पर ले डाउन किया गया है यह प्रोसिडिंग्स में है और इसके ऊपर जो प्रस्ताव आया यह इस बात का सबूत है कि यह टेबिल पर ले डाउन किया गया है । दूसरी बात यह है कि यह प्रस्ताव सदन के सामने है । अगर सदन इसको नापसंद करता है तो इसको वह रिजेक्ट कर देगा । (व्यवधान) और अगर थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय ....

श्री काशीनाथ मिश्र--

इस सदन को चलाने के लिये कोई नियमावली नहीं है तो आप कैसे इसका संचालन करेंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप बैठ जाइये । (व्यवधान) देखिये, अगर यह रद्द भी हो जाता है तो अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वह इस पर अंतिम होगा । अध्यक्ष अगर यह निर्णय करेंगे कि १६ तारीख से यह सेशन है तो उसके बाद जो अध्यादेश है वह किसी तरह से भी कानूनी और विधिवत् नहीं माने जा सकते । इसलिये अगर उनका निर्णय यह हुआ तो आपको कोई नुकसान नहीं है । उससे तो आपको फायदा ही होगा । उसका इस तरह से आपको पूरा फायदा होगा । (व्यवधान) इसलिये मेरा निश्चय यह है कि ....

श्री दीपनारायण सिंह--

सदन के निर्णय के बाद अध्यक्ष का निर्णय क्या कोई मानी रखेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

तो मैं बहस होने दूंगा और नहीं तो पोस्टपोन कर दूंगा । (व्यवधान) आप लोग प्रोसिडिंग्स मुझे देख लेने दें । मैं अगर उसे देख लूंगा तो आपकी बात मान लूंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं भी प्रोसीडिंग पढ़ रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं ।

श्री शारदाभक्तसिंह--

मेरा भी एक निवेदन आप सुन लें ।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इस पर एक बार बोल चुके हैं ।

श्री मेकराम शर्मा---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने कहा था कि मैं प्रोसिडिंग देख रहा हूं । उसे आपने देखा नहीं और खड़े हो कर आपने रूलिंग दे दी । तो यह कहां तक नियमित है ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने यह कहा है कि वैसे तो मैं इसको चलने देने की राय का हूं और अगर अध्यक्ष का आदेश कोई निकल आये तो मैं इसको पोस्टपोन कर दूंगा ।

श्री दीपनारायणसिंह---

अध्यक्ष का यह निर्णय कहां है ? इस पर तो बहस कल भी होगी । (व्यवधान)

श्री शारदा भक्त सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी आप से कहा था कि प्रोसिडिंग में लिखा है या नहीं लिखा है, इसे देख लिया जाय । कई दिन से सरकारी पक्ष की ओर से और आपकी ओर से भी कहा जा रहा है कि सहयोग का वातावरण हमारे यहां चलना चाहिए और मैं आपको अपनी ओर से आश्वासन दिलाता हूं कि मेरी इच्छा है कि इस सदन के गौरव को देखते हुए हम इस कार्य को चलायें, लेकिन अगर उस वातावरण को उत्पन्न करने में हम केवल कानूनी तौर पर कोई चीज लिखी हुई है या नहीं इसकी तलाश करने लगें तो वह चीज बन नहीं सकती । अगर हमारी तरफ से कोई अनुचित बात हो रही हो, या ऐसी मांग पेश की जा रही हो, जिसे सरकारी पक्ष स्वीकार नहीं कर सकता तब तो ठीक है, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उस व्यवस्था के प्रश्न को स्थगित कर दिया और आज्ञा दी कि कल प्रारंभ से विचार रखिये । तो मैं समझता हूं कि उनकी इच्छा थी कि उस प्रश्न पर वह अभी सुनना चाहते हैं और तब निर्णय देना चाहते हैं । हम कह सकते थे कि पहले व्यवस्था का प्रश्न तय हो जाय, और इस पर इंसिस्ट करने का हमें हक था, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वह नहीं रह सकेंगे, और प्रश्न ले लिये जायं, इसलिये हम सहमत हो गये और सहयोग की भावना से काम चलाते रहे कि काम में हर्ज न हो, दोनों काम साथ साथ चलते रहें । उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि १ बजे तक उस व्यवस्था के प्रश्न पर विचार हो और अध्यादेश उसके बाद हो । मंत्री जी जब खड़े हुए थे तो मैं समझता था कि यह कहेंगे कि कल वह किया जा सकता है । तो केवल एक टेक्निकल बात पर अगर उपाध्यक्ष महोदय, हम वातावरण बदलना चाहते हैं तो यह उचित नहीं होगा । मैं तो अब भी समझता हूं कि अगर आप मंत्री जी को मौका देंगे तो वह हमारी बात को अवश्य स्वीकार कर लेंगे । हम अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं कि व्यवस्था हो जाने के बाद अगर समय की कमी का ख्याल आता है तो हम समय को बढ़ायेंगे नहीं । इसलिये इस सारी बातों को सोच कर और भविष्य के वातावरण को बनाने के लिए और सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए सरकारी पक्ष से भी मैं निवेदन करता हूं कि हमारी इस छोटी सी मांग को स्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूं इस पर विचार कर लीजिये ।

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह मेरा दुर्भाग्य है कि जो बात मैंने कही उसका अर्थ कुछ गलत तरीके से लगाया जा रहा है । मैंने तो एक वैधानिक प्रश्न उठाया, क्योंकि यह विधान सभा है और अगर कानून पक्ष की बात रखी जाय और सदन के सामने रखी जाय तो इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि मैं सहयोग

[श्री हरगोविन्दसिंह]

देना नहीं चाहता या लेना नहीं चाहता। मैंने तो सिर्फ यह कहा था कि भवन के सम्मुख दो प्रश्न हैं। वह अध्यादेश वैधानिक है या नहीं, यह जारी किया जा सकता है या नहीं, गवर्नर को पावर थी या नहीं, यह तो भवन के सामने प्रस्तुत है। दूसरा आज यह प्रस्ताव है, दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों एक ही चीज है, इस में परस्पर कोई विरोधी बात नहीं है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो वह बेकार हो जायेगा और अगर यह रद्द हो जाता है तो उसका कोई असर नहीं होगा, वह बेकार हो जायगा। मैं तो इसलिये यह कह रहा था कि सदन के समय का अपव्यय न हो क्योंकि एक बहस दोनों पर होगी। (व्यवधान) अगर आप उसी पर बहस करना चाहते हैं, इस पर नहीं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें और उसको जारी रखें तो इसमें विरोधी दल को हानि नहीं होगी, मेरे कहने का यही मतलब था।

चूंकि यह प्रश्न एजेन्डा पर आ गया, अब भवन उसका मालिक हो गया, भवन चाहे तो उसको हटा सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि जो भी चीज हो वह वैधानिक दृष्टि से ही ठीक हो। यदि आप और विरोधी दल चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, आप हटा सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

जैसा कि मंत्री जी ने कहा, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इसको कल के लिये स्थगित कर दिया जाय और जब माननीय अध्यक्ष का फैसला हो जाय तब इस पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा है कि यह कल के लिये हो नहीं सकता। कल शायद आपकी बातें सुनकर, माननीय अध्यक्ष अपना निर्णय बाद को दें। मगर यह अगले किसी दिन के लिये रखा जाता है तो फिर देर तक बैठना पड़ेगा....

श्री शारदाभक्तसिंह--

हम उसके लिये तैयार हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष--

तो यह सोमवार के लिये स्थगित किया जाता है।

अब आज के लिये कार्य मंत्रणा समिति ने जो कार्य निर्धारित किया था वह समाप्त हो गया। इसलिये अब आधे घंटे वाला विवाद का विषय ले लिया जाय।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पूर्वी जिलों की आर्थिक जांच के सम्बन्ध में नियम ५० (१) के अन्तर्गत चर्चा

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने इस प्रश्न पर मुझे अपनी राय प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वी जिलों की आर्थिक जांच के सिलसिले में एक आयोग की नियुक्ति हुई थी और उसके सम्बन्ध में यह पूछे जाने पर कि कौन-कौन से प्रश्न उस आयोग के विचाराधीन हैं, सरकार ने उत्तर दिया था कि सारे प्रश्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचाराधीन हैं । उसका स्पष्टीकरण उस दिन नहीं हो सका । एक तरफ तो सरकार गन्ने का उत्पादन बढ़ाना चाहती है, चीनी का उत्पादन बढ़ाना चाहती है, और दूसरी तरफ गन्ने और चीनी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले उत्तर प्रदेश के किसानों को इस सरकार की किसान विरोधी नीति से बरबाद किया जाता है । दूसरी तरफ पंत्रीजी की तरफ से इस बात की भी सफाई नहीं की गयी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की जांच के लिये जो ४ जिले चुने गये उनको किस आधार पर प्रतिनिधि जिला माना गया । पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक घनत्व (आबादी) में रखने वाला जिला बलिया है और सबसे गरीब जिला बस्ती है, यह दोनों जिले इसमें शामिल नहीं किये गये । मैं यह बात नहीं कह रहा हूं । यह भारत सेवक समाज की जो रिपोर्ट सरकार की तरफ से हमें वितरित की गयी है उसमें बताया गया है । गोरखपुर के लिये कहा गया है कि वहां पर एक मजदूर ५ आना मजदूरी पाता है । किसी परिवार में अगर पांच आदमी हैं तो एक आना प्रति व्यक्ति उनकी आमदनी हुई । यह भारत सेवक समाज का कहना है । इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्रीजी ने यह नहीं बताया कि किस आधार पर उन चार जिलों को प्रतिनिधि जिला माना गया ।

पटेल जांच कमीशन के आधार पर बिजली और ट्यूबवेल्स के लिये लोक सभा में जो वक्तव्य हुआ उसमें बताया गया कि कहां कितने टयूबवेल्स और कितनी बिजली लगायी जायगी, उसमें भी इन्हीं चार जिलों का नाम लिया गया है लेकिन दूसरी तरफ उन १६ जिलों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया जहां तबाही और बरबादी मुंह फाड़े खड़ी है, उनके आर्थिक विकास के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया । क्यों उन जिलों के बारे में कुछ किया गया, इस बारे में भी मंत्री जी की ओर से कुछ नहीं बताया गया । न यह बताया कि कौन सी बातों पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में विचार कर रहे हैं । गोरखपुर जिले, जहां के लोगों की प्रतिदिन की आमदनी भारत सेवक समाज के अनुसार १ आना प्रति व्यक्ति प्रति दिन है, सरकार की इस बात में फंसने वाले नहीं हैं कि कमीशन बैठाया, उसकी रिपोर्ट और फिर वह रिपोर्ट जहन्नुम में चली जायगी ।

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न उठाया गया हैं, इस सम्बन्ध में पहले इस सदन में कुछ प्रश्न पूछे गये थे और जो वास्तविक स्थिति वहां की थी उसे उन तर्कों के उत्तर में भवन के सामने रखा गया था । उसमें कोई बात छिपायी नहीं गयी । कोई बात ऐसी नहीं रखी गयी थी जिसमें किसी को आपत्ति हो सकें । यदि आप थर्ड फाइव ईयर्स प्लान की पुस्तिका को पढ़ें तो उसमें स्पष्ट शब्दों में—पूर्वी जिलों की क्या हालत है वह दे दिया गया है । तो यह जो आधा घंटे का समय डिस्कशन के लिये रखा गया है— वह तो बड़ा सुन्दर हुआ होता, और मेरे लिये भी एक प्रसन्नता की बात होती यदि आज उसके सम्बन्ध में कोई ऐसा सुझाव दिया जाता जिसके अनुसार कार्य करके वहां भी स्थिति को अधिक सुधारने में सुविधा होती । लेकिन उन्हीं चीजों को बार बार दोहराया जाता है जो वास्तविक स्थिति हमारी पुस्तिका में रखी गयी है जो प्रश्नों के उत्तर में आपके सामने रखी गयी है । और उसी स्थिति से निकालने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि प्लानिंग कमीशन की एक छोटी सी कमेटी बना कर इन जिलों में भ्रमण करने के लिये भेजी जाय जो स्थान स्थान पर जा कर वास्तविक स्थिति का अध्ययन करे और अध्ययन करके अपने सुझाव दे कि किस प्रकार से गरीबी के इस विशस सर्किल को तोड़ा जाय । इसलिये वह कमेटी वहां घूम रही है । यह कमेटी कोई ३ जिलों, ४ जिलों या ६ जिलों के लिये नहीं है । वह प्रतिनिधि के रूप में है । यदि कमेटी चाहे तो उन १५ जिलों में घूम सकती है और जितना भी समय चाहे ले सकती है । उसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । कमेटी का जो टर्म्स आफ रेफरेंस है उसे भी इस सदन के सामने उत्तर में बतला दिया गया है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जरा कृपा करके बतला दें कि क्या उत्तर में कमेटी टर्म्स आफ रेफरेंस को बतला दिया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

बतला दिया गया था यदि आप उसे ध्यानपूर्वक सुने होते । वह रेफरेंस यह था कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, इसको कमेटी अध्ययन करे और इसके लिये क्या क्या किया जा सकता है, जिससे यह स्थिति सुधरे । तो इस तरह से यही आपका भी अर्थ होगा, हमारा भी यही अर्थ है । इसी दृष्टि से वह कमेटी बनायी गयी है और किसी जिले में वह कमेटी जाती है तो लोगों को चाहिये कि वे अपने सुझाव कमेटी के सामने आकर दें । आप कुछ और सुविधा चाहते हैं तो वह भी देने के लिये तैयार हैं । लेकिन आधा घंटा का जो समय डिस्कशन के लिये रखा गया है, उसमें बजाय इसके कि बहस में ज्यादा समय लिया जाय, आप कुछ ऐसे सुझाव दीजिये जिन पर अमल करके हम कार्य को अच्छी तरह से कर सकें । इसके कहने से कोई फायदा नहीं होगा कि वहां एक आना मजदूरी है, कि वहां २ आने या ४ आने मजदूरी है । पिछली बार जब आधे घंटा का विवाद हुआ था तो 'आज' के सम्पादकीय में यह निकल गया कि गवर्नमेंट ने सब जिलों के जिलाधीशों को यह लिख दिया है कि कमेटी जा रही है, और इस कमेटी के सामने यह अवस्था न आनी चाहिये कि सचमुच में जो बात पार्लियामेंट के सामने कही गयी थी कि लोगों को ४ आने मजदूरी दी जाती है, वह सार्थक हो जाय । यह बिलकुल निराधार था । मैंने कहा कि पता नहीं किसने कहां से यह दे दिया और 'आज' ने अपनी सम्पादकीय टिप्पणी लिख दी । गाजीपुर के एक हिस्से में यह अवस्था है, यह मंजूर भी किया गया है । सदन को कोई गलत उत्तर नहीं दिया गया है । आज भी मैं इसका स्वागत करता हूं अगर विरोधी दल के माननीय सदस्य कुछ ऐसे सुझाव देते जिससे वहां की गरीबी मिटाने में मदद मिलती । किसी भी जिले की गरीबी को राजनीति का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता । हम सब मिलकर उस गरीबी को दूर करें यही उसका उद्देश्य होना चाहिए । अगर उस पर कोई सुझाव होंगे तो हम उनको सहर्ष स्वीकार करेंगे और उनको कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे, इतना ही आश्वासन मैं इस समय सदन को दे सकता हूं ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार की तरफ से यह बताया जायगा कि जो पटेल कमीशन घूम रहा है और पहले भी जो एक बार घूम चुका है उसकी सिफारिशों का समावेश थर्ड फाइव ईयर प्लान के फ्रेमवर्क में ही हुआ है या जैसा कि समझा जाता है कि उस के बाहर भी कुछ विशेष सुविधाएं, रियायतें और विशेष एलाटमेंट और सिफारिशें की जायंगी जिससे कि पूर्वी जिलों की हालत जल्द सुधर सकें ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो भी सुझाव वह कमीशन देगा चाहे वह प्लान के अन्दर हों या न हों उन पर विचार किया जायगा ।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पूर्वी जिलों में जो गरीबी है उस गरीबी के विशस सर्किल को दूर करने के लिये विरोधी दल के लोग जो सुझाव देंगे उन पर विचार किया जायगा । मैं बलिया जिले से आता हूं और अगर बलिया, देवरिया, गोरखपुर और जौनपुर आदि जिलों में बिजली से वहां के छोटे कारखाने चलाये जायं तो वहां बहुत कुछ गरीबी दूर हो सकती है । वहां पर बिजली का एक यूनिट सरकार ८ आना और ६ आना में देती है जब कि रिहेन्ड डैम की एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यूनिट बिजली दस नये पैसे में दी जाती है। अगर उन जिलों के गरीब लोगों को बिजली दस नये पैसे पर दी जाय तो वहां के गरीब लोग जो छोटे-छोटे कल कारखाने लगाना चाहते हैं या बढ़ईगीरी, लोहारगीरी का काम करना चाहते हैं वह बहुत कुछ तरक्की कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बलिया जिले में एक चीनी की मिल बिठा दी जाय तो वहां की बहुत कुछ बेकारी और गरीबी दूर हो सकती है। अगर रिहन्द डेम की सस्ती बिजली इन जिलों तक पहुंचाई जाय तो बहुत कुछ पूर्वी जिले उन्नत बनाये जा सकते हैं और वहां भी छोटे-छोटे कल कारखाने चलाये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सुझाव हो गये, कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कमेटी या इससे पहले की कमेटियों ने भी कुछ सुझाव दिये थे और जहां तक मेरी जानकारी है उन पर बिलकुल अमल नहीं किया गया, यह जो कमेटी घूम रही हैं उसकी जो भी सिफारिशें होंगी क्या उन पर अमल करने का आश्वासन यह सदन को देती है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, एक एक्जम्पशन जो अभी माननीय सदस्य ने किया वह बिलकुल निर्मूल है। पूर्वी जिलों से सम्बन्धित जितनी भी योजनाएं थीं उन सब पर थर्ड फाइव ईयर प्लान बनाते वक्त, तमाम कमेटियों की सिफारिशों पर विचार किया गया था और उनको अध्ययन करके प्रयत्न किया गया था कि उनका समावेश किया जाय और फिर मैं आज दोबारा कहता हूं कि अगर थर्ड फाइव ईयर प्लान में पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में जो पुस्तक है उसको अगर पढ़ लिया जाय तो उसमें स्पष्ट हो जायगा। जहां तक यह आश्वासन मांगा गया है कि सरकार कमेटी की सिफारिशों को मानेगी, तो जहां तक सम्भव हो सकेगा हर पहलू पर विचार किया जायगा और सबसे आर्थिक और दूसरी दृष्टि को सामने रखते हुए जहां तक सम्भव हो सकेगा सरकार उन पर जरूर अमल करेगी।

श्री रामायणराय—

पिछली समिति से मेरा साफ साफ मतलब था अशोक मेहता फूडग्रेन कमेटी से, उसने सिफारिश की थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की दरिद्रता का नाश करने के लिये जनसंख्या के घनत्व का भार भूमि पर से उठाने हेतु इस भूभाग का उद्योगीकरण नितान्त आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्माताओं ने क्या इन सिफारिशों पर विचार किया, यदि किया, तो कौन-कौन से और छोटे बड़े उद्योग पूर्वी जिलों को दिये जा रहे हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४ बड़े कारखाने यू० पी० को सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दिये हैं। उनमें से एक बनारस में और दूसरा गोरखपुर में खुल रहा है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

मेरा कहना है कि तीसरी क्या, चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाएं आप चला लें लेकिन जिस तरह से आज भी पूर्वी जिलों में सामन्तशाही चल रही है और वहां संस्थाओं से गरीबों का खून चूसा जा रहा है और उसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा है तो मैं यह जानना

[श्री श्यामलाल]

चाहूंगा कि क्या वहां की सामन्तशाही को खत्म करने के लिये सरकार कोई योजना तैयार करेगी जिससे वहां के भूमिहीन किसान और लेबरर्स का शोषण रुक सके ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जो पटेल आयोग घूम रहा है उसने केवल चार जिले लिये हैं तो जो दूसरे जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिये भी कोई क्वाश्चनर इश्यू किया जायगा जिससे सार्वजनिक कार्यकर्त्ता, बार एसोसियेशन या विभिन्न संस्थाओं के लोग जवाब दे सकें जहां पर वह कमीशन नहीं जा सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कमीशन तो वह है नहीं । प्लानिंग कमेटी की तरफ से एक कमेटी बनी हुई है जिसमें प्लानिंग कमीशन के मेम्बर हैं और यहां के डेवलपमेंट कमिश्नर हैं । जो चार जिलों की बात कही जाती है उसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हीं का सेम्पिल सर्वे होगा । सेम्पिल सर्वे का अर्थ यही होता है कि उन्होंने इन जिलों को एक प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया है । चूंकि सब जिलों की एक बराबर सी समस्या है तो जैसा कि मैंने कहा, कमेटी को पूर्ण अधिकार है, वह कहीं भी जा सकती है और जो लोग भी चाहें अपने सुझाव उसके पास भेज दें । सिर्फ इस वजह से कि कार्य में देर न हो, क्योंकि अगर १५ जिले वह घूमने लगे और चार दिन एक जिले में रहे तो फिर सालों का सिलसिला हो जायगा उसने चार जिले चुन लिये । जिस वक्त इस कमेटी का निर्माण किया गया था उस समय सोचा तो यह गया था कि तीसरी योजना के तीसरे या चौथे साल में हम उन कामों को कर सकें अगर उसमें ज्यादा देर होगी तो वह चौथी योजना में चला जायगा । इस ख्याल से यह छोटी सी कमेटी बनायी गयी थी । उसने यह सोचा कि हम तीन, चार जिले घूम कर, चूंकि समस्यायें सब की एक सी है, अपने सुझाव सरकार के सामने रखेंगे ताकि तीसरी योजना के तीसरे साल में ये चीजें कार्यान्वित हो सकें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैंने यह पूछा था कि क्या उस कमेटी ने कोई क्वेश्चनर इश्यू किया है और अगर नहीं इश्यू किया है तो क्या यह सरकार उस कमेटी के लिये सिफारिश करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं बार बार कह चुका कि कमेटी खुद अपने प्रोसीजर की मालिक है । वह अगर क्वेश्चनेर इश्यू करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता । क्वेश्चनेर इश्यू करने की जरूरत इसलिये नहीं है कि वह जिन जिलों में जा रही है वह यह समझ कर जा रही है कि सब की समस्या एक सी है और हम उनको ही देख कर अपने जो सुझाव देंगे वह सभी पूर्वी जिलों के लिये बराबर लागू होंगे ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

जो पर्यवेक्षक आयोग पूर्वी जिलों में घूम रहा है उसके सामने ऐसी बातें खासतौर से दिखायी गयी हैं जैसे इंजीनियरिंग कालेज पश्चिमी जिलों में है, पूर्वी जिलों में कोई नहीं है, मेडिकल कालेज पश्चिमी जिलों में है पूर्वी जिलों में नहीं है और शिक्षा संस्थाएं, खास तौर से यूनिवर्सिटीज जो पूर्वी जिलों में है उनको पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज लेने के आदेश नहीं है जबकि पश्चिमी जिलों में जो है उनको इजाजत है । पूर्वी जिलों के जो गांव हैं वे छोटे-छोटे जिले हैं और स्टार ऐन्ड ग्रिड फार्मूला जो सरकार का है उसमें ५ हजार या उससे ऊपर की आबादी के गांवों के

लिये ही सड़क माइलेज मिलता है। इस तरह के सुझाव उस आयोग को दिये गये हैं। तो क्या सरकार इन बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी कि पूर्वी जिलों के गांवों को जिनकी आबादी कम है उनको भी सड़कों आदि के लिये काफी रुपया मिल सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मैं बार-बार वही बात कहते कहते थक गया इसलिये कि क्या छोटे गांव पर कोई सड़क बनती है ? क्या कोई मेडिकल कालेज देखने के लिये गया है ? वह तो आर्थिक ढांचा वहां का क्या है, किस तरह से वहां के लोगों की आमदनी बढ़ाई जाय इस बात के लिये है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक प्रश्न मंत्री जी से कहना चाहता हूं और वे परेशान होते हैं। खड़े होकर कह देते हैं कि मैं बराबर कह चुका हूं। लेकिन यह बड़े घपले का मामला जंचता है और उत्तर साफ नहीं होता है और सरकार में जनता का विश्वास भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न कीजिये।

श्री लखीसिंह---

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के नाम से यह कमेटी बनी है, चाहे केन्द्रीय सरकार ने बनाई, चाहे प्रान्तीय सरकार ने बनाई, यह हमारे लिये बड़ी जबर्दस्त चीज है। मेरे प्रश्न को साफ करना होगा। गरीबी के बारे में पंडित जवाहरलाल जी कह चुके हैं कि आज गरीब ज्यादा गरीब हो गये हैं और अमीर ज्यादा अमीर हो गये हैं। यह कमेटी केवल पूर्वी जिलों के लिये है और यह सवाल केवल पूर्वी जिलों का ही नहीं है, बल्कि सारे देश का है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कमेटी प्रदेश के सारे जिलों का दौरा करके गरीबों के असली आंकड़े दिखायेगी या यह कि २-४ जिलों में, जैसे पंडित नेहरू जी को २-४ गांव दिखा कर विकास का काम दिखा देते हैं, वही चीज यह कमेटी करेगी यह हम जानना चाहते हैं और क्या हमारी सरकार सिफारिश करके कमेटी की रिपोर्ट में इस चीज को जुड़वायेगी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय कल्पनाथ जी, आप आखिरी प्रश्न कर लें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आखरी सवाल करने के लिये कहा गया उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सर्व प्रथम जब केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आयोग के या कमेटी के गठन की सूचना प्राप्त हुई, उस समय क्या मंत्री जी से यह भी पूछा गया था कि कौन-कौन-जिले आप दिखाना चाहते हैं और मैंने पहले भी कहा कि वह आधार क्या था जिससे उनका चुनाव हुआ, मैं यह जानना चाहता हूं ? दूसरे यह कि मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी इस कमीशन को या अपने मंत्रालय को, किस को सुझाव देने की बात कहते हैं, इसको स्पष्ट करें। आप एक क्वेश्चेनियर तैयार करके सम्मानित सदस्यों को, क्षेत्र समितियों को और जिला परिषदों को भिजवाने की कृपा करेंगे जिससे विस्तृत राय कमीशन के पास भेजी जा सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

वे जिले उन्होंने स्वयं निश्चित किये। सिर्फ सरकार का इतना संबंध था कि एक साहब ने मेरे पास और नन्दा जी को खत लिखा कि मैं यह चाहता हूं कि कमेटी इस जिले में भी जाय। मैंने कमेटी को लिखा कि इस जिले में भी चली जाये।

श्री कल्पनार्थासिंह---

जौनपुर किस आधार पर लिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह उन्होंने ही तय किया था। सुझावों के संबंध में मैंने यह कहा कि वे कमेटी के सम्मुख भेज दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय समाप्त हो गया। अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२६ सितम्बर, १९६३।

संसद भवन

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५१ पर)

मुरादाबाद जिले में दिनांक १-१-६१ से ३१-१२-६२ तक जिन लोगों के अग्नेयास्त्र जब्त किये गये तथा उनके कारण

नाम	जिस कारण अग्नेयास्त्र जप्त किया गया
१—श्री जान मोहम्मद ..	१६ एफ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत जप्त किया गया, क्योंकि वे अनधिकृत रूप से रखे थे।
२—श्री बाबूराम ..	अग्नेयास्त्र प्रोहिबिटेड बोर का था और मालखाने में जमा किया गया था। चूंकि आग्नेयास्त्र प्रोहिबिटेड बोर का था अतः वह जनता के किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता था जमा होने के १ वर्ष के भीतर श्री बाबू राम ने आग्नेयास्त्र का निस्तारण नहीं किया अतः वह जप्त कर लिया गया।
३—श्री आनन्द गुप्ता ..	आग्नेयास्त्र समर्पण कर दिया और मालखाने में जमा होने की तिथि से १ वर्ष के भीतर न तो वापस लिया और न उसका निस्तारण ही किया अतः जप्त किया गया।
४—श्री बालमुकुन्द उर्फ मुकुन्दराम	मृत्यु होने के कारण मालखाने में जमा कराया गया। जमा होने की तिथि के १ वर्ष के भीतर न तो मृतक के किसी उत्तराधिकारी ने उसे वापस लिया और न उसका निस्तारण ही किया अतः जप्त किया गया।
५—इलाहाबाद बैंक मुरादाबाद	आग्नेयास्त्र बेकार होने के कारण सरेन्डर किया गया और जमा होने की तिथि से १ वर्ष के भीतर न वापस लिया गया और न उसका निस्तारण ही किया गया, अतः जप्त किया गया।

इनके अतिरिक्त २६-५-६२ को ४ आग्नेयास्त्र १६ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत अदालतों द्वारा जप्त किये गये क्योंकि वे अनधिकृत व्यक्तियों के पास पाये गये थे। इन आग्नेयास्त्रों के असली मालिकों का पता नहीं चल सका।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५८ पर)

तालिका जिसमें प्रदेश के देनदार चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य की १ सितम्बर, १९६३ को बकाया रकम का विवरण दिया हुआ है।

क्रम-सं०	चीनी मिलों का नाम	१ सितम्बर, १९६३ को बकाया मूल्य (लाख रुपयों में)
१	जसवंत	०.२७
२	मोहिउद्दीनपुर	०.९१
३	सकोतिटांडा	२.६९
४	बुलन्दशहर	४.२६
५	रोहाना	०.०१
६	शामली	१.२६
७	खतौली	०.६१
८	मनसुरपुर	१.९०
९	दोईवाला	०.९४
१०	सरसावा	४.८२
११	बरेली	५.७९
१२	बहेरी	१.२१
१३	बिजनौर	५.४४
१४	धामपुर	६.६९
१५	सिवहारा	०.०४
१६	रोजा	०.६२
१७	पीलीभीत	०.८५
१८	अमरोहा	२.२४
१९	बिलारी	०.३६
२०	काशीपुर	०.१४
२१	बाजपुर	०.०७
२२	मसोधा	०.४८
२३	तुलसीपुर	०.६८
२४	नवाबगंज	०.०४
२५	बाराबंकी	१.८५
२६	बरवल	२.६५
२७	जरवल रोड	५.१०
२८	शाहगंज	०.११
२९	मुडेरवा	०.०४
३०	बस्ती	०.०६
३१	देवबन्द	०.१७
३२	पिपराईच	७.४३
३३	घुघली	४.३६

क्रम-सं०	चीनी मिलों का नाम	१ सितम्बर, १९६३ को बकाया मूल्य (लाख रुपयों में)
३४	सरदार नगर	१४.१६
३५	आनन्द नगर	०.६४
३६	बैतालपुर	०.३४
३७	देवरिया	१.४५
३८	भटनी	८.८३
३९	छितौनी	१२.०२
४०	खड्डा	६.०५
४१	लक्ष्मीगंज	७.४६
४२	कप्तानगंज	०.३०
४३	रामकोला (पी)	०.०६
४४	रामकोला (के)	१३.१२
४५	सिवराही	०.३४
		१२८.८६

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६३ पर)

No. 4622/II-B—264-1960

FROM

SRI, R. C. BHARGAVA,
UP SACHIV,
UTTAR PRADESH SHASAN,

TO

ALL HEADS OF DEPARTMENTS; AND PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,
UTTAR PRADESH

Dated Lucknow, February 11, 1963.

Subject : **Use of orderlies and peons as domestic servants—Instructions regarding**

SIR,

I AM directed to invite your attention to rule 30 of the Government Servants' Conduct Rules, 1956, which provides that no Government servant shall misuse, or carelessly use, amenities provided for him by the Government to facilitate the discharge of his public duties. The amenities herein include, *inter alia*, services of orderlies and peons provided for a Government officer.

2. Instances have come to the notice of Government where the services of peons provided to Government officers have been used for domestic work, although peons are not provided for this kind of work. Government view this practice with displeasure which, apart from consituting an infringement of the above provision of the Government Servants' Conduct Rules, is also undesirable in the present democratic set up. The peons have been provided to Government officers to facilitate the discharge of their public duties and it is wrong to use them as domestic servants.

3. I am, therefore, to impress upon you the desirability of putting a stop to this malpractice forthwith. Government will take servere action if any such instance is proved in future.

Yours faithfully,
R. C. BHARGAVA,
Up Sachiv.

No. 4622 (i)/IIB—264-1960

Copy forwarded for information and necessary action to all Departments of the Secretariat.

By order,
R. C. BHARGAVA,
Up Sachiv.

संख्या ४६२२/दो–ख––२६४–६० ।

प्रेषक

श्री रवीन्द्र चन्द्र भार्गव,

उप-सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक ११ फरवरी, १९६३ ।

विषय---अर्दलियों और चपरासियों से घरेलू नौकर की भांति काम लेने के संबंध में अनुदेश ।

नियुक्ति (ख) विभाग ।

महोदय,

मुझे सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, १९५६ (Government Servants Conduct Rules, 1956) के नियम ३० की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ ह, जिसमें यह व्यवस्था है कि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी सुख-सुविधाओं का कुप्रयोग अथवा असावधानी के साथ प्रयोग नहीं करेगा जिनकी व्यवस्था सरकार ने उसके सरकारी कर्त्तव्यों के पालन में उसे सुविधा पहुंचाने के प्रयोजन से की हो । इन सुख-सुविधाओं की व्यवस्था में अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी अधिकारी के लिये अर्दलियों और चपरासियों की सेवाओं की व्यवस्था भी सम्मिलित ह ।

२---शासन के सामने ऐसे उदाहरण आये हैं, जिनमें सरकारी अधिकारियों को दिये गये चपरासियों की सेवाओं का घरेलू कार्य के लिये उपयोग किया गया है, यद्यपि चपरासी ऐसे कार्य के लिये नहीं दिये जाते हैं । सरकार इस प्रकार के कार्य से अप्रसन्नता प्रकट करती है, क्योंकि इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली की उपर्युक्त व्यवस्था का ही उल्लंघन होता है, बल्कि वर्तमान लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में ऐसा करना अवांछनीय भी है । चपरासियों की व्यवस्था सरकारी अधिकारियों को उनके सरकारी कर्त्तव्यों के पालन में सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से की गयी है और उनसे घरेलू नौकर के रूप में काम लेना अनुचित है ।

३---अतएव मुझे आप पर इस बात की वांछनीयता के लिये जोर देना है कि यह अनाचार तुरन्त समाप्त कर दिया जाना चाहिये । भविष्य में यदि ऐसा कोई उदाहरण सही सिद्ध हुआ तो सरकार उस मामले में कड़ी कार्यवाही करेगी ।

भवदीय,
रवीन्द्र चन्द्र भार्गव,
उप-सचिव ।

संख्या ४६२२ (१)/दो–ख––२६४–६०

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त विभागों को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित ।

आज्ञा से,
रवीन्द्र चन्द्र भार्गव
उप-सचिव ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६४ पर)

जिला बुलन्दशहर के उन इकाइयों की सूची जिनको तांबा एवं जस्ता का कोटा इस समय दिया जा रहा है ।

नाम		जब से कोटा दिया गया है
१—सर्वश्री बूटामल इन्द्रसेन एन्ड कम्पनी	..	अक्तूबर–मार्च, १९६०
२—,, बंसत इन्जीनियरिंग कम्पनी	..	अप्रैल-सितम्बर, १९६०
३—,, आजाद वेल्डिंग वर्क्स	..	अप्रैल-सितम्बर, १९६०
४—,, जनरल मेटल वर्क्स	..	अक्तूबर-मार्च, १९६१
५—,, विजय इंडस्ट्रीज	..	अप्रैल-सितम्बर, १९६१
६—,, यू० पी० कापर वायर इंडस्ट्रीज	..	अप्रैल-सितम्बर, १९६२
७—,, नवभारत इंडस्ट्रीज	..	अप्रैल-सितम्बर, १९६२

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६६ पर)

सचिवालय के न्याय व विधायिका विभाग में नियुक्त जिला जज के स्तर (Rank) के अधिकारियों की सूची।

नाम	पद	सचिवालय में नियुक्ति की तिथि
१—श्री लक्ष्मीप्रसाद निगम	सचिव, न्याय तथा विधायिका विभाग तथा विधि-परामर्शदाता	१९-१२-५७
न्याय विभाग—		
२—श्री रामेश्वर चन्द्रा	संयुक्त सचिव तथा संयुक्त विधि परामर्श-दाता	२५-८-६०
३—श्री कौशलपाल गुप्ता	,, ..	१-६-६१
४—श्री प्रेम प्रकाश	उप सचिव तथा उप-विधि परामर्शदात।	२९-४-५९
५—श्री अवध बिहारी लाल	,, ..	१-८-६२
६—श्री उम्मेदचन्द्र ओसवाल	,, ..	७-१२-५६
विधायिका विभाग—		
७—श्री जगमोहन लाल	,, ..	३०-५-६०

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ उत्तर पीछे पृष्ठ ४६८ पर)

नकल चिक (नकल तहरीर वादी हिन्दी)

श्रीमन् दरोगा जी । थाना बड़हलगंज।

निवेदन है कि मेरे चचेरे भाई चन्द्रदेव मिश्र वल्द रघुवीर मिश्र सा० कस्बा बड़हलगंज आज वांसगांव गये हुये थे। वहां से बस में अपर क्लास में बैठ कर वापस बड़हलगंज आ रहे थे। मैं और बेचई अनाई साकिन बेईलिया, विश्वनाथ लोहार सा० कस्बा बड़हलगंज व सोती अहिर व गोबरी अहिर साकिनान अल्यानपुर, किशोर कहार सा० कस्बा बड़हलगंज आ रहे थे। करीब ५। बजे शाम को बस हाटा में पहुंची और बस ज्योंही स्टार्ट हुई कि मुरलीधर दुबे, राजाराम दुबे, विद्यादूबे, पारस दुबे, सुरजूदूबे, जो ग्राम सहुवा कौल, थाना बड़हलगंज के रहने वाले हैं एकाएक अपर क्लास के दरवाजे से चढ़ गये और इनमें से राजाराम दूबे, पारस दूबे ने मेरे भाई को पकड़ लिया तथा मुरलीधर दूबे ने बस के ड्राइवर गयाप्रसाद को पिस्टल दिखा कर गाड़ी आगे बढ़ाने से रोक दिया, विद्या दूबे ने मेरे भाई पर पिस्टल का वार सीने पर किया जिससे दाहिने सीने के नीचे पिस्टल के फायर से चोट आई तथा सुरजू दूबे ने गले पर चाकू से मारा जिससे गले के नीचे बायें तरफ काफी बड़ा घाव हो गया है। इसी बीच में मुरलीधर ने दुबारा मेरे भाई पर पिस्टल का वार किया जो पीठ के दाहिने तरफ लगा है। मेरे भाई ने सुरजू से चाकू छीनने की कोशिश किया और छीना झपटी में मेरे भाई के बायें हाथ, माथा, दाहिने हंसुली व पीठ पर दायें बगल चाकू की मामूली चोट आई हैं। मेरे भाई ने चाकू छीन कर मुलजिमान पर अपने बचाव में वार किया जिसमें एक आदमी को, जिसका नाम पता नहीं जानते हैं, देख कर पहचान सकते हैं। चोट आई है। वाद में मुलजिमान चाकू छीन कर भाग गये। हम लोग तथा और अन्य बहुत से लोगों ने इस वाक्या को देखा तथा मुलजिमान को इस काम को करने से रोका परन्तु मना करने पर भी नहीं माने। हम लोग भय के कारण पकड़ नहीं पाये। पिछले नवम्बर में टाउन एरिया का चुनाव हुआ जिसमें मेरे भाई चेयरमैन चुने गये और उनके खिलाफ खड़े हुए उम्मीदवार मुरलीधर हार गये, तभी से रंजिश रखते हैं, अभी हाल ही में उसी रंजिश वश मुरलीधर ने हम लोगों के खिलाफ एक वल्वे का मुकदमा कायम कर दिया है, इसी रंजिश के आधार पर मेरे भाई को मुलजिमान उपरोक्त ने मारा है। मेरे भाई की हालत बहुत ही चिन्ता-जनक है। बोल नहीं पा रहे हैं, उन को हम लोग उसी बस से लाये हैं और ट्रक से गोरखपुर ले जा रहे हैं। मेरी इतला लिख ली जाय।

लेखक—रामदास दूबे पुत्र विजय नारायन दूबे, सा० टिकरी थाना गोला–ता० १५–५–६३

आपका प्रार्थी,

राजेश्वर मिश्र, पुत्र जमुना मिश्र,
सा० कस्बा बड़हलगंज, ता० १५–५–६३

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६९ पर।)

तालिका

मई, १९६३ में गोरखपुर जिले के विभिन्न थानों के अन्तर्गत हुए कत्ल तथा डकैती के मामलों का विवरण;

डकैती

थाने का नाम	डकैतियों की संख्या	पकड़े गए लोगों की संख्या
१—महराजगंज	१	१०
२—चौरा	१	१९

कत्ल

थाने का नाम	कत्ल की संख्या	कत्ल किए गए व्यक्ति का नाम		पकड़े गये लोगों की संख्या
१—महराजगंज ..		श्री सदानन्द अहिर	..	१
२—बड़हलगंज ..		श्री चन्द्रदेव मिश्र	..	७
३—बांसगांव ..		श्री रामनाथ चौबे	..	५
४—फरेन्डा ..		मु० जैबुनिसा मेहतरानी	..	..
५—चौरा ..		१—श्री गंगाप्रसाद	..	..
		२—श्री बाबूलाल	..	..
		३—श्री बसूसिंह	..	१९*
६—कोठीभार ..		श्री राम परीखन सिंह	..	५

*नोट—श्री बंसूसिंह की हत्या चौरा थाने की डकैती, जिसका उल्लेख डकैती के नक्शे में है, के दौरान हुई थी। इस सम्बन्ध में १९ व्यक्ति धारा ३९६ भा० द० वि० के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए।

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७० पर।)

Copy of Telegram, dated February 2, 1963, *from Jhinna and others Nil* 3 *Tetaribazar* 224 *Chief Minister, U. P., Lucknow.*

Block Realised Defence Fund through police torture village Binaika Naugarh thirty-first January panic enquiry solicited.

Copy of Telegram, dated February 5, 1963 *from Jhinna and others to Leader S. P. Vidhan Sabha, Lucknow.*

Blocks collection Defence Fund through police torture village Binaika Tahsil Nowgarh Basti thirty first Chief Minister D. M. S. P. Informed no action taken till now rumours about general arrests by police in village panic climax atonce impartial enquiry needed.

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २१–२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७१ पर)

गोरखपुर जिले में नियुक्त आई० ए० एस० पी० सी० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों का विवरण

आई० ए० एस० अधिकारियों की कुल संख्या	..	..	२
पी० सी० एस० अधिकारियों की कुल संख्या	..	..	१५
आई० पी० एस० अधिकारियों की कुल संख्या	..	..	३
			२०

क्रम-संख्या	अधिकारी का नाम, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० आई० पी० एस०		वर्तमान पद		जिले में नियुक्ति की तिथि	जिले में ३१ अगस्त, १९८३ तक की कार्य काल की अवधि		
						वर्ष	माह	दिन
१	श्री चन्द्र मोहन निगम, आई० ए० एस०	..	कमिश्नर	..	१० नवम्बर, १९८२	..	९	२१
२	श्री सैयद शमशाद अहमद, आई ० ए० एस०	..	मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर	..	२५ दिसम्बर, १९६१	१	८	६
३	श्री एलेन हेनरी ड्रमांड, पी० सी० एस०	..	अतिरिक्त जिलाधीश	..	१८ दिसम्बर, १९६०	२	८	१३
४	श्री ज्ञानेश्वरप्रसाद श्रीवास्तव, पी० सी० एस०	..	सिटी मजिस्ट्रेट	..	५ सितम्बर, १९६१	१	११	२६
५	श्री रामेश्वरनाथ सिन्हा, पी० सी० एस०	..	डिप्टी कलेक्टर डी० पी० ओ०	..	१४ फरवरी, १९५९ १ जून, १९६२	४	६	१७
६	श्री सत्य चरण श्रीवास्तव, पी० सी० एस०	..	एस० ओ० (सी०)	..	१० जुलाई, १९६३	..	१	२१
८	श्री किशोरी लाल, पी० सी० एस०	..	डिप्टी कलेक्टर (सिविल डिफेन्स के कार्य के लिये)	..	२४ नवम्बर, १९६२	..	९	७
८	श्री प्रेम बहादुर कुदेशिया, पी० सी० एस०	..	डिप्टी कलेक्टर	..	११ जुलाई, १९६१	२	१	२०

क्रम-संख्या	अधिकारी का नाम, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० आई० पी० एस०	वर्तमान पद	जिले में नियुक्ति की तिथि	जिले में ३१ अगस्त, १९६३ तक की कार्य काल की अवधि		
१	२	३	४	५		
				वर्ष	माह	दिन
९	श्री सरस्वती प्रसाद, स्थानापन्न, पी० सी० एस० ..	डिप्टी कलेक्टर (सिविल डिफेन्स के कार्य के लिए) ..	२१ जून, १९६२	१	२	१०
१०	श्री बृजिस कदर रिजवी, पी० सी० एस० ..	,, ,, ..	२२ जनवरी, १९६२	१	७	९
११	श्री रामनरायन त्रिवेदी, पी० सी० एस० ..	एस० आर० एम० एन० ई० रेल ..	१३ अगस्त, १९६२	१	..	१८
१२	*श्री रामभरोसे लाल शर्मा, स्थानापन्न, पी० सी० एस० ..	एल० ए० ओ० (पी० डब्लू० डी०) ..	९ मई, १९६३	..	३	२३
१३	श्री विदेशी ,, ,, ..	डिप्टी कलेक्टर ..	८ नवम्बर, १९६२	..	९	२३
१४	श्री सुरेन्द्रबहादुर सिंह ,, ,, ..	एस० एल० ए० ओ० (फरटीलाइजर फैक्ट्री) ..	१३ जनवरी, १९६३	..	७	१८
१५	श्री एतकाद हुसैन, अवकास प्राप्त पी० सी० एस० ..	एसेसिंग अथारिटी ..	१० अप्रैल, १९६३	..	४	२१
१६	**श्री राम चन्द्र टक्कू पी० सी० एस० ..	रीजनल फूड कन्ट्रोलर ..	२० जनवरी १९६२	१	७	११
१७	†श्री भगवान दीन, पी० सी० एस० ..	एसिस्टेन्ट डिवलपमेन्ट कमिश्नर ईस्टर्न जोन ..	२८ नवम्बर, १९६१	१	९	३
१८	श्री इसलाम अहमद, आई० पी० एस० ..	डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल, पुलिस ..	७ जुलाई, १९६१	२	१	२४
१९	श्री रामकुमार गोयल, आई० पी० एस० ..	सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ..	१६ जुलाई, १९६१	२	१	१५
२०	श्री बालकृष्ण चौधरी, आई० पी० एस० ..	सहायक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ..	१४ नवम्बर, १९६२	..	८	१७

*इनका स्थानान्तरण कानपुर के लिये हो गया है ।
**इनका स्थानान्तरण डिप्टी सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश शासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पद पर नियुक्ति के लिए हो गया है ।
†इनका स्थानान्तरण उसी जिले में रीजनल फूड कन्ट्रोल के पद पर नियुक्ति के लिए हो गया है ।

नत्थी 'ञ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ५०१ पर)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने के लिए — उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९१८

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

२—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा १ की उपधारा (३) के अन्त का पूर्ण विराम हटा दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:— — उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा १ का संशोधन

"तथा उन्नाव जिले के जहां यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९६३ को समाप्त हो जायगी।"

३—(१) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ निरस्त किया जाता है। — उ० प्र० अध्यादेश संख्या २, १९६३ का निरसन

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम २९ जून, १९६३ को प्रचलित हो गया था।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६, १९६३ द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८, की अवधि ३० जून, १९६३ को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में समाप्त होने को थी, सिवाय उत्तराखण्ड डिवीजन के जिलो के, जिनमें यह अवधि ३१ दिसम्बर, १९६७ को समाप्त होगी। यह आशा की जाती थी कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों के अधीन ३० जून, १९६३ तक जिला परिषदों को स्थापित करना संभव हो सकेगा और उक्त अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम को उस दिनांक से आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

२--जिस समय प्रत्येक जिले में जिला परिषद् संघटित करने के लिए कार्यवाही की जा रही थी उस समय अन्तरिम जिला परिषद् उन्नाव, को गंभीर कुप्रशासन के आरोपों के आधार पर अतिक्रमित कर दिया गया। परिषद् के लेखे आदि ऐसी गड़बड़ी दशा में पाये गये कि यही उचित समझा गया कि जब तक कि उनके लेखे अद्यावधिक ठीक न कर दिये जायें, तब तक उस जिले में जिला परिषद् संघटित न की जाय। अतएव, सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ के उपबन्ध उन्नाव जिले के संबंध में लागू रखे जायं जिससे कि पूर्व स्थिति कुछ और समय तक कायम रह सके।

३--चूंकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, अतः २९ जून, १९६३ को एक अध्यादेश, अर्थात्, उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ प्रख्यापित किया गया था जिसके द्वारा अधिनियम की अवधि उत्तराखंड डिवीजन के जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में, ३० जून, १९६३ से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक के लिए बढ़ा दी गयी थी। वास्तव में अधिनियम की अवधि केवल उन्नाव जिले के संबंध में बढ़ाई गयी क्योंकि अन्य जिलों में उक्त अधिनियम ३० जून, १९६३ से निरस्त हो गया था, जिस दिनांक को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा १७ के अधीन उन जिलों में जिला परिषदें स्थापित कर दी गयीं थीं।

४--वर्तमान विधेयक, उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है जो भारत का संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अनुसार विधान मंडल के पुनः समवेत होने के छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा।

५--तदनुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

सुचेता कृपालानी,
विकास मंत्री।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५०१ पर)

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६३

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, १९५८ का संशोधित करने के लिए

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १९५८

विधेयक

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, १९५८ को संशोधित करना इष्टकर है :

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बन या जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) यह १ अप्रैल, १९५९ को प्रचलित समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १९५८ में धारा ५-क का बढ़ाया जाना
ऐक्ट संख्या ९, १९०८

२—उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, १९५८ की धारा ५ के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा ५-क बढ़ा दी जाय:—

अवधि काल का बढ़ाया जाना

"५-क—इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं देयों की वसूली के लिए बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किसी वाद के सम्बन्ध में कालावधि उस दिनांक से छः वर्ष की होगी जब से किसी निजी व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार के वाद के लिए इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के अधीन कालावधि प्रारम्भ हो :"

ऐक्ट संख्या ५४, १९४८

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड के प्रथम बार संगठित होने के दिनांक के पूर्व प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं देयों की वसूली के लिए, एलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६० की उपधारा (१) के आधार पर बोर्ड द्वारा निवेशित किसी वाद के लिए कालावधि वही होगी जिसकी व्यवस्था इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद १४९ ऐक्ट संख्या ९, १९०८ में की गयी है किन्तु वह बोर्ड के प्रथम बार संगठित होने के दिनांक से छः वर्ष से अधिक की न होगी।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् पहली बार १ अप्रैल, १९५९ को संगठित की गयी थी। इस दिनांक के पूर्व की अवधि के सरकारी बिजली व्यवसाय संस्थाओं के देयों की वसूली का वाद, देयों की प्रोद्भूत होने के दिनांक से साठ वर्ष के भीतर राज्य सरकार द्वारा निवेशित किया जा सकता था, किन्तु एलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ (ऐक्ट संख्या ५४, १९४८) की धारा ६० में यह व्यवस्था की गयी है कि बोर्ड के संगठित हो जाने के पश्चात्, ऐसे सभी वाद केवल बोर्ड द्वारा निवेशित किये जा सकते हैं। किन्तु बोर्ड द्वारा निवेशित किये जाने वाले ऐसे वादों की अवधि बढ़ाने के लिए उक्त ऐक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है।

यह इष्टकर है कि ऐसे वादों की अवधि वही होनी चाहिये, जो उस दशा में होती यदि वाद राज्य सरकार द्वारा निवेशित किये जाते, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह अवधि बोर्ड के प्रथम बार संगठित होने के दिनांक से अधिक से अधिक छः वर्ष की हो। यह भी आवश्यक है कि १ अप्रैल, १९५९ के पश्चात् की अवधि के देयों की वसूली के लिए बोर्ड द्वारा निवेशित वादों की कालावधि तीन वर्ष से बढ़ाकर छः वर्ष कर दी जाय।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२२ एल० ए०—१९६३—८६०।